राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ५१वां दिवस [संख्या ३१

बुधवार, दिनांक २ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, पंचायत, विद्युत आबकारी, विधि एवं सहकारी विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ३६९

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३७०

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास !

थाना-कोटगेट, बीकानेर में पुलिस की पिटाई के फलस्वरुप दूकानदार की मृत्यु

३७१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष बीकानेर के एक दूकानदार श्री शंकरलाल मोदी को कोटगेट थाने के पुलिस अधिकारियों द्वारा जबरन घसीट कर मारते हुए थाने में लाया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा उसे थाने की हवालात में कितने समय तक रखा गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि उसका लड़का रोटी पहुंचाने थाने आया तो उसे भी हवालात में रख दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि शंकरलाल को थाने में पीटा गया जिससे उसकी मौत थाने में

Page No. 2

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो गई ? यदि नहीं, तो उसकी मौत कहां पर हुई ?

(४) क्या यह सत्य है कि पुलिस उस दूकानदार की लाश को छिपा कर अस्पताल में भरती कराने के लिये ले गई और डॉक्टर से कहा कि इसे भर्ती करो ?

(५) क्या यह सत्य है कि डॉक्टर ने कहा कि यह तो लाश है, मैं इसे भर्ती नहीं कर सकता ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) श्री शंकरलाल मोदी को प्रकरण संख्या १०२ दिनांक १८-११-६१ कोटगेट के संबंध में दिनांक १८-११-६१ को श्री पन्नेसिंह चौकीदार के द्वारा बुलवाया गया। वह वहां लगभग ६।। बजे पहुंचा और अपना अपराध स्वीकार कर लेने पर गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिनांक २०-११-६१ को लगभग ११-१५ बजे रात्रि को; उसकी मृत्यु तक, पुलिस की हिरासत में रहा। उसे थाने में जबरदस्ती पीटते हुए नहीं लाया गया।

(२) जी नहीं, उसका पुत्र हरिकिशन भी उपरोक्त प्रकरण में संबंधित था और उसे दिनांक १८-११-६१ को शाम को ६-१५ बजे कोटगेट के पास बन्दी बनाया गया।

(३) जी नहीं, उसे थाने में नहीं पीटा गया। उसकी मृत्यु थाने से अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई।

(४) जी नहीं, उसकी अस्वस्थता के कारण थाने से अस्पताल में ले जाया गया। उसे जीवित समझते हुए ही डॉक्टर साहब से भर्ती करने की प्रार्थना की यद्यपि वह रास्ते में मर गया था जिसका ज्ञान उसे अस्पताल में ले जाने वाले कॉन्स्टेबल को नहीं था।

(५) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि जिस समय उसको वहां से ले जाया गया मकान से उस समय उसको बुरी तरह से सड़क पर पीटते हुए ले जाया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है कि उसे इस प्रकार ले जाते समय पीटा नहीं गया ? किस आधार पर कहते हैं कि नहीं पीटा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसकी जानकारी प्राप्त की है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सैकड़ों आदमी इसके गवाह हैं जिनके सामने पीटते हुए उसे ले जाया गया था। यहां तक कि एक शरणार्थी महिला तो उसको इस प्रकार पीटते हुए देख कर रोने लग गई थी। आपकी तरफ से इस प्रकार का जवाब है कि पीटते हुए नहीं ले जाया गया तो आपके पास ऐसी रिपोर्ट कैसे आती है कि उसे पीटते हुए नहीं ले जाया गया; जब कि वहां के सब लोग गवाह हैं कि उसे पीटते हुए ले जाया गया था ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने यह प्रश्न गवर्नर महोदय के अभिभाषण के समय रेज़ किया था तो इसकी जांच कराई गई और

(श्री मथुरादास माथुर)

जांच से मालूम हुआ है कि उसे पीटते हुए नहीं ले जाया गया, न उसे कहीं पीटा ही गया।

श्री अध्यक्ष : क्या उसका पोस्टमार्टम हुआ था ?

श्री मथुरादास माथुर : पोस्टमार्टम हुआ था, इमीजियेटली वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंच गये, इन्क्वेस्ट की रिपोर्ट आ गई; उसके कोरोनेरी सर्कुलेशन की कमी होने के कारण हार्ट फेल हो गया।

श्री अध्यक्ष : कोई एक्सटर्नल इन्जरी थी ?

श्री मथुरादास माथुर : External injury-nil.

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो मन्त्री महोदय फरमाते हैं कि उसके ऊपर की कोई चोट नहीं थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया गया और जिस समय वह पुलिस कस्टडी में था तो क्या उस समय बीमार था ? कोई मर्ज था जिससे उसका अचानक हार्ट फेल हो गया ?

श्री मथुरादास माथुर : पुराना हार्ट प्रेशर मालूम पड़ता है रिपोर्ट से। पुलिस कस्टडी में पसीना हुआ, सीने पर दर्द की शिकायत थी। उसके बाद उसे तांगे में बैठा कर अस्पताल ले जाया गया, दो कॉन्स्टेबल्स साइकिल पर उसके पीछे थे। रास्ते में हार्ट फेल हो गया और मर गया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उसे इस तरह साल भर पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल में रखा था, तो क्या उस समय की भी जेल की रिपोर्ट होगी कि उसे इस प्रकार की बीमारी थी ?

श्री मथुरादास माथुर : साल भर पहले की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसी मामले में पुलिस ने साल भर पहले पकड़ा था और जेल में रखा था। तो २५ साल का नौजवान था जिसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं, कुछ नहीं; वह अचानक कैसे मर जाता है ? यदि उसको कोई बीमारी थी तो उसको पहले भी पुलिस ने पकड़ा था और जेल में रखा था, आपकी कस्टडी में था और जेल में था तो उसकी जरूर मेडिकल जांच हुई होगी। तो आप देख लीजिये कि पहले उसे इस प्रकार की बीमारी थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

सड़क निर्माण

३७२. **श्री फतहसिंह** (चोहटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार बाड़मेर व चोहटन के के बीच की सड़क को डामर रोड बनाने का व उसे और चौड़ा कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं।

Page No. 4

प्रश्न संख्या ३७३

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

सड़क निर्माण

३७४. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ से करवर होकर देई नेनवा जानेवाली सड़क की मंजूरी हो चुकी है ?

(ख) क्या यह सही है कि इसका कार्य जो प्रारम्भ हो गया था इस समय बंद है ?

(ग) यदि हां, को काम बन्द होने का क्या कारण है ?

(घ) इस सड़क को कितने वर्षों में पूरा करने की सरकारी योजना है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) केवल इन्द्रगढ़ से करवर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति है।

(ख) कार्य चालू है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) योजनानुसार यह कार्य तृतीय पंच-वर्षीय योजना में पूरा होने को है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जैसा आपने बताया कि इन्द्रगढ़ की सड़क का काम चालू है, लेकिन मैं कहूंगा कि उस सड़क का काम बन्द है। कौनसी सड़क का फिर काम चालू है ? इन्द्रगढ़ से करवर की सड़क का काम वास्तव में बन्द है, चालू नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : करवर तक सड़क की स्वीकृति है। जहां तक आपने सड़क की लम्बाई पूछी है वहां तक की स्वीकृति नहीं है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भ्रष्टाचार का मामला था। ओवरसीयर और ठेकेदार की मिली। भगत थी और इस कारण से काम बन्द हुआ है; क्या यह सही नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मेरी जानकारी में नहीं है। सड़क का काम चालू है और इस साल इस सड़क का काम पूरा भी हो जायगा। यदि कोई भ्रष्टाचार की बात है तो इसलिए आप अलग से प्रश्न पूछिये मैं बताऊंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसमें घोटाला है और इसी कारण से इस सड़क का काम बन्द है ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : फिर भी पूरी हो जायगी इस साल ।

श्री छतरसिंह ।

बीज का वितरण

३७५. श्री छतरसिंह (आहोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि आहोर पंचायत समिति में वर्ष १६६१-६२ में ऐसे बीज का वितरण किया गया जो उगा ही नहीं ?

(ख) यदि हां, तो ऐसा कितना बीज

Page No. 5

(श्री छतरसिंह)

वितरित किया गया और इसको कितने क्षेत्र में बोया गया ?

(ग) क्या सरकार उन काश्तकारों की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ कड़ा कदम उठा रही है जिन्हें ऐसा बीज दिया गया था ?

(घ) क्या सरकार ने यह जांच की है कि ऐसा बीज क्यों व किस प्रकार खरीदा गया, इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्रिणी, कृषि(क श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी नहीं।

(ख) कुल २७२ मन २६ सेर बीज वितरित किया गया जो लगभग २७६ एकड़ में बोया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री छत्रसिंह : क्या यह सही है कि कुछ काश्तकारों ने आकर यह रिपोर्ट की है कि जो बीज वितरित किया गया था वह उगा ही नहीं है और कलेक्टर महोदय ने उसकी इन्क्वायरी करने के आदेश दिये हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दो-तीन की शिकायतें आयी थीं कि बीज नहीं उगा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : बीज किस भाव से खरीदा गया था ?

श्री अध्यक्ष : श्री छतरसिंह।

श्री छत्तरसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि जो बीज वितरित किया गया था वह केनेडियन बीज था और बोने लायक बीज नहीं था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरकार के पास यह रिपोर्ट है कि २७२ मन बीज २७६ एकड़ भूमि में बोया गया है। सब जगह उगा है, सिर्फ दो-तीन व्यक्तियों ने बीज न उगने की शिकायत की थी।

श्री छत्रसिंह : क्या यह सही है कि सबने इसको खाने के काम में लिया है और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की इस प्रकार की रिपोर्ट आयी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसको खाने के काम में लिया है, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आयी है।

श्री छत्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है कि रिपोर्ट आयी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर ने इस बारे में कोई जांच करायी है और उसका नतीजा क्या हुआ है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कलेक्टर के पास कोई शिकायत आई हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : अब आप यह जानकारी करा लें। माननीय सदस्य वहां के रहने वाले हैं और जो वे बात कह रहे हैं वह एक गंभीर बात है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : दो–तीन व्यक्तियों की शिकायतें आई थीं।

श्री अध्यक्ष : उन तीन की शिकायतों पर क्या हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बीज नहीं उगपाया है तो जांच करा लें।

श्री छत्तरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है कि बोने लायक बीज ही नहीं था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किस भाव से यह बीज खरीदा गया था ?

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : भाव का पता नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : तीन आदमियों के नाम बता दीजिये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उनके नाम हैं, जिन्होंने शिकायत की थी कि उगा नहीं। जिन्होंने नहीं बोया और खा गये उस सम्बन्ध में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

स्टेनोग्राफर्स का सर्किल इन्सपेक्टर्स पद पर स्थानान्तरण

३७६. **श्री फतहसिंह** (चौहटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि आई० जी० पुलिस के कार्यालय से कुछ स्टेनोग्राफर्स को पुलिस विभाग में सर्किल इन्सपेक्टर के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो वे कौन हैं व उनकी क्या योग्यता है ?

(३) उपरोक्त पदोन्नति किस कानून व नियम के तहत की गई ?

(४) क्या इससे पूर्व भी ऐसी तरक्कियां उक्त विभाग में हुई हैं ? यदि हां, तो किस २ की व कब २ ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(४) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

सड़क निर्माण

३७७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या इन्द्रगढ़ लाखेरी रोड को डामर रोड में परिवर्तित करने की स्वीकृति दे दी गई है और उसका ठेका भी दिया जा चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिए जो डामर के ड्रम आये हैं वे गत दो वर्षों से सड़क के किनारे पर पड़े हुए हैं और उनमें से डामर गर्मी में बह कर बेकार चला गया है ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(३) क्या यह भी सही है कि हर वर्ष इसका बजट लेप्स हो जाता है और ठेकेदार समय पर काम नहीं करता है ? यदि हां, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध अब तक कार्य पूरा न करने के कारण क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) कुछ ढोल काम में आ गये हैं, बाकी काम में लिये जाने को हैं । डामर की हानि नहीं हुई है ।

(३) जी नहीं । ठेकेदार को नोटिस दिये जा रहे हैं और एग्रीमेन्ट के मुताबिक नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसको ठेका किस तारीख को दिया गया था और समाप्त होने की कौनसी तारीख है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : काफी समय हो गया है ठेका दिये तो, काम सन् ५८ में पूरा होने को था । इसमें जो देरी हुई है उसके लिए ठेकेदार पर एक्शन लिया जावेगा । सड़क का काम इस साल पूरा हो जावेगा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चार साल तक यह स्थिति रही तो ठेकेदार पर क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब फाइनल बिल बनता है तब ही एक्शन लिया जाता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : दो-तीन साल इसमें और लग सकते हैं एक्शन लेने में । डामर पड़ा पड़ा बिगड़ा और सरकार की रकम डामर में खर्च हुई और जो नुकसान हुआ उसकी किससे वसूली होगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डामर बिगड़ा नहीं था, और वह तो वहां जो गैंग थी उसके चार्ज में था, कोई नुकसान नहीं हुआ ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : काम कब से शुरू हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कह दिया कि जून तक पूरा हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : ठेके की शर्तों के मुताबिक काम कब खत्म होना चाहिये था ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ५८ में हो जाना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष : चार साल तक काम नहीं हो सका तो उस ठेकेदार को नोटिस देकर उसका ठेका कैन्सल कीजिये ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अधूरे काम के ऊपर कोई ठेकेदार आता नहीं है । उसी ठेकेदार से इस काम को पूरा कराया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि अधूरा काम होने पर ठेकेदार के ठेके को कैन्सिल कर देने पर अगर नये सिरे से ठेका दिया जाय तो ठेकेदार काम पर आने के लिये तैयार है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं 'जी नहीं'; लेकिन ठेका कैन्सिल होने पर दूसरे आ जाते हैं, यह सही बात है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उनमें संगठन होता है इसलिये वे आते नहीं हैं अधूरा काम करने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : तो सरकार लोस में चलती रहे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नया ठेका दिया जाता है तो और नुक्सान होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या शरायत के अनुसार पेनेल्टी इम्पोज़ की जाती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पेनेल्टी की जावेगी जब फाइनल बिल बनेगा।

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन से काम शुरू किया ठेके की शर्तों के अनुसार पेनेल्टी इम्पोज़ की जाती है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जब फाइनल बिल बनेगा तब उस वक्त में पेनेल्टी वसूल की जावेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि ठेकेदार कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मुझे मालूम नहीं है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : आज कल जनसंघ में चला गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बिल का पेमेन्ट करने से सरकार को नुक्सान अधिक होता है इसलिए वह बिल ही पेश नहीं करता है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ऐसा नहीं है।........

श्री अध्यक्ष : यह एक गंभीर बात है। चार साल तक एक ठेकेदार इस प्रकार से कन्टीन्यू कर रहा है। यह हो सकता है कि एक केस में इस प्रकार से वह कन्टीन्यू करे लेकिन जहां तक जनरल पॉलिसी का सवाल है यह एक खतरनाक बात है और सरकारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि इस प्रकार से चार साल तक ऐसे ठेकेदार न रहें। It is a very serious thing.

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें डिले जरूर हुई है।

श्री अध्यक्ष : डिले क्या ? फोर इयर्स तक डिले होती रहे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरा अर्ज करने का मतलब है कि डिले इसमें हुई है; डिले कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : यह एक खतरनाक चीज है इस तरह से। आप एक्शन लीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक्शन लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : डिफॉल्ट होता है तो शीघ्र एक्शन लीजिये। It doesnot matter if Goverrment loses something on this.

(श्री अध्यक्ष)

At least the contractor should be pulled up.

श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

पीने के पानी की समस्या का हल-सांचोर

३७८. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) पंचायत समिति, सांचोर ने पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिये पिछले ५ वर्षों में क्या २ कदम उठाये हैं ?

(ख) क्या नेथड़ क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है ?

(ग) अगर हां, तो उस समस्या को हल करने के लिये निकट भविष्य में क्या २ कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) पीने के पानी के १५१ कुएं खोदे गये व १६ कुओं की मरम्मत की गई। इसके अतिरिक्त होडेचा गांव में बोरिंग की योजना भी शुरु की गई थी जो बाद में असफल सिद्ध हुई। ग्रामीण नल योजना के अन्तर्गत सांचोर ग्राम में नल योजना का कार्य चालू है।

(ख) जी हां।

(ग) पक्के टांके बनवाने का कार्यक्रम पंचायत समिति ने बनाया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नहर के अन्दर कोई टेस्ट बोरिंग करने का सरकार का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेस्ट बोरिंग करने का विचार नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बम्बई प्रेसिडेन्सी में सांचोर से लगते हुए एरिया में ६५० फीट नीचे मीठा पानी मिल पाया है उसको देखते हुए क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचार करेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यदि होडेचा गांव में भी गहराई में जाते तो मीठा पानी मिल सकता था। तो क्या उसको गहरा बैठाने के लिये विचार करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ४५० फीट तक बोरिंग किया था तो पानी नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि ६५० फीट गहराई तक गुजरात में मीठा पानी मिला है। नये बोरिंग के बारे में विचार किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आपने एग्रीकल्चरल वैल्स की संख्या की जानकारी दी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पीने के पानी के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

सरकारी शीशे की चोरी

३७९. श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या एह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सपोटरा तहसील में उगिर किला है और वहां पर कुछ समय

Page No. 10

(श्री गोविन्दसहाय)

पूर्व काफी तादाद में सरकारी शीशे की चोरी हुई है ?

(२) यदि हां, तो जिनके यहां माल बरामद हुआ है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा आगे उसकी सुरक्षा के लिए भी क्या कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां।

(२) जिन व्यक्तियों के यहां माल बरामद हुआ उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है और वह अभी कोर्ट में विचाराधीन है। किले की सुरक्षा का भार सब-तहसील सपोटरा के हाथ में है।

श्री गोविन्दसहाय : चोरी कितने दिन पहले हुई जिसका केस चल रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : २१-६-६० को एफ० आई० आर० हमारे थाने में दर्ज हुई।

श्री गोविन्दसहाय : उनको बरी कर दिया है, चालान नहीं किया।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि चालान कर दिया है। अदालत में मामला जेर तजवीज़ है।

श्री गोविन्दसहाय : यह बिल्कुल गलत है। चालान नहीं किया है। सपोटरा के प्रधान ने ६ हजार रुपया लेकर इस केस को दबा दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऐसे एलीगेशन्स, जो साबित न कर सकें, नहीं लगाने चाहिये कि ६ हजार रुपये ले लिये और मामले को दबा दिया। क्या सबूत है इस सम्बन्ध में ?

श्री गोविन्दसहाय : आदमी से कहलवा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : यहां कहलवाने की आवश्यकता नहीं है, न उस चीज का कोई उत्तर दिया जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : The case has been challaned in the Court of the First Class Magistrate, Karauli, where it is still pending. यह आपकी जो सूचना है वह निराधार है।

श्री गोविन्दसहाय : उनका चालान ही नहीं हुआ, उसी रिपोर्ट पर उनको बरी कर दिया गया, जिन आदमियों के खिलाफ मामला था ?

श्री मथुरादास माथुर : फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

विद्युत व्यवस्था

३८०. श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (भनेड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार की भीलवाड़ा से शाहपुरा तक बिजली ले जाने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो बिजली किन किन

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

गांवों में होकर जावेगी ?

(ग) क्या बनेड़ा भी उक्त योजना में सम्मिलित है ?

(घ) यदि हां, तो बनेड़ा में कब तक बिजली पहुंच जावेगी ?

उप-मंत्रिणी, विद्युत (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां।

(२) बनेड़ा व ढिकोला होती हुई जायेगी ।

(३) जी हां।

(४) वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में पहुंच जाने की आशा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि पॉवर हाउस, भीलवाड़ा के पास सभी सामान उपलब्ध होते हुए इस काम को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। ६२-६३ में जोड़ दिया जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप फरमा रहे हैं वह सही है, लेकिन शाहपुरा पॉवर हाउस जो सरकार के पास में है, जिसमें करीब दस हजार रुपया महीने का नुकसान हो रहा है उसकी भी पूरा करना जरूरी है। इसके लिए जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचा दी जाय तो वह नुकसान भी पूरा हो जायगा और बड़े बड़े गांवों में बिजली भी पहुंच जायगी। वहां पर सामान होते हुए भी काम क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : भीलवाड़ा से लाइन जायगी शाहपुरा से नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भीलवाड़ा से पहले शाहपुरा पहुंचाई जाय क्योंकि वहां पर नुकसान हो रहा है और वहां सामान पड़ा है, फिर भी वहां काम क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : भीलवाड़ा से हाइडल पॉवर जानेवाला है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमें जो सूचना मिली है भीलवाड़ा पॉवर हाउस से बिजली दी जायगी। भीलवाड़ा के आसपास के गांवों के अन्दर भी इसी पॉवर हाउस से बिजली दी जा रही है। मान्डल,बनेडा, शाहपुरा बीच में आते हैं। क्या इनको कनेक्शन शाहपुरा से दिया जानेवाला है ?

श्री हरिश्चन्द्र : बनेड़ा लाइट पहुंचेगी भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा से जहाजपुर।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : भीलवाड़ा तहसील के हैडक्वार्टर को भी इस साल बिजली दी जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह प्रश्न अलग है।

शराब की दूकानें

३८१. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरामाई)

क्या यह सच है कि बंबई व गुजरात राज्यों की सीमा से दस दस मील की दूरी तक राजस्थान सीमा में शराब की दूकानें हटा दी गई हैं ? यदि हां, तो बांसवाड़ा व कुशलगढ़ से कितनी शराब की दूकानें हटाई गई हैं ?

आबकारी मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : जी हां।

बांसवाड़ा जिले की, जिसमें कुशलगढ़ भी शामिल है तहसील बागीडोरा की दो शराब की दूकानें छपरा और बंजरा दिनांक १-४-६१ से हटा दी गई हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): जालोर जिले में भी ऐसी दो-तीन दूकानें हैं जो बंबई राज्य के दस मील के एरिया में हैं, वे भी हटा दी गई हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह अलग से पूछिये।

श्री हीराभाई : कुशलगढ़ में कितनी दूकानें हटाई गई, यह तो आपने बागीडोरा की बताई है ?

श्री बालकृष्ण कौल : कुशलगढ़ भी इसी में शामिल है।

श्री अध्यक्ष : आप कुशलगढ़ तहसील की पूछ रहे हैं या कुशलगढ़ शहर की पूछ रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने अर्ज किया इसमें कुशलगढ़ भी शामिल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,जयपुर) : बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को बंबई प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत दस मील के एरिया में जितनी भी शराब की दूकानें थी क्या वे सब हटा दी गई ?

श्री बालकृष्ण कौल : गुजरात सरकार के आग्रह से छः दूकानें जो दस मील के एरिया में थीं वे हटा दी गई।

श्री भैरोंसिंह : क्या सब दूकानें हटा दी गई हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने तो गिनती बता दी कि जितनी की दूकानें थीं, छः थी वे सब हटा दी गई।

श्री हीराभाई मसका बड़ा, सजनगढ़ : यहां से भी दूकानें हटा दी गई हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह दस मील से दूरी पर है।

श्री हीराभाई : मसका बड़ा कहां है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : छोटे मसके के पास।

श्री रामकिशन (बैर) : यह गांव का नाम है, शराब की किस्म नहीं है।

श्री हीराभाई : वहां जो पहले दूकानें थीं पहले तो हटा दी गई और कम से कम छः महिने बाद पीछे लगा दी गई, ग्राम पंचायत द्वारा सिफारिश करवा कर लगवाई गई है।

Page No. 13

श्री बालकृष्ण कौल : दस मील से दूरी पर है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि मैं वहां चलने का दस गुना खर्च दे सकता हूं, अगर बात सही हो तो मंत्री महोदय अट्ठारह गुना खर्चा देने को तैयार हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इसकी जानकारी करके बता दूंगा।

विद्युत वितरण

३८२. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा-सु): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चम्बल योजना से उदयपुर जिले की किन किन तहसीलों में बिजली दी जायगी ?

(ख) क्या सराड़ा व खैरवाड़ा तहसीलों में भी इसकी बिजली दी जायगी ? यदि हां, तो कब तक दी जायगी ?

उप-मंत्रिणी, विद्युत (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) उदयपुर जिले के निम्नलिखित ग्राम सन् १९६१-६२ के विद्युत के कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये थे :-

१. राजनगर

२. सनवर

३. मोही

४. भिन्डर

५. कनोड़

६. सलूम्बर।

लेकिन ट्रान्समिशन लाइनों में कुछ परिवर्तन होने तथा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इस वर्ष कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। यह इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जायगा और इस वर्ष के अन्त तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ख) इसके लिए अभी कोई योजना निर्धारित नहीं की गई है।

श्री देवीलाल मीणा : क्या इसके लिए कोई योजना निर्धारित की जायगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : योजना तो जरूर की जायगी, विकास का युग है।

पुलिस व रेवेन्यू मुकदमों की पैरवी के लिये वकीलों की नियुक्ति

३८३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या मंत्री, विधि विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राज्य में सरकारी पुलिस तथा रेवेन्यू मुकदमों की पैरवी के लिए वकीलों की नियुक्ति करने के क्या आधार हैं तथा इनका कार्य-काल क्या होता है ?

(२) इस समय राज्य में कहां कहां कौन कौन वकील नियुक्त किये हुए हैं तथा गत पांच वर्षों में कौन कौन रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) इनमें से ऐसे कितने वकील हैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

जिनका समय कार्य-काल की अवधि समाप्त होने पर बार बार बढ़ायी गयी है तथा अवधि बढ़ाने का क्या आधार है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) किसी खास मुकदमे की कानून की बारीकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरकारी अभियोक्ता मुकदमे की पैरवी के लिए विशेष तौर से नियुक्त किये जाते हैं। साधारणतया मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस के प्रोसीक्युटिंग इन्सपेक्टर व सब इन्सपेक्टर पैरवी करते हैं। जब अपराधी सैशन सुपुर्द कर दिया जाता है तब सरकारी अभियोक्ता सरकार की ओर से सैशन कोर्ट में पैरवी करता है।

सरकारी अभियोक्ता की नियुक्ति के संबंध में सम्बन्धित जिलाधीश प्रार्थना-पत्र प्राप्त करता है और उन व्यक्तियों की सिविल व क्रिमिनल की योग्यता को ध्यान में रखते हुए तथा डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज की सम्मति के साथ सरकार के खास क्रमानुसार अपनी सिफारिश भेजता है ; तदनन्तर इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

कभी कभी मुकदमे की विशेषता तथा विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियोक्ता भी नियुक्त किये जाते हैं।

सरकारी अभियोक्ता की नियुक्ति आरम्भ में छः महीने के परीक्षा-काल पर की जाती है ; इसके पश्चात् योग्यता व कार्य कुशलता की रिपोर्ट आने पर उसको तीन वर्षों के लिए स्थाई कर दिया जाता है। इसमें परीक्षा-काल भी शामिल होता है। तीन वर्ष के कार्य-काल की समाप्ति पर नियुक्ति के संबंध में फिर उपरोक्त तरीका ही अपनाया जाता है। पुनः उस व्यक्ति की भी नियुक्ति हो सकती है जिसका तीन वर्ष का कार्य काल समाप्त हो चुका है। साधारणतया साठ वर्ष....

श्री अध्यक्ष : साधारणतया साठ वर्ष ?

श्री मथुरादास माथुर : अधिक आयु वाले व्यक्ति को सरकारी अभियोक्ता नियुक्त नहीं किया जाता है।

सरकारी एडवोकेट्स, डिप्टी एडवोकेट्स तथा असिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स की नियुक्ति का आधार उच्च न्यायालय की सम्मति पर निर्भर होता है। इनका कार्य-काल समयानुसार बढ़ाया जाता है।

रेवेन्यू मामले—रेवेन्यू मामलों में सरकारी मुकदमात की पैरवी सरकारी अभियोक्ता ही करते हैं और पैनल लॉयर्स भी। पैनल लॉयर्स की नियुक्ति के समय वही तरीका अपनाया जाता है जो कि सरकारी अभियोक्ता के संबन्ध में यानी जिलाधीश की सिफारिशों से, जो कि डिस्ट्रिक्ट व सैशन्स जज की राय पर आधारित होती है। इनकी नियुक्ति ३ साल या इससे कम समय के लिये आवश्यकतानुसार की जाती है।

कभी कभी जिलाधीश अन्य वकील को भी नियुक्त कर लेते हैं; जब कि सरकारी अभियोक्ता सेशन्स के मुकदमों के कार्यभार के कारण समय निकालने में असमर्थ होता है अथवा उस जगह पर कोई पैनल लॉयर्स भी नहीं होते।

Page No. 15

(श्री मथुरादास माथुर)

(२) सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत रख दी गई हैं।

(३) २६।

उनकी कार्यकुशलता व योग्यता की रिपोर्ट जिलाधीश से प्राप्त होने पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट व सैशन्स जज की सम्मति पर आधारित होती है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास : नम्बर (३) में जैसा बतलाया गया है कि योग्यता के आधार पर यह होता है तो क्या इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर सरकार की भी राय लिया करते हैं ? सरकार भी इसमें कोई राय देती है ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां रूल्स बने हुए हैं इसके लिये जो गजट में शाया हो चुके हैं; मैं उनकी तरफ माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके अनुसार कार्यवाही होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सैशन्स जज की राय लेकर मामला सेक्रेटेरियट में भेज देता है। फिर लॉ डिपार्टमेन्ट वाले बैठ कर उस पर सिफारिश करते है और फिर हम उस पर फैसला करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आप अपने इस निर्णय में क्रमानुसार प्रिफरेन्सवाइज़ जो रिकमन्डेशन आती है इसका भी ध्यान रखते हैं या आप जैसा चाहें कर देते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइनल ऑर्डर प्रायोरिटी पर भी देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : तो प्रायोरिटी के आधार पर ही आप नियुक्ति करते हैं या इसमें परिवर्तन भी करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक होता है प्रायोरिटी के आधार पर करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जितनी रिकमन्डेशन्स आपके पास आई हैं क्या उनमें इस प्रकार की प्रायोरिटी दर्ज है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : तो जैसा आप कहते हैं कि तीन साल का समय निर्धारित किया गया है तो क्या वह तीन साल या अधिक समय का दिया जाता है तो उस अधिक समय के लिये सरकार की आज्ञा ली जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : यह समय बढ़ाने का क्या कारण होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर उसका काम ठीक रहा हो, मजिस्ट्रेट और सैशन्स जज रिकमन्ड कर देते हों।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार को मालूम है कि नागोर के पी. पी. की तीन बार रिपोर्ट की गई कि उसका काम ठीक नहीं है, उस पी. पी. को इन्कार किया जाय ; पर उसको बार बार वहां किया गया है ?

Page No. 16

श्री मथुरादास माथुर : यह मामला विचाराधीन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने यह बताया है कि २६ को दुबारा मुकर्रर किया है तो क्या आप यह बता सकते हैं कि जिन १५ को नहीं किया गया है उनके लिये क्या यह रिपोर्ट आ गई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि वे कार्यकुशल नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : उनके नाम सिफारिश करके दुबारा नहीं भेजे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब कि तीन वर्ष की अवधि के लिये ही अपोइन्टमेन्ट किया जाता है तो फिर दुबारा एक्सटेन्शन क्यों दी जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : दुबारा ही किया जाता है, एक्सटेन्शन नहीं किया जाता।

श्री मुरलीधर व्यास : राजनैतिक दृष्टिकोण भी इसमें रखा जाता है....

श्री अध्यक्ष : No speeches, Hon'ble Member.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन ४४ में से कितने आदमी कांग्रेस के मैम्बर्स हैं ?

श्री अध्यक्ष : Question dis allowed.

प्रश्न संख्या ३८४

श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

सड़क निर्माण

३८५. **श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने तहसील बड़ोद, जिला कोटा में मण्डावरा ब्रिज व मोरपा रोड के निर्माण की मन्जूरी दे दी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ब्रिज की नींव खोदने में सरकार ने कुछ धनराशि व्यय की है ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या यह सही है कि इसी प्रकार मोरपा रोड पर कुछ अर्थ-वर्क का काम सरकार द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या उपरोक्त ब्रिज व रोड का काम बन्द है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। वर्ष ६१-६२ में।

(ग) जी हां, वर्ष ६०-६१ तथा ६१-६२ में।

(घ) जी हां। मास अप्रेल, १९६२ से अर्थाभाव के कारण।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस को जिताने के लिये सिर्फ यह काम शुरू किया गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री महेन्द्रसिंह : तो फिर काम बाद में क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बजट इस साल का तो अब पास हुआ है, अब फण्ड अलॉट किया जावेगा।

श्री महेन्द्रसिंह : बजट अलॉटमेन्ट के बाद शुरू होगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : शुरू तो होगा ही।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

सहकारी समिति को बस परमिट

३८६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जनता सहकारी समिति को भीलवाड़ा-शाहपुरा का बस परमिट मिला हुआ है ?

(२) अगर हां, तो इनकी कौन सी बस इस रूट पर चलती है और इससे पांच साल में इस सहकारी समिति को कितना मुनाफा हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस बस परमिट को इस सहकारी समिति के मन्त्री ने किसी को बेच दिया है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां।

(२) बस नम्बर ४७१ आर० जे० ई० चलती है। इस कार्य में पांच साल में समिति को ११,१११.८७ न. पै. का लाभ हुआ है।

(३) जी नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने फरमाया कि परमिट किसी को बेचा नहीं गया है। मेरे पास यह फाइल है और इसमें सहकारी समिति को जो वकील ने नोटिस दिया है उसमें साफ है कि आठ हजार रूपये में यह हमने आपको लाइसेन्स बेच दिया है और इसको रकम नहीं आई है सो जल्दी से जल्दी यह रकम दिलाई जाय। क्या यह सही नहीं है ? यह उसको नोटिस है जो वकील की तरफ से दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगर ऐसा है तो परमिट कैंसल हो सकता है ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी से।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : परमिट को कैंसिल करने के लिये ही ट्रान्सपोर्ट विभाग ने तीन महीने तक कार्यवाही चलाई है और यह भी किया गया कि इसको ट्रान्सफर कर दिया जावे। आर. टी. ओ. ने इसकी इजाजत नहीं दी और इसलिये ४७१ नम्बर की बस उसके नाम पर चल रही है और वह बेचदी गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : परमिट तो समिति के नाम पर है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो सही है। इसलिये लिखा है कि नाम पर होते हुए भी पांच साल तक आमदनी होती है वह सहकारी समिति में न तो जमा है, न सहकारी समिति काम ही कर रही है। वह तो सहकारी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

समिति खत्म हो गई है। लिक्विडेशन में आने को है।

श्री अध्यक्ष : यह तो उनका सिविल राइट है। दावा करें उसके लिए नोटिस दे। सरकार से इसका क्या सम्बन्ध है ? समिति कार्य नहीं कर रही है तो लिक्विडेशन में लाने की कार्यवाही हो सकती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह नहीं साहब। इस सहकारी समिति का यह नियम है कि परमिट किसी पार्टी को बेचा नहीं जा सकता। इसलिए यह बेचना नाजायज़ है उसके नियमों के अनुसार।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सहकारी समिति ने बस खरीदी तो थी, कुछ रुपया भी हिस्सा पूंजी का था, कुछ दूसरों से कर्जे पर लिया था। अब जिस आदमी से कर्जे पर लिया था वह उसे वापिस मांगता है। रुपया नहीं होगा समिति के पास इसलिये कह दिया होगा कि गाड़ी दे दीजिये। तो यह मामला होगा। पर परमिट तो अभी उसके नाम का ही है। पर अब वह उधार वाला गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहा है इसलिये लिक्विडेशन में जाने की बात चल रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा आपने फरमाया कि ४७१ नम्बर की गाड़ी चल रही है तो क्या यह सही नहीं है कि पहले इस परमिट पर १११ नम्बर की गाड़ी चलती थी और अब ४७१ चलती है ? नये आदमी को बेचने के बाद ४७१ नम्बर की गाड़ी लगाई गई है बजाय १११ के जो सहकारी समिति की थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक बात है, वह पुरानी हो गई थी, दुबारा लाई थी समिति वह गाड़ी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह ग्यारह हजार का मुनाफा पांच साल में बताया है, तो क्या यह फिगर किसी ऑडिट की रिपोर्ट पर आधारित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): ४७१ की ओनरशिप किसके नाम रजिस्टर्ड है ?

श्री अध्यक्ष : That is a legal question. It cannot be registered.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह कौनसे साल तक का मुनाफा है ?

श्री अध्यक्ष : लिक्विडेशन की कार्यवाही हो रही है। यह जो है पांच साल का, पहले का मुनाफा है। समिति अब ठीक तरह से काम नहीं करती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : खास मकसद मेरा पूछने का यह है कि समिति गाड़ी बेच सकती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह तो हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

बारां में नल व बिजली की व्यवस्था

३८७. भैरवलाल 'कालाबादल' (अक्लेरा-

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

मु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बारां, जिला कोटा में नल व बिजली की व्यवस्था के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(२) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि नल और बिजली की ठीक व्यवस्था न होने से मंडी के व्यापार में बाधाएं होती रहती हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) नल की योजना बन कर सरकार के पास आ चुकी है। उस पर आगे विचार करने से पूर्व सम्बन्धित नगरपालिका से आवश्यक जानकारी मांगी गई है।

बिजली की व्यवस्था के लिये एक बिजली घर बना लिया गया है तथा वहां की नगरपालिका को सौंप दिया गया है।

(२) इस प्रकार की कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या सरकार को यह जानकारी है कि मण्डी में अनाज लेकर आने वाले किसान को और उनके बैलों को पीने का पानी नहीं मिलता वहां पर ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी सूचना मेरे पास तो नहीं है। हो सकता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : और क्या यह भी मालूम है कि मण्डी एरिया में छाया का प्रबन्ध नहीं होने से किसान और उसके बैलों को दिन भर बिल्कुल धूप में रहना पड़ता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': क्या सरकार को यह भी मालूम है कि मण्डी के चारों तरफ बाउन्ड्री नहीं होने से किसान की गाड़ियों में से अनाज आवारा मवेशी खा जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह भी हो सकता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': क्या सीमा बाउन्ड्री नहीं होने से और बिजली नहीं होने से किसान के माल की चोरी हो जाती है ? किसान माल बेच भी दे तो रुपया भी उसके पास रहता है और अन्धेरे में रात्रि को वहां सोता है तो बिजली बार बार बन्द हो जाने से किसान का माल और पैसा चोरी हो जाता है, क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री अध्यक्ष : आप वहां पर बिजली चाहते हैं और पानी की व्यवस्था। वह तो म्यूनिसिपेलिटी करेगी, सरकार थोड़े ही करेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': चोरी भी हो जाती है बिजली ठीक नहीं से और नल न होने से मवेशियों को और किसान को बहुत दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष : जिम्मेदारी किसकी है नल बिजली देने की, सरकार की अथवा नगरपालिका की ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : नगरपालिका भी तो सरकार का अंग है।

श्री दयाचन्द सौन (बारां-सु०) : क्या यह सही है कि नल लगाने के लिये सूचना मांगी है ?

श्री अध्यक्ष : हो सकता है ।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद ।

खाद-विक्रय

१८८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के नहरी क्षेत्रों में किसानों ने पानी लेकर पिलाई करना प्रारम्भ कर दिया है ?

(२) क्या यह सही है कि गत वर्ष जिन खेतों को नहर का पानी पिलाया गया था उन की उपज इस वर्ष नहीं के बराबर है ?

(३) क्या यह सही है कि खाद की कमी के कारण पैदावार अधिक के बजाय कम होती जा रही है ?

(४) क्या सरकार नहरी क्षेत्रों में खाद बिक्री के लिये डिपो कायम करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्रिणी, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ। अगली टर्न पर दे देंगे।

जिला व उप-जिला हैडक्वार्टर्स को तहसील हैडक्वार्टर्स से सड़कों द्वारा मिलाना

१८९. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार की तहसील हैड क्वार्टर को जिला व उप-जिला के हैड क्वार्टरों से सड़कों द्वारा मिलाये जाने की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो आसीन्द तहसील हैड क्वार्टर को कब तक जिला व उप-जिला के हैड क्वार्टर से सड़कों द्वारा मिलाने की योजना है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) तहसील हैडक्वार्टर को जिला हैड क्वार्टर से व उप-जिले के हैडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से जोड़ने की योजना है ।

(२) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्य आरम्भ होकर चतुर्थ योजना के प्रारंभिक सालों में पूर्ण होने को है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या भीलवाड़ा जिले में ये दोनों सड़कें ऐसी हैं कि जो अभी तक नहीं बन सकी हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने उत्तर दिया है कि वे अब शुरू होंगी तो वे तो नहीं ही बन सकीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि आसींद से ब्यावर १४ मील है और आसीन्द से विजयनगर और गुलाबपुरा होकर ब्यावर लम्बे रूट से जाना पड़ता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसलिए ही तो यह सड़क बनाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह।

सहकारी समितियों से बकाया रकम की वसूली

३६०. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि १६५८ में भीलवाड़ा कृषि विभाग से लोड़ महुवा सहकारी समिति के मंत्री को गेहूं, काकड़ा का बीज दिया गया था व खाद के थेले भी ?

(ख) यदि हां, तो कितनी तादाद में ?

(ग) क्या यह सही है कि रकम की वसूली आज तक नहीं हुई, न अब भी की जा रही है ?

(घ) क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को यह सामान दिया गया था वे अब मंत्री नहीं रहे हैं ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि इस समिति में करीब १७,००० रुपये तीन साल से ओवरड्यू हैं ?

(च) अगर हां, तो इसकी वसूली क्यों नहीं हो रही है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी हां।

(ख) गेहूँ १४६ मन ३ सेर, काकड़ा (कपास) का बीज ६० मन और खाद के ११८ थेले।

(ग) ये वस्तुएं कृषि विभाग द्वारा दी गई थी, वहीं से वसूली की कार्यवाही हुई है और की जा रही है। इस विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब यह बताया गया कि इतनी इतनी चीजें सहकारी समिति को दी गयी हैं और उसके साथ ही यह भी कहा गया कि यह एक विभाग के द्वारा दी गई हैं इसलिए वसूली का प्रश्न नहीं उठता और साथ ही उत्तर में आपने यह भी कहा कि वसूली की जा रही है तो इसमें से कौनसी चीज सही है वह सही है कि जिसमें आपने कहा है कि वसूली का प्रश्न नहीं उठता या वह कि वसूली की जा रही है, कौनसी बात सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा है कि वसूली की जा रही है, पर साथ ही यह भी कहा कि इस विभाग से वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या सहकारी समिति में कोई रकम बकाया है ? अगर बकाया है तो वह सहकारी समिति का विभाग ही उससे वसूल करेगा और इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी विभाग द्वारा पंचायत समिति

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को लिखा गया है कि सहकारी समिति से यह रुपया वसूल किया जाये, क्या यह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सहकारी विभाग का ही वसूली का काम नहीं है। जो बैंकों से कर्जा दिया जाता है वह सहकारी विभाग करता है और जो बीज, खाद वगैरह दिया जाता है वह डिपार्टमेन्ट वसूल करता है और उसकी जिम्मेदारी अब पंचायत समिति को ट्रान्सफर हो गयी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि जिन महाशय को ये सारी चीजें दी गई थीं उन्होंने इस सहकारी समिति से इस्तीफा दे दिया है और उससे वे अलग हो गये हैं और सहकारी समिति के किसी भी रजिस्टर में इन चीजों की एन्ट्री नहीं है और यह पूछे जाने पर कि यह सामान सहकारी समिति को मिला तो वहां से उत्तर मिला कि कोई सामान नहीं मिला है और इसकी एन्ट्री सहकारी समिति के किसी भी रजिस्टर में नहीं है ? या तो इसकी इन्क्वायरी करायें किसी कमीशन को बैठा कर या फिर आप यह उत्तर देने के लिए तैयार हों कि इसकी एन्ट्री सहकारी समिति के रजिस्टर में है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये तो बराबर इन्द्राज हैं और उनसे वसूली की कार्यवाही जारी है और यह मैं कह चुका हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या यह सही है कि पंचायत समिति में यह सारा सामान जो उनको दिया जाता है; बीज, खाद और रुपया-पैसा, इसकी जिम्मेदारी वहां की पंचायत समिति के प्रधान की है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह उस समय दिया गया था........

श्री अध्यक्ष : यह आपसे नहीं पूछा जा रहा है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या आप ही प्रधान हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो फरमाया गया कि जितना भी सामान दिया गया है और इसका जितना भी पैसा हुआ है उसकी वसूली की जा रही है, तो क्या यह बताया जा सकता है कि २,२५०) रुपयों में से कितना रुपया अब तक वसूल हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सवाल को फिर से जानना चाहूंगा। क्या आपने यह पूछा है कि इस समिति को रुपया ऋण का मिला और उसमें से कितने की वसूली हो चुकी है; यह पूछा आपने ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह नहीं; यह पूछा है कि सहकारी समिति में जो पैसा बकाया है और आपने कहा कि इसकी वसूली जारी है, तो कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

प्रश्न संख्या ३६१

श्री अध्यक्ष : श्री हरफूल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६२

श्री अभयसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री महेन्द्रसिंह ।

सरपंच का निलम्बन

३६३. **श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सरपंच, विकास पंचायत कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर को पंचायत एक्ट की धारा १७ (४) के अन्तर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इसकी जांच की है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सरपंच को तारीख १३-१२-६१ को सस्पेन्ड कर दिया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि इस सस्पेन्शन को २६-१२-६१ को केन्सिल कर दिया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ? आगे इसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

श्री महेन्द्रसिंह : ४ ही हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास ५ लिखे हैं । ५वें को ४ का दूसरा हिस्सा समझ लें और आप थक गये हों तो मैं बैठ जाऊं ।

(५) जी हां, श्री दामोदर के आवेदन-पत्र पर पुनर्विचार कर निलम्बन की आज्ञा वापिस ली गई । सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोप में कुछ ऐसा है कि जिसके सम्बन्ध में अदालत में मुकदमा चल रहा है । अत: विभाग से कार्यवाही का निर्णय अदालत के मुकदमे के निर्णय के पश्चात् ही किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि सस्पेन्ड करने से पहले श्री दामोदर को नोटिस दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नोटिस तो जरूर दिया गया होगा ।

श्री भैरोंसिंह ; जब नोटिस जरूरी तौर पर दिया गया होगा तो जो आवेदन-पत्र सस्पेन्ड करने के बाद में आया; उसमें और उस नोटिस में जो कि सस्पेन्ड करने के पहले दिया गया उसका जवाब आया उसमें क्या अन्तर था जिसको एक बार सस्पेन्ड करना पड़ा और दूसरी बार री-इन्स्टेट करना पड़ा ?

(विराम)

और पंच का ही सस्पेन्शन हुआ है, हाउस का थोड़े ही हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें अन्तर क्या था, इसका अभी मुझे ठीक तरह से पता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

सड़क निर्माण

३६४. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सवाई माधोपुर जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी सड़कें बनाने का प्रावधान है ?

(ख) क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में श्री महावीरजी में गंभीर नदी पर पुल बनाने का प्रावधान था ?

(ग) यदि हां, तो अब तक उसका कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ ?

(घ) क्या यह सही है कि ठिकाना श्री महावीरजी ने इस सम्बन्ध में एक लाख रुपया जमा कराया है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) सूची प्रस्तुत है।

(ख) जी हां।

(ग) पुल की साइट तय करने में समय लग गया। अब टेंडर आमंत्रित कर लिये हैं जो स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं।

(घ) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गोविन्दसहाय : क्या यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा होने का था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री गोविन्दसहाय : यह रुपया ठिकाना महावीरजी से पहले क्यों लिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस प्रकार की पहले से ही शर्त थी। उसके बाद साइट देखने का एस्टीमेट्स बनाने का और डिज़ाइन बनाने का काम हुआ।

श्री गोविन्दसहाय : रुपया जमा कराये कितने दिन हो गए ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सन् १९५९ के आखीर में।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

पंचायत समिति, सिकराय द्वारा अग्नि व बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मांगी गयी धन-राशि

३६५. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिकराय पंचायत समिति को अग्नि एवं बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ कोई धनराशि बजट ६०–६१ व ६१–६२ में नहीं दी गई है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा इस प्रकार की सहायता दिये जाने की मांग की गई है ?

(४) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां,

(२) बजट में इस प्रकार की धनराशि नहीं रखी जाती ।

(३) जी हां,

(४) विचाराधीन है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या दूसरी पंचायत समितियों के बजट में इस प्रकार की रकम सरकार के बजट में रखी गयी है और इस बजट से पंचायत समितियों को रकम नहीं दी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत समितियों के बजट में कोई इस प्रकार का नहीं है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : दूसरी पंचायतों को जो मंजूरी दी जाती है वह किस बजट से दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ऐसा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में इस फ्लड एण्ड फायर का अलग बजट रहता है वह कलेक्टर को अलग से अलॉट कर दिया जाता है और जब ज्यादा अमाउन्ट की जरूरत होती है तो समय समय पर और अलॉटमेन्ट किया जा सकता है और पंचायत समितियों के लिये जो एक्शन लेने की बात है वह जांच करके तुरन्त जो मदद देने की जरूरत है वह अपने पी० डी० अकाउन्ट से दे सकते हैं और उसके बाद में रिटर्न कर सकते हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जो यह बताया कि गवर्नमेन्ट से नहीं देते हैं बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से कहा जाता है कि पंचायत समिति से तो और दूसरी पंचायत समितियों को वहां से १५-१५ रुपये इन छांद और टीनों के लिए समिति को दिये जाते हैं और बजट के अनुसार दिये जाते हैं। यह इतना सा अमाउन्ट दिया जाता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बजट में पंचायत समितियों के लिए प्रावधान नहीं है । जो तुरंत रिलीफ देना उचित समझते हैं वह अपने पी० डी० अकाउन्ट से देते हैं और उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से ले लेते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जिला कलेक्टर को इतनी कम राशि दी जाती है कि जितनी भी जरूरत है वह पूरी नहीं होती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : रकम का तो अलॉटमेन्ट करती है । एक दफा बहस हुई थी, मैंने उत्तर दिया था । रकम तो उसके बारे में जरूरत के मुताबिक बढ़ायी जायेगी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या गवर्नमेन्ट इसके लिए सामान्य रुप से इस आवश्यक कार्यवाही के लिये धनराशि देने का निश्चय करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है । उनके पास पी०डी० अकाउन्ट ऐसा है कि जिसमें से चाहे जिस समय जितनी राशि उसमें से दे सकते हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : रूरल एरिया में प्रति वर्ष पचासों गांवों में आग लग जाती है और इसकी आवश्यकता को समझ कर धनराशि नियत नहीं करने के क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि पी० डी० अकाउन्ट उनके पास बहुत बड़ा अकाउन्ट है, उसमें से वे चाहे जितना अमाउन्ट ले सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या पंचायत समिति इस प्रकार से धन जिन लोगों को तकलीफ होती है उनको देदे तो सब बजट को स्वीकृत कर लिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस बारे में अभी नहीं कह सकता। जैसा केस होगा उस पर जो कार्यवाही वाजिब होगी वह की जायगी।

श्री अध्यक्ष : पंचायत समितियों के जो स्वयं के फण्ड्स हैं उनमें से दे दे तो सरकार उसको स्वीकार कर सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्वयं के फण्ड्स से पंचायत समिति दे सकती है।

तिजारा-कोटकासिम रोड

३६६. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि तिजारा से कोटकासिम तक कच्ची सड़क होने के कारण मोटरों से यात्रा करने वालों को भारी कठिनाई होती है ?

(ख) क्या सरकार इस सड़क को पक्की बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह सड़क पक्की बन जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (क) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(ख) अर्थाभाव के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाना सम्भव नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : विभाग को जानकारी नहीं है कि तिजारे के लोगों को दिक्कत होती है या नहीं ? क्या विभाग इतना उदासीन है कि जनता की शिकायतों के बारे में कोई जानकारी नहीं कर सकता जब कि २५ तारीख को नोटिस भेज दिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह यात्रियों के बारे में पूछा है। इसका सम्बन्ध क्या है विभाग से ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उत्तर क्लियर नहीं हुआ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उत्तर तो क्लियर दे दिया। जो यात्रा करते हैं उन यात्रियों को मालूम हो सकता है, विभाग को क्या मालूम हो सकता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या विभाग एक निर्जीव चीज है ; आदमी नहीं हैं विभाग में ?

श्री अध्यक्ष : ट्रान्सपोर्ट विभाग को मालूम हो सकता है।

श्री हरिराम चौहान : इसको जल्दी बनवाने के लिए कुछ विचार कर सकती है सरकार ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विचार करेंगे ।

श्री हरिराम चौहान : कौन सी ?

श्री अध्यक्ष: चौथी पंचवर्षीय योजना में ।

विद्युत दर पर पुनर्विचार

३६९. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Will the Minister for Power be pleased to state:-

(1) Whether the revision of Electric tariff is under consideration of the Government ?

(2) If so, when is the same expected to be finalised ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (1) Yes, it is under consideration of the Government.

(2) The tariff is expected to be finalised in about 6 months.

श्री रामानन्द अग्रवाल : May I know why so much delay is being caused in preparing this tariff ?

श्री हरिश्चन्द्र : The question of tariff is quite a complicated one. In this respect that there are three types of generation in Rajasthan. These are diesel, steam and hydel. So if we are going to have an integrated system of tariff it definitely deserves consideration and takes time.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Since how long this matter is under consideration of the Electricity Board ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, जब कि राज्य भाषा हिन्दी है तो प्रश्न यदि हिन्दी में पूछे जायं तो हम लोग भी समझ सकें ।

उप-मन्त्रिणी, विद्युत (श्रीमती कमला बेनीवाल) : इस कमेटी की मीटिंग ७ अक्टूबर, १९६१ को हुई थी और इसने अपने प्रोपोज़ल्स जो तैयार कर रखे हैं उन प्रोपोज़ल्स पर कन्सीडरेशन हो रहा है । वह छः महीने के अन्दर अन्दर तय हो जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या टेरिफ तय हो जायगा ? तो इतनी देर लगने के कारण कन्ज्यूमर्स को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है तो क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि नई टेरिफ होगी तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जायगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें इतनी देर हो रही है और हमारा नुकसान हो रहा है तो आम कन्ज्यूमर्स क्यों भुगतें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : देरी से नहीं हो रहा है, कायदे से बहुत जल्दी करवाने की कोशिश की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट के समय इस बात पर बहस हो सकती है ।

Page No. 28

(श्री अध्यक्ष)

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री हरदत्तसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री हरफूल।

सवाईमाधोपुर-खण्डार रोड

३६१. **श्री हरफूल** (खंडार) [श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) सवाई माधोपुर से खंडार जानेवाली सड़क का सोलिंग दो साल से कुटा हुआ होने पर भी उसे अभी तक पूरा नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(ख) अब कब तक उस सड़क का कार्य पूरा कर दिया जायगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) ठेकेदार द्वारा मेटल इकट्ठा न करने के कारण।

(ख) आशा है इसी वित्तीय वर्ष में।

चोरियां और माल की बरामदगी

३६२. **श्री अभयसिंह** (बस्सी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या १९५९-६० में जो बस्सी थाने के अन्तर्गत निम्नांकित चोरियां, जिन सब की रिपोर्ट नियमानुसार पुलिस थाने को दी जा चुकी थी, ज्यादातर दिन में हुई थीं ? क्या उनमें से एक भी बरामद हुई है ? अगर नहीं, तो क्यों :-

(१)	धन्नालाल, कुथाडा	१५,०००)
(२)	छोटूलाल, कुथाडा	१,५००)
(३)	गुलाराम, कुथाडा	१,२००)
(४)	पुजारी, खोखाला	३,०००)
(५)	नोट ग्राम खेडी	२,५००)
(६)	हरिजन, मोहनपुरा	१,०००)
(७)	लादूराम, बस्सी	६,०००)
(८)	हजारीलाल, बस्सी	१,५००)
(९)	विश्वेश्वरनाथ, नायब तहसीलदार	१,२००)
(१०)	महादेव पांडा, बस्सी	८००)
(११)	रामानन्द, बस्सी	१,५००)
(१२)	ग्राम कानोता	२,५००)

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) सन् १९५९-६० में बस्सी थाने के अन्तर्गत प्रश्न में अंकित १२ चोरियों में से क्रम संख्या २ पर अंकित चोरी की कोई सूचना थाने पर प्राप्त नहीं हुई।

शेष ११ चोरियों में से अधिकांश चोरियां दिन में हुई। केवल एक चोरी में कुछ बरामदगी हुई व शेष में पता न लगने के कारण फाइनल रिपोर्ट दी गई। इन चोरियों में सांसी गिरोह पर सन्देह है जो अभी तक फरार है।

श्री अभयसिंह : कब तक उम्मीद की जा सकती है कि वे बरामद की जा सकेंगी ?

श्री मथुरादास माथुर : जब तक कि फरार लोग गिरफ्तार नहीं हो जायं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : फाइनल ही दे दिया तो बाकी क्या रह गया।

श्री मथुरादास माथुर : बाद में पकड़े गये तो फिर रिवाइव कर देंगे। क्या करें दो साल हो गये, कब तक उनको रोके बैठे रहें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(८-५५ म० पू०)

बीकानेर शहर में जानवरों के लिये पेय जल की व्यवस्था करने सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत बीकानेर शहर में जानवरों को पीने का पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इन जानवरों के पीने के पानी के संबंध में जो बात कही है उसके संबंध में यह है कि बीकानेर जेल वैल के पास में एक कुण्ड है। गूजर मोहल्ले के मवेशी उससे पानी पीते थे, लेकिन ५-६ महीने पूर्व वहां के निवासियों ने एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर से यह प्रार्थना की थी कि हमारे मवेशी दूर से आते हैं इसलिए हमारे मोहल्ले में ही कुण्ड बनवा दिया जाय तो सुविधा होगी। उनके मोहल्ले में कुण्ड बना दिया गया और इस कुण्ड को बन्द कर दिया गया, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन महीने, २८ दिन पहले बीकानेर के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर को यह बात कही कि इसको वापिस रिकनेक्ट कर दिया जाय और माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि उनको रिकनेक्ट करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं और रिकनेक्ट हो भी गया होगा।

श्री अध्यक्ष : टेलीफोन से काम हो गया। बहुत अच्छा किया।

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२

(विचार-विमर्श)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of Order, Sir, जो फाइनेन्स बिल प्रस्तुत करने की मांग है उक्त फाइनेन्स बिल तब तक सदन में पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि गवर्नर साहब की इसमें रिकमन्डेशन नहीं हो और यह बिल जिस तरह से मेम्बर्स को सर्क्युलेट किया गया है उससे जाहिर नहीं होता है कि इस पर गवर्नर साहब की रिकमन्डेशन हाउस के सामने पेश करने की है। इसलिए मैं आर्टिकल २०७ ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत यह

Page No. 30

\

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

एतराज करता हूँ कि जब तक गवर्नर साहब की रिकमन्डेशन इसमें नहीं हो तब तक यह बिल सदन के समक्ष विचारार्थ नहीं लिया जा सकता और न यह बिल सदन में पेश किया जा सकता है । आर्टिकल २०७ इस प्रकार है :

"(1) A Bill or amendment making provision for any matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council."

इसलिए इस बिल को चूंकि गवर्नर साहब की रिकमन्डेशन मूव करने की नहीं है और जो बिल सर्क्युलेट किया गया है उससे जाहिर नहीं होता है कि उनकी रिकमन्डेशन इसमें हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को सदन में उनकी बिना रिकमन्डेशन के पेश नहीं किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है और जैसा कि उन्होंने पढ़ कर सुनाया यह बिल के इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर आपत्ति आती तो विचार किया जा सकता था । बिल पहले इन्ट्रोड्यूस हो चुका है । यह सैकन्ड स्टेज, कन्सीडरेशन की स्टेज पर है और जहां तक गवर्नर महोदय की रिकमन्डेशन का सवाल है वह हासिल हो चुकी है और हासिल होने के बाद ही सदन में उसको इन्ट्रोड्यूस करने के लिए अनुमति दी गई थी । इसलिए माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है वह अस्वीकार की जाती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एनोदर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस बिल के पास होने पर इसमें जो प्रोविज़न्स हैं उनसे कन्सोलिडेटेड फण्ड ऑफ दी स्टेट पर कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिसके लिए गवर्नर साहब की रिकमन्डेशन हाउस के सामने होनी चाहिये कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय और वह बिल तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरह की रिकमन्डेशन हाउस के सामने नहीं हो । मैं आपके समक्ष आर्टिकल २०७ की सब क्लॉज (३) जो है उसको पढ़ता हूँ :—

Article No. 207, sub-clause (3): "A Bill, which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the legislature of the State unless the Governor has recommended to that House the consideration of the Bill."

जो इस बिल के पास होने से कंसोलिडेटेड फण्ड में से खर्चा होगा और जैसा कि इस बिल में नया प्रोविजन करके सेक्शन २१ में जोड़ा है ; जिसके अनुसार पॉवर टू कलेक्ट स्टेटिस्टिक्स का प्रावधान रखा है और उनको इकट्ठा करने में जो दीगर खर्चे कंसोलिडेटेड फंड में से होंगे इसलिये निवेदन है कि जब तक इस तरह की रिकमन्डेशन सदन के सामने न हो और इस बिल से जाहिर है कि इसमें खर्चा होगा इसलिये यह आवश्यक है कि जब तक रिकमन्डेशन गवर्नर महोदय की हाउस के समक्ष न हो तब तक इसका इन्ट्रोडक्शन हो जाने पर भी इसे पास नहीं किया जा सकता ।

Page No. 31

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की दूसरी आपत्ति पहली आपत्ति से सम्बन्धित है। प्रश्न यह है कि गवर्नर महोदय की रिकमन्डेशन आई या नहीं, या सदन के समक्ष है या नहीं है; मैं पहले ही कह चुका हूं कि गवर्नर महोदय की रिकमन्डेशन आ चुकी है और उसके बाद सदन में उपस्थित करने की स्वीकृति दी गई है। इसलिये उनकी दूसरी आपत्ति भी अस्वीकार की जाती है।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने राजस्थान फाइनेन्स बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की स्थिति में यह बिल हमारे व्यापारियों से इतना संबंध रखने वाला बिल है, यह महसूस करके चलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में कस्टम ड्यूटी हटाई गई उस समय से लेकर अब तक यदि इस मद से होने वाली आय को देखा जाय तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट होगा कि सन् १९५५-५६ में केवल सेल्स टैक्स से १४५.४१ लाख रुपयों की आमदनी थी। वह आमदनी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ६२-६३ में ५८१ लाख रुपये हो गई। मुझे याद है अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह कानून बना था उस समय हमारी सरकार ने स्पष्ट शब्दों में यह बताया था कि सेल्स टैक्स लगाने का अर्थ केवल कस्टम ड्यूटी को बदलना मात्र है। कस्टम ड्यूटी बदल दी गई। इसमें कुछ कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टीज़ थीं इस कारण हम कस्टम ड्यूटी को चालू नहीं रख सकते थे, लेकिन जिस घड़ी से सेल्स टैक्स बढ़ाया गया उससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने इस टैक्स को कामधेनु बनाया है। जिस प्रकार, जिस समय सरकार को आवश्यकता हो पैसे की वह सेल्स टैक्स के अन्दर वृद्धि करके अपने वित्तीय कोष की व्यवस्था करती है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस टैक्स को बढ़ाने से जहां एक ओर सरकार के खजाने में आमदनी होती है वहां हमारे राजस्थान का व्यवसाय भी मरता है। इन दोनों पहलुओं को अगर हम एक साथ लेकर आंकें तो मान कर चलना पड़ेगा कि जितना ज्यादा टैक्स बढ़ाने की चेष्टा करेंगे उतनी ज्यादा टैक्स की चोरी होगी और इसकी चोरी करने में जो व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय पर उल्टा असर पड़ेगा। हिन्दुस्तान की सरकार ने अब तक लगभग ३ एक्सपर्ट्स कमेटियां बैठाई थीं; एक श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में, दूसरी बाकी और व्यक्तियों की अध्यक्षता में बनी थी। उनकी रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है कि आज का जो हमारा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसमें यदि सुधार नहीं किया गया तो टैक्सेज़ का लीकेज ज्यादा से ज्यादा होगा ; बल्कि श्री महावीर त्यागी ने तो यहां तक कहा कि टैक्स का लीकेज २५० करोड़ से ४०० करोड़ प्रति वर्ष है। इस टैक्स के लीकेज को बन्द करने के लिए हमें सेल्स टैक्स और बाकी के टैक्सेज़ बढ़ाने के जो कानून बने हैं उनका सरलीकरण करना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी, वे चाहे सदन के अन्दर घोषणा करना अपना अपमान समझते हैं, उन्होंने सदन में घोषणा न करके व्यापारियों के सम्मेलन में यह घोषणा अवश्य

(श्री भैरोंसिंह)

की कि सेल्स टैक्स में जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए समिति नियुक्त की जायगी। मैं नहीं समझता कि यह घोषणा उन्होंने फाइनेन्स मिनिस्टर को पूछे बिना की होगी। लेकिन मैं ऐसा अवश्य समझता हूँ कि फाइनेन्स मिनिस्टर के अधिकारों के ऊपर और सदन के बाहर घोषणा करने से उनके अधिकारों का तो अतिक्रमण है ही लेकिन सदन का भी अपमान है। इसी तरह से राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी को माननीय अध्यक्ष के द्वारा पिछले वर्ष में भी आगाह किया गया था कि जिन दिनों विधान सभा की बैठक चलती है उन दिनों में यदि सरकार को महत्वपूर्ण घोषणा करनी है तो सदन में की जाय। लेकिन उन्होंने एक ही बात से वित्त मन्त्रीजी की और सदन की दोनों की इज्जत हतक कर दी। लेकिन खैर; सदन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगा, वह तो सदन बतायेगा लेकिन वित्त मन्त्रीजी क्या कार्यवाही करनेवाले हैं वह अभी हमारे सामने आयेगा।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने कुछ टैक्सेज़ बढ़ाये हैं। पिछले वर्ष ४६० लाख था वह इस वर्ष ५२१ लाख होगा। बजट स्पीच के अनुसार ये टैक्सेज़ ६६ लाख रुपयों के होंगे। इसके अन्दर भी हमारी सरकार ने केटल पर टैक्स लगाना चाहा था, इसे लगाने की योजना की थी उसे सरकार ने बन्द किया है। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण क्या है? सेल्स टैक्स लागू करने के लिए सरकार के पास कौनसा ऐसा आधार है जिसको लेकर सरकार एसेस करती है कि अमुक आर्टिकल के ऊपर, अमुक ट्रेडर पर और अमुक बिज़नेस पर हमें अमुक सीमा में टैक्स लगाना चाहिये। आज तक सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया। लेकिन सरकार इसके ऊपर आंकड़े निर्धारित कर लेती है कि ६२-६३ में ६० लाख या ६६ लाख के टैक्स लगाने हैं। किस पर यह टैक्स लगाया जा सकता है, इसका एक आधार उनके पास यह है कि जिसमें कम है या बिल्कुल नहीं है उन चीजों पर टैक्स लगा दिया जाय। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने अब तक जो टैक्स लगाये हैं उनका व्यापारियों पर कितना असर पड़ा है, इसका अन्दाजा लगाया होगा? मैं मान कर चलूंगा कि हमारे टैक्सेज के कारण राजस्थान के व्यवसाय धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं।

सरकार एक तरफ कहती है कि कॉटेज इन्डस्ट्री पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये; लेकिन जो रॉ मेटीरियल होता है उस पर टैक्स लगा देते हैं तो उसका सीधा असर कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ पर और उनके डेवलपमेन्ट पर पड़ता है। जयपुर में हाथ से काम करने वाले कारीगर चन्दन की लकड़ी खरीद कर छोटे छोटे जानवर बनाते हैं या और काम करते हैं उन पर जब टैक्स लगता है तो उसके कारण न वे हिसाब रख सकते हैं, न हिसाब पेश कर सकते हैं और न रजिस्टर मेन्टेन कर सकते हैं और न बाधाओं को पार सकते हैं। वैसी हालत में जिनका बिज़नेस एक दिन का १) रुपया है वह एक दिन में १) रु० कमाने वाला व्यक्ति इस रॉ मेटीरियल के कारण इतना परेशान होता है कि जिसके कारण वह बिज़नेस धीरे धीरे ठप्प होता जा रहा है।

मुझे ऐसा लगता है सभापति महोदय, कि राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसा तय कर

Page No. 33

(श्री भैरोंसिंह)

लिया है कि हम छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगायें, चाहे बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत न पड़े, चाहे नेशनल बॉल बियरिंग के ऊपर टैक्स न लगायें; हमने सेल्स टैक्स का शिड्यूल तय किया उसमें कुछ चीजें प्रेस्क्राइब की हैं कि अमुक प्रकार के इन्डस्ट्रियल रॉ मेटीरियल के ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स नहीं लगायेंगे लेकिन जब शिड्यूल चालू किया था उस समय से लेकर पांच-छः वर्ष का समय निकल गया और इस छः वर्ष के समय के अन्दर सरकार एक तरफ यह कहती हुई चली आ रही है कि हमारी सरकार राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करती चली आ रही है, राजस्थान में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, स्माल स्केल जो है इन्डस्ट्रीज़ जो हैं, वे काफी पनप रही हैं। उस स्थिति के अन्दर पहले वाले शिड्यूल से चलें, जिसमें कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट किया है तो ऐसा लगता है कि जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, जो एग्जेम्प्टेड आर्टिकल्स हैं उनके अन्दर आज के डेवलपमेंट में जितने गुड्स हैं, अब तक जिनको एग्जेम्प्ट करना चाहिये वे उसमें कवर नहीं होते हैं और कवर नहीं होते हैं तो हमने जो पैटर्न पांच-छः वर्ष पहले तय कर लिया है, उस पैटर्न से जिन लोगों को लाभ मिलता है उनको लाभ मिलता रहे और बाकी आयन्दा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में जिन गुड्स और आर्टिकल्स को एग्ज़ेम्प्शन मिलना चाहिए वह न मिले। इसलिए हमारी सरकार की ओर से, जहां तक आवश्यकता थी कि उस शिड्यूल में कुछ गुड्स को, कुछ आर्टिकल्स को शामिल किया जाता उसके बजाय हमारी सरकार ने एक स्टीरिया-टाइप का पैटर्न हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिये कम से कम टैक्स लगा कर ऐसी चीजों को टैक्स से मुक्त करते हैं, जिसके द्वारा लोगों का व्यापार चलता रहे, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है; लेकिन दूसरी तरफ, बदकिस्मती यह है कि आप आज उन चीजों को इसमें नहीं लेते हैं, जैसे राजस्थान में गोटे के उद्योग पर आपने मामूली टैक्स लगाया, उस पर आपने पिछले वर्ष टैक्स लगाया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप टैक्स के आंकड़े उठा कर देखें और हिसाब लगायें तो मालूम होगा कि जितनी कॉटेज

(६. ११. म. पू)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

इन्डस्ट्रीज़ के रॉ मेटीरियल पर टैक्स लगाया है उससे जितना टैक्स पहली साल में मिला था वह उससे हर साल कम होता चला जा रहा है, क्योंकि वहां काम नहीं होता है, वह बिज़नेस नहीं पनपता है और लोग बेकार होते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सारी कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के रॉ मेटीरियल, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में काम आने वाले रॉ मेटीरियल और ऐसी चीजों को सामने रखते हुए हमें तय करना पड़ेगा कि जिन जिन आइटम्स में जो आमदनी पहले साल थी वह क्यों गिरती आई है और गिरती आई है तो वह इस बात का सुबूत है कि उस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ धीरे धीरे टैक्स के कारण खत्म हो रही हैं। इस स्थिति से उनको बचाने के लिए यह आवश्यक है कि उन चीजों को टैक्स से मुक्त कर दें।

(श्री भैरोंसिंह)

पिछले दिनों हमारे वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि चांदी के जेवर के ऊपर दो रुपये टैक्स होगा। कुछ व्यापारियों ने हमारे वित्त मंत्री के सामने अपनी याचिकायें पेश की। सरकार के सामने सोने के व्यापारी गये थे और चांदी के व्यापारी भी गये थे और दोनों ने जाकर सरकार से आवेदन किया था कि इस टैक्स के कारण हम पर जबरदस्त मुसीबत आने वाली है। खैर, यह अच्छी बात हुई कि चांदी के टैक्स को दो रुपये से घटा कर एक रुपया कर दिया; लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि आखिर यह व्यापार है, इधर सरकार जितना बिज़नेस को कर्ब करने की कोशिश करेगी उतने ही बिज़नेसमैन इस टैक्स से बचने की कोशिश करेंगे। जैसे चांदी और सोने के व्यापारियों के ऊपर आपने टैक्स लगाया और वह लगाया है बने हुए माल के बेचने के ऊपर और आप यह उन लोगों से वसूल करेंगे जो लोग सोने-चांदी का तैयार किया हुआ माल बेचते हैं। अब मान लीजिये कि वह व्यापारी जो चांदी का बना हुआ माल बेचता है वह यह तय कर ले कि मुझे बना हुआ माल नहीं बेचना, दूकान पर बना हुआ माल नहीं रखना। अब आपने उसको जेवर के लिए कहा, कान के बुन्दे के लिए कहा या अंगूठी के लिए कहा तो वह व्यापारी पहले बही-खाते में सोना दर्ज करेगा कि इतना सोना अमुक आदमी से सोने की चीज बनाने के लिए लिया और फिर चार दिन के बाद सोने का बना हुआ माल आपको दे दे बनवा कर और उसमें किसी आदमी की मजदूरी दिखा दे कि अमुक अमुक आदमी से बनवा कर अमुक आदमी को दिया। अब आपको जो टैक्स मिलना है वह नहीं मिलेगा और जिस व्यापारी को आप किसी प्रकार से परेशान करना चाहते हैं वह परेशानी से बचने के लिए झूठ बोल कर सरकार के इस टैक्स से बचने की कोशिश करेगा और सरकार उसको नहीं पकड़ सकती। इससे होगा क्या? इस सारी अव्यवस्था के कारण हमारे सामने एक मुसीबत खड़ी होगी। जैसे मध्य प्रदेश का इलाका है; झालावाड़, झालरापाटन, कोटा का जो इलाका मध्य प्रदेश से मिलता है, उदयपुर का जो इलाका मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलता है और राजस्थान का वह इलाका जो पंजाब से मिलता है वहां के टैक्स से मेल खाते हुए हम टैक्स की सीमा निर्धारित करें तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती है कि मध्य प्रदेश में चांदी के जेवर पर टैक्स कम है, सोने के जेवर पर कम है और मध्य प्रदेश से झालावाड़ की सीमा मिलती-जुलती है और झालावाड़ में सर्राफे का बिजनेस बहुत चलता है तो इसका सीधा अर्थ है कि झालावाड़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान और पंजाब की सीमा पर रहने वाले चांदी-सोने के जो व्यापारी हैं वे वहां हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे और गुजरात और मध्य प्रदेश में जाकर सामान खरीद करके ले आयेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को टैक्स नहीं मिला और राजस्थान के व्यापारी भूखे मर गये। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी टैक्स को इम्पोज़ करें उससे पहले देखें कि इस टैक्स के कारण और बाहर के टैक्स की व्यवस्था के कारण ट्रेडर्स को कितना नुकसान

(श्री भैरोंसिंह)

उठाना पड़ता है। टैक्स सरकार के खजाने में भरने का नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ करें जिसमें चोरी की गुंजाइश कम हो। इस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ कर सकें जिनको आसानी से ट्रेडर जमा कर सकें, इस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ करें, जिसके कारण व्यापार पर विपरीत असर नहीं हो। जहां तक चांदी-सोने का सवाल है, लोग ऐसा समझ कर चलते हैं कि अगर सोने के जेवर पर टैक्स लगा दिया गया और अगर उसका विरोध किया गया तो लोग कहेंगे कि यह अमीरों पर टैक्स लगनेवाला है उसका विरोध किया गया है। लेकिन मैं इसमें गरीब और अमीर का अन्तर नहीं समझता। आखिर टैक्स वसूल करना है। लेकिन इसका जो तरीका है, जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप आज आंकड़े बता दें कि सोने के जेवर पर टैक्स से इतनी आमदनी होने वाली है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके आंकड़े गलत सिद्ध होंगे। इसलिए आपको सीधा-सादा तरीका बनाना चाहिए क्योंकि जिस समय से यह टैक्स लागू हुआ है उस दिन से दूकान में सोने का सामान नहीं मिला होगा, सोने के खरीददार मिले होंगे, सोने की खरीद मिली होगी और सुनार को मजदूरी दिखा कर सामान की बिक्री दिखाने की व्यवस्था कर ली होगी, जिससे आपको टैक्स नहीं मिला होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह तरकीब आपने बतलाई है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : यह तरकीब कौल साहब ने बता दी है। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने जिस प्रकार टैक्सेज लगाये हैं उन टैक्सेज़ से न आमदनी होगी और न उन टैक्सेज़ से व्यापारियों पर विपरीत असर पड़ेगा।

आपने एक टैक्स लगाया चने और चने की दाल पर। वैसे तो सभापति महोदय, अब की हमारी सरकार को बहुत अच्छे सर्टीफिकेट मिले हैं-बजट के अन्दर गलती होना, यह कोई बड़ी गलती नहीं है, नोटीफिकेशन साइमल्टेनियसली इश्यू होना कोई बड़ी गलती नहीं है, एप्रोप्रियेशन बिल और डिमान्ड के अन्दर करोड़ों रुपयों का फर्क होना बड़ी बात नहीं है। इन सारी चीजों को सरकार सरपास करके चलती है। इन गलतियों के तांते में हमारी सरकार ने चने और चने की दाल में कोई डिफरेन्स करने की कोशिश नहीं की है। माननीय मंत्री ने जो हिन्दी में भाषण दिया है, उसमें लिखा है-आज कल राज्य के भीतर चने और दालों की बिक्री पर बिक्री-कर की छूट है। और अंग्रेजी में फर्मा रहे हैं "At present sales of pulses, including gram" ; इसका मतलब अंग्रेजी का होता है, पल्सेज़ में चना शामिल है। हिन्दी में मतलब होता है पल्सेज़ में चना शामिल नहीं है। माननीय मंत्रीजी ने, जब सवाल उठाया, तो स्पष्टीकरण किया कि दाल में चना भी शामिल है। अब, सभापति महोदय, जो एक्ट बना हुआ है, ओरीजिनल सेल्स टैक्स एक्ट उस सेल्स टैक्स एक्ट में पल्सेज़ की डेफीनिशन दी है। उसमें और डेफीनिशन के बाद में दो सब्सीक्युएन्ट अमेंडमेंट्स सरकार की तरफ से आये, जिनको एग्ज़ेम्प्ट

(श्री भैरोंसिंह)

करने की व्यवस्था की है, उसमें पल्सेज़ का वर्ड है। केवल पल्सेज़ उसमें है। अब पल्सेज़ इन्क्लूडिंग ग्राम, और हिन्दी में चना और दाल, ये दोनों इस प्रकार मतभेद पैदा किये हुए हैं कि सरकार आज तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिर यह टैक्स किसके ऊपर लगेगा। वित्त मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, जो चने पर टैक्स दे देगा उसकी दाल पर नहीं लगेगा और जो दाल पर दे देगा उसके चने पर नहीं लगेगा। मैं कहना चाहूंगा कि उड़द, मूंग और इन चीजों पर फर्स्ट पोइन्ट पर टैक्स लगाया है और चने पर फर्स्ट पोइन्ट पर लगता है तो जो दाल-मिल चालू हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, जिन्होंने टैक्स का पेमेन्ट कर दिया उनका क्या होगा? जो लोग आज चना खरीदते हैं और उसकी लगातार शक्ल बदलते हैं उसका क्या हाल होगा? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्सों का प्रपोज़ल है वह साफ नहीं है। टैक्सों के प्रोपोज़ल इतने स्पष्ट होने चाहिये कि किसी को समझने में किसी प्रकार की तकलीफ न हो कॉम्पलीकेटेड लैंग्वेज में प्रपोज़लों को बना कर कोर्ट के लिये तय करने का प्रश्न ही पैदा न हो। आज कल यह होता है कि हम कॉम्पलीकेटेड रूल्स बना कर छोड़ देते हैं और उनका इन्टरप्रिटेशन किसी तरह से भी लगाया जा सकता है और फिर हाई कोर्ट में लोगों को टैक्स के मामलों में जाना पड़ता है। जिस समय बहस होती है तो यह कह दिया जाता है कि यह हाई कोर्ट का मामला है। जिस समय हाई कोर्ट में जावेगा और उसका इन्टरप्रिटेशन आएगा उस समय हम मंजूर करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था की थी। मगर हम वर्ड में उस बात का समावेश नहीं कर सके। मैं यह कहूंगा कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिये। अगर हम दालों पर टैक्स लगाते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिये कि हमारी मंशा चने पर लगाने की है और दाल पर फिर नहीं होना चाहिये। हाई कोर्ट के इस सम्बन्ध में फैसले हो गये हैं। इसको साधनों में शुमार करें, क्योंकि इसको हमारे यहां पर मवेशी खाते हैं और मनुष्य भी खाते हैं। चने की बात को आप मामूली समझते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। लाखों रुपयों का सौदा होता है और लोगों ने इसके व्यापार में लाखों रुपये कमाये हैं और उसमें कई लोगों का हिस्सा हुआ है। कई बार लोगों को परमिट दिये हुए कैंसिल किये गये हैं और कई बार वेगन्स भरे हुए रोके गये हैं और जब वापिस उच्च अधिकारियों के पास उसके लिये एप्रोच होती है तो उनको कह दिया जाता है कि ले जावें। यह सरकार को भली भांति मालूम है। यह वेगन्स का लोडिंग आदि सब इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जितना इससे कमा सकें कमा लिया जाए। इसलिये इस लूपहोल और लीकेज को रखा जाता है और यह चाहते हैं कि इससे जो कमाई कर सकते हैं की जाये। आप यह समझते होंगे कि यह व्यवस्था जान बूझ कर नहीं की गई है। मैं आपसे यह कहूंगा कि यह व्यवस्था जान-बूझ कर की गई है और आपको गलतफहमी में रखा गया है। अधिकारियों ने यह जानबूझ कर खामी रखी है कुछ लोगों ने जान-बूझ कर इसको रखा है ताकि वे ट्रेडर्स को जब कभी चाहें जिस तरह से तोड़ना-मरोड़ना तो उनको तोड़-मरोड़ सकें।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि चने की दालों का बिजनेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आप सारे पल्सेज़ पर टैक्स लगाते हैं तो फिर चने की दाल पर अलग से टैक्स की क्या आवश्यकता हुई ? मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में चना ज्यादा होता है और बाकी के खाद्यान्न कम होते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चने की दाल पर टैक्स नहीं लगा है, चने पर लगा है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : यह इसमें स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट होना चाहिये।

मैं यह कहूंगा कि आप हाउस में कुछ भी कह दें, मगर आपके हाउस में कह देने से कोई कानून नहीं बनता। जब तक आप कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालें, किसी प्रकार का आपके हाउस में कहने का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए आपको इसके सम्बन्ध में नोटिफिकेशन इश्यू करना होगा। जब तक आप नोटिफिके-शन इश्यु नहीं करेंगे तब तक अलग अलग सेल्स टैक्स के अधिकारी इसका अलग अलग मतलब निकालते रहेंगे और उनसे पूरा टैक्स वसूल करते रहेंगे और अगर किसी ने मुकदमा कर दिया तो कह देंगे कि इसके लिये कोई नोटिफिकेशन नहीं है। केवल आपकी यहां एसेम्बली में घोषणा मात्र से कानून नहीं बनता। इसलिए यह जो मिसअन्डरस्टेन्डिंग है उसको दूर किया जाना चाहिए और कॉम्पली-केटेड प्रोसीजर है उसको ठीक किया जाना चाहिये। साइमल्टेनियस एक्शन की जरूरत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई जरूरत नहीं है। यह तो साफ है....

श्री भैरोंसिंह : आप दूसरों के बहकावे में आकर न कहें। यह गंभीर मामला है। उनके बहकावे में आ गये तो धोखा खाजाओगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बाकी के दूसरे टैक्सों में आपने बड़ी उदारता बताई है और आप कहते हैं कि आपने १२ हजार से १५ हजार कर दिये। मगर जो उदारता आपने बताई है आया वह व्यापारी के लिए भी उदारता है या नहीं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को भी देखें कि जिस समय आपने १२ हजार के टर्न ओवर को रखा था उस समय चीजों के क्या भाव थे ? आज आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारी चीजों की कीमतें बढ़ गयी हैं। अगर आप रुपये का मूल्याकन करें तो आपको मालूम हो जावेगा। कीमतों के लिहाज से देखें तो आपको मालूम होगा कि १२ हजार से १५ हजार नहीं होते हैं, वह तो १२ हजार से १८ हजार होते हैं। अगर रुपये की कीमत के लिहाज से रखा है तो वह भी मैं कहूंगा कि १२ से १६ हजार होता है। यह तो लेजिटिमेट डिमान्ड है। यह आपकी उदारता नहीं है। आपको यह देखना है कि कीमतें बढ़ी हैं, उस दृष्टि से कितनी लेजिटि-मेट डिमान्ड है उसको मंजूर करते और आप कोई ऐसी व्यवस्था करते जिससे लोगों को सहु-लियतें मिलतीं तो आप उदारता की बात कह सकते थे। इसलिए आपने जो उदारता की बात कही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस उदारता को मूल्यों के आधार पर देख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में कई टैक्सेज ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं है और सरकार उनको छोड़ दे तो कई छोटे २ कारखाने चल सकते हैं। आज कोई यहां से सामान खरीदता है तो उसको ५ प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है और वही सामान अगर दिल्ली से खरीदता है तो उसको १ रुपये का टैक्स देना पड़ता है। इसलिए जितने भी काम धन्धेवाले व्यक्ति हैं उनका कारोबार ठप्प हो गया है। आज सरकार को चाहिये तो यह कि टैक्सेज़ कम ले और बाकी के स्टेटों में जो टैक्स हैं उनसे बचने की व्यवस्था करें; परन्तु हमारी सरकार उन लोगों को बचाने की कोई कोशिश नही करती, बल्कि उन पर ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी होते हुए भी आज तक ट्रेड सेन्टर नहीं बन पाया है। इसका कारण यही है कि सेल्स टैक्स ऐसा है कि वह दूसरी स्टेटों से ज्यादा है और इसीलिए जितनी खरीद-फरोख्त व्यापारी करते हैं वह राजस्थान में नहीं करते और बाहर से खरीद करते हैं। इससे यह होता है कि यहां के ट्रेड में कोई उन्नति नहीं हो पाती। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी नीति अपनावें कि कितने टैक्सेज़ वसूल करने हैं और प्रत्येक साइड को देखे और यह विचार करे कि किस मद में टैक्स लगाना चाहिये और किस मद में कितना टैक्स लगाने की गुंजायश है। अगर इतना टैक्स इस मद में इम्पोज़ कर दिया तो इसका कितना असर पड़ेगा। मैं यह कहूंगा कि अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे और बराबर टैक्स बढ़ाते ही रहे तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं होगी मगर यह ट्रेड खत्म हो जावेगा तो बड़ी दिक्कत आवेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार उन मदों पर टैक्स नहीं लगावे जिससे ट्रेड समाप्त हो जावे।

आपने इसके लिए एक समिति की घोषणा की है। समिति क्या करेगी, कैसी होगी, किस समय सिफारिश भेजेगी और क्या क्या देखेगी, यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है। इसलिए इस समिति के सम्बन्ध में मेरे लिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। मगर मैं यह कहूंगा कि आपने केजुअल ट्रेडर की और डीलर की डेफिनिशन में व्यवस्था की है यह भी खतरनाक है और यह परिभाषा दोनों की खतरे से खाली नहीं है। जिस व्यक्ति को आप शिकंजे में लाना चाहेंगे, सेल्स टैक्स में फंसाना चाहेंगे, लिटिगेशन में फंसाना चाहेंगे उसको केजुअल ट्रेडर की संज्ञा देकर फंसाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि इसकी नकल जिस स्टेट से की गई है उससे नकल करने की आवश्यकता नहीं थी। जिस स्टेट में यह बनाया गया है और जिसकी आपने कॉपी की है उसमें और यहां में बहुत अन्तर है। उसमें तो किसी प्रकार की लोगों को लीनियेन्सी मिली हुई है लेकिन यहां पर जो शिकंजा तैयार किया गया है उसमें से राजस्थान का कोई भी व्यापारी, व्यक्ति नहीं बच सकता है। जिसको आप फंसाना चाहें उसको आप केजुयल ट्रेडर की डेफिनिशन में लाकर फंसा सकते हैं। राजस्थान, जो उद्योग और शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और इस बात को देखते हुए

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिए तो यह था कि उनको फंसाने से बचाने की कोशिश करते। यह जाल दा साहब पेश नहीं कर सके ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): I object to the expression, Sir. He should not name the Hon'ble Minister. It is only on particular occasions that an Hon 'ble Member is named.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : What is 'Da Sahib' ?

श्री भैरोंसिंह : आप 'दा साहब' किसके लिये समझते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद : आपके लिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं मेरे लिए कह सकता हूं। तो वैसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री सरल स्वभाव के थे और सरल स्वभाव के कारण उन्होंने कभी इस प्रकार का जाल नहीं बनाया। पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके सक्से-सर आये वे आपके स्वभाव के विपरीत हैं, उन्होंने राजस्थान को जाल में जकड़ने की कोशिश की है। राजस्थान को इस प्रकार के जाल से बचाने के लिये जो आपके पीछे बैठे हैं उनसे कहें कि कम से कम एक साल तक तो वे ऐसा नहीं करते ताकि राजस्थान की जनता उनको याद करती। केजुअल ट्रेडर्स के नाम पर जो यह जाल की रचना की गई हैं इस जाल का पता चाहे अभी न चले पर जब मौका आयेगा, कम्प्लेन्ट्स आयेंगी तब पता चलेगा कि किस प्रकार का भयंकर जाल रचा गया है। बाहर से इम्पोर्ट करने वाला है उसका ५ हजार के लिये टर्न ओवर है, १२ हजार की जगह १५ हजार का टर्न ओवर कर दिया गया है, १२ से बढ़ा कर १५ हजार का टर्न ओवर कर दिया है। इसके लिये आपको हम पूछते हैं कि जब १२ हजार को बढ़ा कर १५ हजार का टर्न ओवर कर दिया है तो ५ हजार का टर्न ओवर क्यों नहीं बढ़ाया ? तो आप कहेंगे कि हमारे पास इसका कोई आर्ग्युमेंट नहीं है। किसी की पांच हजार टर्न ओवर की जाय तो यह पांच हजार की टर्न ओवर का एक ऐसा जाल का ढांचा बनता है जो सरकार के लिये आमदनी का जरिया बनता है। कोई पान की दूकान लगा कर बैठता है, बीड़ी-तमाखू की दूकान लगाकर बैठता है वह भी ५ हजार के टर्न ओवर में आता है। छोटे मोटे होकर भी ५ हजार के टीन ओवर में आते है इन दूकानों चीजें को देखा जाय तो किसी की दूकान में कुछ मिलती है जो बाहर से मंगाते हैं और एक इस आधार पर आप उन्हें फंसा सकते हैं और आप उनको जरूर फंसायेंगे। आपने उनको एक बार इम्पोर्ट की संज्ञा दी और हर प्रकार से आप प्रूव कर देंगे कि अमुक जगह से यह माल लाया गया है और इसका टैक्स नहीं दिया गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि १२ से १५ किया है तो उसी तरह से ५ हजार की सीमा रखी है उसको भी बारह और पन्द्रह के अनुपात से बढ़ाना चाहिये था। वैसे वित्त मंत्री उदारता का दिखावा करना चाहते हैं, इसमें दिखावे की काफी गुंजायश है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने सेल्स टैक्स लगाने की नीति अख्त्यार की है उसको स्वयं सरकार महसूस करती है कि यह कॉम्प्लीकेटेड व्यवस्था है। मुख्य मंत्रीजी

(श्री भैरोंसिंह)

ने बजट पर हुई बहस का उत्तर देते हुए बताया था कि सेल्स टैक्स की बहुत कॉम्प्लीकेटेड व्यवस्था है, इससे दिक्कत भी होती है और जितनी आमदनी होनी चाहिये वह आमदनी भी नहीं होती, बिज़नेस भी नहीं बढ़ पाता। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों के सामने सेल्स टैक्स को समाप्त करके दूसरे ढंग से इसको रिप्लेस करने की बात उन्होंने कही थी पर उनकी बात वहां मंजूर नहीं की गई।

मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट और सेल्स टैक्स दोनों साथ नहीं चल सकते। आपको इस पर विचार करना पड़ेगा और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये सेल्स टैक्स को हटाना पड़ेगा। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अभी हमारे यहां शैशवावस्था में है और सेल्स टैक्स इसकी ग्रोथ में रुकावट डालनेवाला है। यदि सेल्स टैक्स को लागू रख कर इसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की तो राजस्थान में ऐसी घटना होने वाली है जिसका असर राजस्थान के जन-जीवन पर देखने को मिलेगा।

मैं फिर कहूँगा कि राजस्थान सरकार सेल्स टैक्स को बिल्कुल बन्द कर दे। एक्साइज़ ड्यूटी कई मदों पर लेनी है, उससे इसको रिप्लेस करने की कोशिश करे। इससे जितनी टैक्स से आमदनी होनी चाहिये वह होगी और सेल्स टैक्स से व्यापारियों पर जो मुसीबत आती है उससे भी व्यापारी बचेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का विरोध करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, यह जो फाइनेन्स बिल सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस बिल को जिन कारणों से लाने की आवश्यकता पड़ी; आज सदन के सामने यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या वास्तव में सरकार को, जिन टैक्सों की इस बिल के द्वारा व्यवस्था की जा रही है उनको लगाने की वास्तव में आवश्यकता थी या नहीं? सभापति महोदय, बजट पर बहस होते समय माननीय वित्त मंत्री महोदय ने और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि राजस्थान में जहां तक टैक्सों की स्थिति है उनको आगे बढ़ाने में उनको भी बहुत दिलचस्पी नहीं है पर चूंकि पंचवर्षीय योजनाओं को कामयाब बनाना है और केन्द्र से सहायता लेने के लिए आर्थिक साधनों को जुटाना आवश्यक है इसलिये मजबूर होकर दूसरे साधन सामने नहीं होने के कारण उन्हें इनका सहारा लेना पड़ रहा है और इसीलिए उन्होंने सेल्स टैक्स में कुछ बढ़ाने के सुझाव, पैसेन्जर्स टैक्स, पैसेन्जर्स गुड्स टैक्स पर बढ़ाने के सुझाव पेश किये थे, जिसको एक कानूनी शक्ल इस फाइनेन्स बिल के द्वारा दी जा रही है।

सभापति महोदय, बजट की बहस के दौरान में विरोधी पक्ष की ओर से और विशेष तौर से हमारे दल की ओर से इस बात को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जोर देकर कहा गया था कि जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति आज राजस्थान की है उस वित्तीय स्थिति में यदि राजस्थान सरकार दूरदर्शिता से काम ले तो इस प्रकार के टैक्स बढ़ा कर आम जनता पर बोझा डालने की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि सरकार पहले से ही दूरदर्शिता से काम लेती तो आज राजस्थान में ऐसे साधन विद्यमान हैं जिनसे बिना कर लगाये नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा कर राजस्थान की आमदनी बढ़ाई जा सकती थी। पर जिस समय बजट प्रस्तुत किया गया उसमें इकोनोमी की तरफ ध्यान दिया जाता और जो सजेशन हमारे दल द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किये गये थे या इस सदन में और माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे उन पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाता तो मैं समझता हूं इस बिल को इस सदन में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस बिल का जिक्र किया था बजट को पेश करते समय और कहा था कि हम एक ऐसे समय में से गुजर रहे हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं और विकास करने के लिए हमें कुछ कुर्बानी अवश्य करनी होगी। हमने उनकी उन भावनाओं से प्रेरित होकर कुछ सुझाव इकोनोमी के दिये थे और हम आशा करते थे कि बजट की बहस का जब उत्तर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे प्रोपोज़ल्स आयेंगे जिनमें बजाय इसके कि जनता पर टैक्स लगाये, उन बातों पर सरकार गौर करेगी और इस बजट में काट-छांट करके जितने नये टैक्सेज़ का प्रावधान किया है उनके बजाय इस बजट में ही बचत करने की कोशिश करेगी। पर हमें खेद हुआ, बजट की बहस के बाद तमाम रिपोर्ट आई और यह देखा कि बावजूद इस सदन में विरोधी पक्ष के विरोध के, केवल विरोधी पक्ष ही नहीं; स्वयं सरकारी पक्ष की ओर से इन तमाम टैक्सेज़ के प्रोपोज़ल्स का कटु विरोध किया गया और यह कहा गया कि जनता की आज इतनी शक्ति नहीं है कि टैक्सेज़ के बोझे को अब वह सहन कर सके, इस सब के बावजूद हमारे वित्त मंत्री महोदय ने उन विचारों पर ध्यान नहीं दिया; जब कि जरूरत इस बात की थी कि जिस प्रकार पहले मंत्रिमंडल ने अपनी खुद की तनख्वाहों में कुछ कटौती करके इसमें अगुआई का परिचय दिया था, कुछ और प्रशासन के खर्चे में कटौती करके परिचय दिया जा सकता था और इस बजट में जिस प्रकार है, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, काफी कम करके उस डेफिसिट को मीट किया जा सकता था। लेकिन सरकार का इस प्रकार का दृष्टिकोण है कि इस सदन में विरोधी दल के विचारों को, उनके प्रोपोज़ल्स को इस प्रकार हलकेपन से देखा जाता है और फिर हमसे आशा करे यह सरकार कि हम विरोधी दल के लोग उनके टैक्स के प्रोपोज़ल्स को जिसको खुद मोरेल्ली जस्टिफाई नहीं करते हैं उनको सहयोग दें और उन टैक्सेज़ को हम सही समझते हैं इस प्रकार की हम से आशा करना उनको उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में इस प्रकार के इन टैक्सेज़ के प्रोपोज़ल्स को रखा है और बाहर जनता में भी इनका इतना तीव्र विरोध हुआ है तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनको किस प्रकार के अपनी कटौती के, इकोनोमी के प्रोपोज़ल्स रखने चाहिए थे लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं रखे हैं, नये टैक्स लगाने की कोई स्थिति नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है और इस बिना पर भी मैं इस फाइनेन्स बिल का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार का प्रावधान इस फाइनेन्स बिल में किया गया है उस पर ज्यादा से ज्यादा आधार सेल्स टैक्स से अपनी आमदनी बढ़ाने का बनाया गया है और सेल्स टैक्स में भी जिन चीजों को चुना गया है टैक्स बढ़ाने के लिए वे चीजें भी इस किस्म की चुनी गई हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा असर प्रोड्यूसर्स पर, आम किसानों पर और....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वित्त मंत्रीजी सो रहे हैं।

श्री सभापति : ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आम, साधारण कन्ज्यूमर्स पर असर पड़ता है।

सभापति महोदय, वैसे ही सेल्स टैक्स एक इन्डाइरेक्ट टैक्स होने के नाते उसका बोझा साधारण कन्ज्यूमिंग जनता पर पड़ता है। यह टैक्स ऑयल सीड, ग्राम इन चीजों पर बढ़ाया गया है। ऑइल सीड्स पर एक परसेन्ट से दो परसेन्ट सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। इसी प्रकार ग्राम पर और दूसरी पल्सेज़ पर, जो कि अब तक मुस्तसना थीं, सेल्स टैक्स लागू कर दिया है। कौन इससे प्रभावित होंगे? यदि मैं यह कहूं कि इससे एक विशेष वर्ग और यह भी कहूं कि एक विशेष इलाका प्रभावित होगा तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ये वे इलाके हैं जिन पर इस सरकार और वित्त मंत्री महोदय की कहर की दृष्टि लगती है। अलवर, भरतपुर, गंगानगर इस प्रकार के इलाके हैं जो चने, सरसों और ग्राम पैदा करते हैं, चाही इलाके हैं, उन इलाकों की खास कर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को चुन कर उनको टैक्स करने की जो कोशिश की है, मैं समझता हूं कि एक न्यायोचित दृष्टि इस सेल्स टैक्स में नहीं रखी गई है। यद्यपि मैंने कुछ आंकड़े कलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पाये। अकेले ऑइल सीड्स पर इस सरकार ने एक परसेन्ट और बढ़ा दिया है इससे जितनी इनकम इससे पहले होती थी उससे दुगुनी इनकम होने लगेगी। दूसरे सीरियल्स पर भी बढ़ाया गया है। ग्राम पर बढ़ाया गया है। उसके लिए निवेदन करूं कि ग्राम किसी इलाके में पल्सेज़ के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है लेकिन राजस्थान के बहुत से हिस्सों में; खास तौर पर अलवर, भरतपुर जिलों में सीरियल्स के रूप में काम में लाया जाता है और आम तौर पर वहां के लोग मिस्सी रोटी खाते हैं। वहां के लोगों की यह एक आम खुराक है। गेहूं, जौ को सेल्स टैक्स से मुस्तसना रखा है। इसके पीछे कोई दलील नजर नहीं आती कि क्यों ग्राम को टैक्स करना चाहिये? इससे तमाम लोग इफेक्टेड होंगे जो नहरी क्षेत्र के हैं, दो फसली इलाका है, ग्राम, चना, कपास तोरिया की फसल होती है, उन पर सैल्स टैक्स बढ़ा कर ६६ लाख की आमदनी बतायी। मैं समझता हूं; जैसे जेवरात वगैरा की है, जैसा माननीय सदस्य जयपुर से आनेवालों ने कहा कि उसको होशियार लोग किसी तरह अवोइड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर देंगे, इसको अपनी कमाई का कोई न कोई साधन बना लेंगे, जिससे सरकार को कोई बड़ी आमदनी होनेवाली नहीं है, लेकिन ग्राम, कपास आदि पर जो सेल्स टैक्स बढ़ाया है इसका असर मुख्य तौर पर किसानों पर पड़ने वाला है। आपने एक परसेन्ट से दो परसेन्ट टैक्स लगा दिया।

सरसों बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है राजस्थान से बंगाल में, उसको आपने दो परसेन्ट टैक्स किया है। यानी एक मन सरसों पर दस आना, ग्यारह आने का टैक्स लगा दिया, दुगुना टैक्स कर दिया। यहां के मार्केट्स किसानों को पैसा मिलता है, बंगाल के मार्केट्स से गवर्न होते हैं। जितना टैक्स बढ़ाया है उस प्रोपोर्शन में प्रोड्यूसर्स को, किसानों को सरसों की रेट्स कम मिल रही है और डाइरेक्टली किसानों को एक तरीके से टैक्स कर दिया गया है, यह सरसों की नई सेल्स टैक्स की रेट बढ़ा कर। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी टैक्स लगाने का प्रोविजन हो उसमें सामान्य न्याय की दृष्टि भी यदि अपनाई जाती है कि सामान्य रूप से उन पर बोझा पड़ना चाहिये और साइन्टिफिक बेसिस तो यह है कि जो अधिक बोझा सहन कर सकें उन पर अधिक बोझा पड़ना चाहिये। लेकिन यहां पर जो तरीका अपनाया गया है इस प्रकार का है कि उन क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश की गई है जिन क्षेत्रों में विशेष प्रकार की ये फसलें पैदा होती हैं। पता नहीं सरकार का दृष्टिकोण उन इलाकों को या उन फसलों को चुनने का क्या है? राजनैतिक दृष्टिकोण ही है क्योंकि यह बात सही है कि अलवर, भरतपुर और गंगानगर की जनता ने कांग्रेस को पसन्द नहीं किया और उन क्षेत्रों में कांग्रेस को करारी हार खानी पड़ी। इसलिए वित्त मंत्री महोदय नये टैक्स उनके ऊपर बढ़ा कर कुछ सबक सिखाना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां की जनता इतनी कमजोर नहीं है। आप उन पर अन्यायपूर्ण तरीकों से, भेदभाव पूर्ण तरीकों से यह व्यवहार करेंगे तो उसका नतीजा आपके लिए और तमाम सदन के लिए और राजस्थान की पीस और ट्रैन्क्विलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले भी इस प्रकार का तरीका सरकार ने करके देखा है और उसका जवाब जनता ने बहुत बहादुरी के साथ दिया है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस बात पर गौर करे कि जो सेल्स टैक्स उन्होंने सरसों पर, या चने पर या कपास पर बढ़ा कर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है क्या वास्तव में कुछ क्षेत्रों में इसका अधिक से अधिक बोझा नहीं डाल दिया गया है? क्या यह उन तबकों पर जिनको हम कुछ आगे बढ़ाने की बात करते हैं, खास तौर से किसान तबके पर इस कारण बोझ ज्यादा नहीं पड़ेगा?

सभापति महोदय, इसके अलावा इस बिल पर माननीय सदस्य ने, जो जयपुर से आते हैं, जो बातें कहीं मैं उन बातों की पुष्टि करता हूं। जो आपने इसमें प्रावधान डीलर्स या केजुअल डीलर्स का किया है उस पर पुनः गौर करने की जरूरत है; क्योंकि आपने इसके जरिये वास्तव में सामान्य से सामान्य दूकानदार को भी इस बिल के शिकन्जे में डाल दिया है और कोई भी इस कर से मुक्त नहीं हो सकता। कोई जरूरत नहीं थी इस प्रकार से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डीलर्स की डेफिनिशन में चेन्ज करने की। आपने दिखाया तो यह कि कुछ टर्न ओवर बढ़ा कर सामान्य ट्रेडर्स को राहत देना चाहते हैं दरअसल १,२०० से १,५०० की लिमिट करके और दूसरी तरफ ५,००० की लिमिट को मेन्यूफेक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को इन्क्लुड किया है उससे छोटे तबके के लोगों को फंसा लिया है, जिसका इन्डस्ट्रीज़ पर असर पड़ेगा। हमारे अलवर के नजदीक दिल्ली पड़ता है, आगरा पड़ता है, मामूली दूकानदार सिगरेट आदि कुछ सामान वहां से लाता। है इस तरह से इम्पोर्ट राजस्थान से बाहर कुछ न कुछ करता है। इस तरह से साधारण से साधारण दूकानदार भी इस शिकन्जे में आ जायगा।

सरसों पर जो टैक्स लगाया है उसके बारे में एक बात और मैं वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं; वह यह है कि आपके इन प्रोपोज़ल्स से एक एनोमोली क्रिएट हो रही है जिसके जरिये राजस्थान के लोकल ट्रेडर्स एक डिसएडवान्टेजियस पोजीशन में हो गये हैं बमुकाबले बंगाल के ट्रेडर्स के जो यहां से इम्पोर्ट करते हैं ऑइल सीड्स वह इस तरह से कि जब तक एक परसेन्ट सेल्स टैक्स था जो ट्रेडर्स इम्पोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे वे दोनों बराबरी की हैसियत के थे। दोनों को एक परसेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ता था। अब आपने यह स्थिति पैदा कर दी जिससे राजस्थान के ट्रेडर्स को अपने अकाउन्ट में जो ऑइल सीड एक्सपोर्ट करता है बंगाल मार्केट में उसे दो परसेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अगर बंगाल का ट्रेडर राजस्थान की मंडी से खरीद कर बंगाल एक्सपोर्ट करता है तो उसको एक ही परसेन्ट सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। आप इस प्रकार से एनकरेज करना चाहते हैं उन ट्रेडर्स को जो अपने अकाउन्ट में राजस्थान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डिस्करेज करना चाहते हैं राजस्थान के ट्रेडर्स को जो अपने अकाउन्ट में एक्सपोर्ट करते हैं। इसका नतीजा लाजिमी तौर से यह होगा कि इसके फलस्वरूप झूठे बहीखातों को आप एन्करेज करेंगे, बोगस अकाउटिंग होगा और वे लोग अपनी फिक्टीशियस फर्म क्रिएट करेंगे, वे कहेंगे एक्चुअली हमने एक्सपोर्ट नहीं किया कलकत्ते से इम्पोर्ट किया गया है; यह केवल एक परसेन्ट टैक्स से बचने के लिये। आपने ऑइल सीड्स की पोज़ीशन दो परसेन्ट सेल्स टैक्स करके यह कर दी है जिसके जरिये आपने लोकल ट्रेडर्स को भारी नुकसान पहुंचाया है; खास तौर से गंगानगर, अलवर, भरतपुर, कोटा जहां पर ऑइल सीड्स ज्यादा पैदा होते हैं, उनके ऊपर भारी असर पड़नेवाला है।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा इस फाइनेन्स बिल के जरिये आपने पैसेन्जर टैक्स बढ़ाने का प्रावधान किया है; पन्द्रह परसेन्ट और बीस परसेन्ट पैसेजन्र टैक्स बढ़ा रहे हैं। यह बात आप खुद जानते हैं कि मौजूदा बस सर्विसेज़ से कौन लोग ट्रेवल करते हैं, इस सारे टैक्स का बोझ किन लोगों पर पड़ेगा; जब कि आज सामान्य और बीच का नागरिक इन बसेज़ में ज्यादा ओवर रश होने के कारण ट्रेन से सफर करने की कोशिश करता है। जिन लोगों के पास प्राइवेट ट्रान्सपोर्ट के साधन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं वे उनसे ट्रैवल करते हैं। सामान्य नागरिक, किसान, मजदूर, छोटे निम्न मध्यम श्रेणी के लोग बसेज़ से ट्रैवल करते हैं। यह सारा का सारा बोझ उन्हीं पर पड़ेगा। जहां पहले से ही उन लोगों की अनिश्चित स्थिति है आपने यहां के लोगों की पर केपिटा इन्कम देखी है, स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग देखा है। कितना स्टेंडर्ड आप इनका दो पंचवर्षीय योजनाओं में बढ़ा पाये हैं ? सारे हिन्दुस्तान की जनता के स्तर से हमारा राजस्थान का नागरिक कहां खड़ा है, क्या उसका मुकाबला हमने किया है ? इसके बारे में क्रोकोडाइल टीअर्स के तौर पर हमदर्दी बताने के बाद भी आखिर होगा यही कि परनाला तो वहीं पर पड़ेगा। अगर उनको कुछ देने की बात आती है; उनके घरों में आग लग जाय या वर्षा से बह जाय तो उन गरीबों के लिये बजट में ज्यादा प्रोविज़न रखने की बात कहते हैं, पचास हजार के बजाय लाख कर दिया जाय तो यही कहा जायगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, वित्तीय स्थिति हमारी कमजोर है जब कि इन लोगों को कुछ देने की बात आती है तो यह कहा जाता है कि वित्तीय स्थिति खराब है और कुछ लेने का सवाल आता है तो आपकी कलम रुकती नहीं, कानून रुकता नहीं, किसी न किसी तरीके से रास्ता निकालते हुए कि नये टैक्स लागू कर देते हैं....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : वित्तीय स्थिति कमजोर है न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वित्तीय स्थिति कमजोर है इसलिये आप लेते हैं, लेकिन जिन लोगों की वित्तीय स्थिति कमजोर है उनको मजबूत करने के लिये आप ध्यान नहीं देते। पिछले एक, डेढ महीने से हम देख रहे हैं जितने भी प्रस्ताव, जितने भी आम साधारण लोगों की स्थिति को सुधार करने के सुझाव आये हैं, तनख्वाहें बढ़ाने का सुझाव आया है, आम लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक दिक्कतों के लिये कहा है तो यह कहा गया है कि यह व्यवहारिक नहीं ;, सबका वेतन १०० रुपया कर दिया जाय यह भी व्यवहारिक नहीं ; क्योंकि ऐसा कर देते हैं तो ऑल इण्डिया से आगे निकल जायेंगे। आगे नहीं निकलना चाहते तो कम से कम उतना तो कर ही दीजिये, तो कहा जाता है हमारी वित्तीय स्थिति नहीं है। किसी न किसी प्रकार दलील देकर ऐसे जब सवाल आते हैं तो गली निकाल कर निकल जायेंगे और जहां उन पर बोझ डालने का सवाल आयगा तो उन पर किसी न किसी प्रकार से बोझ डाल देते हैं।

हम भी आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं अब भी, पहले भी यही निवेदन किया था, आपने अपने बजट भाषण में कहा था, आपने अपोज़ीशन को चैलेन्ज किया था कि आप टैक्स अगर नहीं लगवाना चाहते हैं तो ऑल्टरनेटिव प्रोपोज़ल्स दें। हमने दिये वे और बदले में वापिस आपको चैलेन्ज दिया था कि अगर आप जनता पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो साधारण नागरिकों का यह कहना है कि आपके कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज़ जो आप देते हैं उनका भी बजट बना कर आप सदन में रखिये। आप यह बताइये कि किस बेसिस पर आपने यह बजट तैयार किया है। किस तरह से आपके टैक्सों को वे साधारण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आदमी दे सकते हैं, यह उनके बजट से आप देखिये। अगर उसमें कोई गुंजाइश निकलती है तो जरूर टैक्स बढ़ाइये। हम समर्थन कर सकते हैं। किसी स्टेट का बजट वहां की जनता के बजट से अलग नहीं हो सकता। जिस स्टेट का फाइनेन्स मिनिस्टर अपनी स्टेट की साधारण जनता के प्राइवेट बजट को ध्यान में न रख कर अपना बजट बनाता है तो मैं समझता हूं कि वह फाइनेन्स मिनिस्टर जनता का फाइनेन्स मिनिस्टर नहीं हो सकता; वह ऐसी सरकार का फाइनेन्स मिनिस्टर हो सकता है जो ऊपर से थोपी हुई हो और जो जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती हो।

इस दृष्टिकोण से, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो टैक्सों का प्रोपोज़ल इस फाइनेन्स बिल में दिया गया है हम यह महसूस करते हैं कि इस गवर्नमेंट ने पिछले दिनों की बजट की बहस में उसके जस्टीफिकेशन को साबित नहीं किया, बल्कि अगर यह कहूं कि सारे बजट की बहस के बाद और भी अधिक हम कन्विन्स हुए हैं कि इस सरकार को चिन्ता नहीं है कि हमें एक खुशहाल राजस्थान बनाना है, उसको चिन्ता नहीं है साधारण जनता की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की और वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर को रोकने की। उसको इस बात की चिन्ता नहीं है कि खुद कुछ सेक्रिफाइस करके प्रेरणा देनी है आम जनता को और राजस्थान निर्माण के लिये कुर्बानी मांगने के लिये जनता को भी आह्वान करना है, इसकी भी उसे चिन्ता नहीं है। आप जब भी, कोई भी कुछ चाहे, मिनिस्टर का खर्चा हो, चाहे, टेलीफोन का खर्चा हो, उनकी एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी कितनी भी तीव्र आलोचना करे, पर परनाला वहीं पड़ता जा रहा है। इस खर्चे को कम करने की उनको कोई चिन्ता नहीं, यह सेक्रिफाइस करके वे कोई आदर्श जनता के सामने नहीं रखना चाहते। बेशर्मी तो इस हद तक की हो गई है कि जो अपने मुंह से मंत्रि मण्डल ने १० परसेन्ट अपनी तनख्वाहों में कटौतियां करने की बात कही उससे भी मुकर गये। यह कुर्बानी की भावना है इन ट्रेज़री बैंचों की! उन सीटों पर बैठने वालों के मुंह से दान दिया हुआ, मुंह से कुर्बानी की हुई को भी उन्होंने वापिस ले लिया और किसी ने इस बारे में कुछ कहने तक की हिम्मत नहीं की कि अगर हमें दिक्कत है बजट की तो हम शुरूआत करते हैं इस कुर्बानी की। आओ। राजस्थान की जनता को हम सब मिल कर आह्वान करें कि किस तरह से इस आर्थिक संकट में और राजस्थान की सरकार की वित्तीय कठिनाइयों में हम कोई रास्ता ढूंढें। हमने इसके लिये कुर्बानी की कार्यवाही की है, जनता भी ऐसी कार्यवाही करे।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय मित्र अपने से शुरूआत करें तो मुनासिब होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर एम. एल. एज. से भी कुर्बानी करने के लिए कहा जावेगा तो सदन के सदस्य भी, मैं समझता हूं, पीछे नहीं रहेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं क्या कहूं, आप खुद कहिये न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम क्या कहें, आप कहिये। जो भी आपकी कठिनाई हो आप कहें, उसके लिये हम तैयार हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : उनसे पूछ लीजिये, वे नहीं मानेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक-आध आदमी के करने से दुनिया नहीं बदली है । दुनिया में जरूरत है व्यवस्थाओं को बदलने की । उस तमाम सामाजिक ढांचे को बदलना है, इसकी जरूरत है । यह इस तरह से साइड ट्रेक करने का इश्यू नहीं है । आपकी गवर्नमेन्ट की तो यह फिलोसोफी है कि जो हैव्ज़ हैं, जो वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं उनके आप हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, कुर्बानी देने की बात उनसे करते हैं । उनसे कानून के जरिये लेने की बात नहीं करते और जो सामान्य नागरिक हैं उनसे कानून के जरिये लेने के लिए फाइनेन्स बिल पेश कर दिया ! उनके लिये तो आपने शिकंजा तैयार कर दिया । आपके सिपाहियों की फौज तैयार होगी और उसने अगर टैक्स नहीं दिया तो कटघरे में बन्द कर देगी । यह है आपके सोचने का तरीका ! यह है आपकी पॉलिसी ! आप वेस्टेड इन्टरेस्ट के लिये कानून का शिकंजा तैयार करने की जुर्रत नहीं कर सकते ! आप हैव्ज़ को कानून के शिकंजे में नहीं डाल सकते । हमें इसमें गिला नहीं । हम जानते हैं आपके वर्गीय सोचने के तरीकों को । हम यह भी जानते हैं कि आप किन वर्गों को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं । हम जानते हैं जिनके हितों की सुरक्षा के लिये आप यहां पर बैठे हैं, जब तक आपकी पार पड़ेगी । जब तक गरीब-जनता इकट्ठी होकर आपको यहां से हटा नहीं देगी तब तक इसी तरह आप लूट-कबड्डी मचाते रहेंगे । पर हमारा भी फर्ज है कि हम भी आपके इन कारनामों का खुले तरीकों से पर्दाफाश करें । आप जिस तरीके से....

श्री बालकृष्ण कौल : पर्दाफाश का तो केरल में साफ नजर आया था ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब और भी ज्यादा साफ नजर आ जावेगा । केरल में आप जो कर रहे हैं वह साफ नजर आ रहा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : पर्दाफाश करने में आपका पर्दा नहीं फट जावे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, समय की सीमा अगर शुरू के वक्ताओं के लिए खुली रखेंगे तो ऐसा न हो कि शुरू के वक्ताओं को तो अधिक समय दे दें और बाद में आधा घंटा भी लोगों को न मिले ।

श्री सभापति : अगर हाउस का सेंस हो तो किया जा सकता है ऐसा भी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हाउस का सेंस तो है । इस सेंस को आप पर्मानेन्टली एग्ज़ीक्यूट कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री सभापति : I think there is less number of speakers today.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जल्दी ही खत्म कर देता हूँ सभापति, महोदय, मैं । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो सरकार की ओर से भारी अपीलें, भारी दलीलें और बड़ा भारी ऐसा वातावरण बनाने की जो कोशिश की जाती है जिसमें नये टैक्सों को जस्टिफाई करने की बात कही जाती है वह इस सदन में इस पिछले बजट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की बहस के जरिये साबित नहीं हुई। इसलिये जो मौजूदा फाइनेन्स बिल है, जिसके जरिये सामान्य नागरिक पर टैक्स ६६ लाख का, १२८ लाख पूरे होते हैं जिसमें कुछ टैक्सेज़ डाइरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिये शायद सरकार ने इम्पोज़ कर दिये हैं। पर फिर भी सवा करोड़ के टैक्स का प्रावधान इस सरकार ने किया है। हम उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं समझते और सरकार ने जिन तरीकों से इस सारे बजट को बनाया है, जिस तरह का वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर कर रही है उससे भी यह महसूस नहीं होता कि वास्तव में अपना केस में डिफिकल्टी को साबित कर सकी है। इसलिये मैं इस फाइनेन्स बिल का तीव्र विरोध करता हूं और इसके अन्दर जो प्रावधान टैक्स बढ़ाने का है उसका भी घोर विरोध करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, इस विषय में मैं बहुत लम्बी बहस न करते हुए केवल कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सदन का ध्यान और हमारे माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह अभी हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर शक किया, पल्सेज़ का और ग्राम का जिक्र किया कि टैक्स किस पर है, चने पर है या चने की दाल पर है।

पर मैंने नोटिफिकेशन को देखा उसमें जो वर्ड डिलीट किए गये हैं उसमें नोटिफिकेशन जो ओरीजिनल था उसमें सीरीयल और पल्सेज़ और ब्रेकट में "including all kinds of flour, atta etc." था। अब जो वर्ड डिलीट किये गये हैं वे खाली 'एण्ड पल्सेज़ को' डिलीट किया गया है। तो इसके बाद सवाल यह उठता है कि पल्सेज़ में अगर ग्राम शामिल है तो फिर जो स्टॉक डीलर के पास जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ उस दिन जो स्टॉक टेकिंग हुआ या नहीं, या उनके स्टॉक के बारे में कोई पूछताछ हुई या नहीं या पूछताछ करके डिक्लेरेशन लिया गया है या नहीं? यदि डिक्लेरेशन नहीं लिया गया तो नोटिफिकेशन के हवाले के अनुसार वह सारे का सारा ग्राम बेसन बन कर आज तैयार हो चुका है और सारी जो ग्राम की ड्यूटी थी करीब करीब वह हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो ब्रेकेटेड वर्ड थे उसमें बेसन की तो रोक नहीं। ब्रैकेटेड वर्ड को पल्सेज़ के साथ डिलीट करने में लगाया नहीं है। ऐसी स्थिति में जो वर्ड रह जाते हैं वे पल्सेज़ तक तो शामिल हैं, उन पर टैक्स लगाया, पर उसमें जो फर्दर प्रोडक्ट्स हैं जैसे बेसन है, मूंग की दाल है, आटा है और कुछ है उस पर से नोटिफिकेशन लागू नहीं होता है। तो जिस दिन नोटिफिकेशन लागू हुआ और पल्सेज़ पर और ग्राम पर लगाया गया उस दिन का स्टॉक बेसन बन कर बाजार में गया और उससे सेल्स टैक्स का स्टेट को नुकसान हुआ। इससे मेरी शंका यह है कि हमें बहुत काफी रकम का नुकसान उठाना पड़ा है और Notification itself wrongly worded है।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय चाहे मुझे गल्ती समझें, लेकिन कुछ भी समझें मेरी शंका है और मैं समझता हूं कि मेरी अपनी राय के मुताबिक वह सही है क्योंकि वे वर्ड्स नहीं आते हैं तब तक उनके ऊपर टैक्स नहीं लागू होता है और इससे काफी रुपयों की क्षति हमारे कोष को हुई है। यह मैं सदन की दृष्टि में लाना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ सुधार होगा।

(१०. १० म. पू.)

श्री सभापति : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): सभापति महोदय, मैं सदन का विशेष समय नहीं लूंगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है और मैं भी दो तीन मुद्दों के सम्बन्ध में आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं इस बिक्री कर के सम्बन्ध में जहां तक कि उसका सम्बन्ध खाद्यान्न से है उस विषय में दो शब्द निवेदन करूंगा। मैं समझता हूं कि खाद्यान्न के अन्दर चना या चने की दाल की गणना भी आनी चाहिए। खाद्यान्न का अविभाज्य अंग है चना और चने की दाल चने का अंग है। चना, गेहूं, जौ आदि खाद्यान्न हैं और उनको मान लेना चाहिए। तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। मैं समझता हूं कि खाद्यान्न के सम्बन्ध में सेल्स टैक्स की एक को-ऑर्डिनेटेड पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे पड़ौसी राज्यों से भी हम राय लें और राय लेने के पश्चात् सेल्स टैक्स की दर नियुक्त करें; खासकर वहां तक कि उस टैक्स का सम्बन्ध खाद्यान्न से है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही निवेदन करूंगा कि खाद्यान्न के ऊपर सेल्स टैक्स लिया ही नहीं जाये। किसान की आजादी को सुरक्षा दी जाये। किसानों पर बैटरमेंट लेवी, सेस कर, भू-राजस्व आदि और कई तरह के टैक्सेज़ लगाये जा चुके हैं और फिर उनके ऊपर यह सेल्स टैक्स का बोझा लादना सर्वथा अनुचित है। इसलिये सभापति महोदय आपके द्वारा मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय, का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सर्वप्रथम वे यह सोचें कि खाद्यान्न पर सेल्स टैक्स बिल्कुल ही नहीं लिया जाये; यदि लिया जाय तो उसकी दर कम से कम हो और वह दर अपने पड़ोसी राज्यों से तालमेल के साथ इस ध्येय को लेकर लगाई जाये कि हमारे खाद्यान्न राजस्थान के अन्दर ही रहें और वह बाहर चोरी के द्वारा न जाने पायें। पहले चाहे बुरी संस्थायें थीं या अच्छी संस्थायें थी परन्तु देशी राज्यों के अन्दर इस खाद्यान्न की समस्या पर हम हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ बैठ कर समझते थे और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे भूतपूर्व देशी राज्य थे जो खाद्यान्न की समस्या को लेकर स्वावलम्बी थे और खाद्यान्न का संग्रह उन राज्यों में तीन साल तक चल सके, इतना खाद्यान्न रहा करता था; उस जगह आज हम देखते हैं कि विभाजन के पश्चात् हमारे देश को १०० करोड़ रुपये तक का खाद्यान्न बाहर से मंगवाना पड़ता है। ऐसी जगह पर कि जो पीढ़ियों से उस क्षेत्र के उत्पादित गेहूं, अन्न को ही अपने खान-पीन के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

काम में लाया करते थे वहां पर अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन गेहूं आया। एक ऐसा समय आया कि मेरे जिले में ऑस्ट्रेलियन मिलो आई। तो ऐसी बातें मेरे ख्याल से राजस्थान के अन्दर नहीं हों और उसके प्रचार के लिए हमको कोई न कोई को-ऑर्डिनेटेड पॉलिसी हमारे पड़ौसी राज्यों की राय से बनानी चाहिए और अगर उनकी राय लिए बिना हम काम करेंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

सोने-चांदी के व्यापार के सम्बन्ध में मैं कुछ विस्तारपूर्वक सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सोने-चांदी पर और सोने-चांदी के जेवरों पर जो टैक्स लगाने की योजना सरकार ने निर्धारित की है वह इस व्यापार को मृतप्राय: बनाने की योजना है। इसके ऊपर इतना भारी टैक्स लगा दिया गया है कि जिस के द्वारा यह धंधा, यह व्यापार चलना बहुत कठिन हो गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण गृह उद्योग है और इसको राजस्थान के अन्दर कायम रखना मेरे ख्याल से सरकार का एक बड़ा अहम फर्ज है, एक बड़ा अहम कर्त्तव्य है। इन वस्तुओं पर; अर्थात् सोने-चांदी और उनके जेवरों पर जो टैक्स बढ़ाया गया है वह क्रमशः इस प्रकार है। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात् कस्टम ड्यूटी सोने पर ४ आना प्रति तोला, चांदी पर ८ आना प्रति १०० तोला और जेवर कर मुक्त। १९५५ में जब बिक्री कर आया तो सोने पर बिक्री कर ८ आना प्रतिशत-चांदी और जेवर कर मुक्त, १९५६ में बिक्रीकर सोने पर ८ आना प्रतिशत, और चांदी पर भी ८ आना प्रतिशत और जेवरों पर ८ आना प्रतिशत। १९६० में बिक्री कर सोने पर ८ आना प्रतिशत, चांदी पर ८ आना प्रतिशत और जेवरों पर १ रुपया प्रतिशत। सोने-चांदी के जेवरों पर बढ़े हुए टैक्स से करीब १० दिन पीछे ही इस व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण राज्य सरकार ने पुनः पूर्ववत् ८ आना प्रतिशत कर दिया। १९६२ के मार्च माह में सोने-चांदी पर ८ आना प्रतिशत के साथ सोने के जेवरों पर २)रु. प्रतिशत और चांदी के जेवरों पर १) रु. प्रतिशत बिक्रीकर कर दिया। इस प्रकार बिक्रीकर की दरें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान में सोना एक तोला कीमत १४४) रु०, उस पर बिक्रीकर ८ आना प्रतिशत से ११॥ आना होता है। जेवर बनाने के लिए सोना एक तोला १४४) रु., मजदूरी ५रु० कुल मिलाकर १४९)रु. और ११॥ आना अतिरिक्त बिक्रीकर के; इस तरह से १५०) हो गया। उस पर बिक्री कर २)रु. के हिसाब से ३)रु. इस प्रकार सोना खरीद कर जेवर बना कर बेचने का कुल ३॥=)॥ प्रति तोला होता है, जो प्रारम्भिक कस्टम्स ड्यूटी ४ आना प्रति तोला से १५ गुना अधिक है। चांदी १०० तोला की कीमत २६०) रु० पर बिक्री कर ८ आना पर्सेन्ट से १ रु० ५ आना होता है। चांदी १०० तोला का जेवर बनाने की कीमत चांदी २६०) रु०, मजदूरी ८); कुल २६८) रु०। २६८) रु० पर बिक्रीकर २) रु० ११ आना....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अपोज़िशन के नेता महोदय ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया डॉक्युमेंट। वह डॉक्युमेंट क्या है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: जो कुछ हिसाब की गणना है वह बताना परमावश्यक है। अगर नहीं बताऊंगा तो....

श्री सभापति : He is refreshing his memory.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आंकड़ों के बिना पूरे रूप से कैसे सिद्ध कर सकता हूँ मेरी बात को ? २६८) रु० पर बिक्री कर २ पर्सेन्ट से २) रु० ११ आना होता है। इस प्रकार चांदी खरीद कर, जेवर बना कर बेचने पर केवल बिक्री कर ४।) रु० के करीब होता है जो प्रारम्भिक कस्टम ड्यूटी ८ आना पर तोला थी उससे ८ गुना अधिक है। इस सम्बन्ध में यह कहना सामयिक होगा कि व्यापार तथा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस कस्टम ड्यूटी को समाप्त करके बिक्रीकर लगाया है। बिक्रीकर जिस रूप से आया है, मैं समझता हूँ कि कोई प्रगतिशील कदम नहीं है। यह एक अप्रगतिशील कदम है, यह एक रिट्रोग्रेट स्टेप है। कस्टम ड्यूटी को मिटाना और कस्टम ड्यूटी को एबोलिश करने के ध्येय की पूर्ति नहीं करते हुए उसके विपरीत कुछ और बात जो पैदा हो रही है वह जनता के लिए और इस धन्धे के लिए मैं समझता हूँ कि उत्पीड़न और एक संकटकालीन स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्या है।

मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार जो कुछ कर रही है वह जान-बूझकर कर रही है। मेरी समझ में तो यह आता है कि जानबूझकर शायद ऐसा नहीं करती हो, लेकिन यदि जान-बूझकर नहीं करती है तो अपने आपको एक तरह से धोखे में डाल रही है। यह सेल्फ-डिसेप्शन है। अगर सेल्फ-डिसेप्शन है तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी यह सेल्फ-डिसेप्शन दूर हो उतना ही अच्छा है। मैं उदाहरण-स्वरूप सभापति महोदय, आपको यह कहना चाहूंगा कि अभी मेरे जिले के अन्दर कुछ दूकानों की जहां, शराब बिकती है उनकी नीलामी हुई। सरकार को यह पता होना चाहिए कि हरेक दूकान पर कितनी शराब बिकती है और हरेक गैलन के ऊपर कितना मुनाफा खुर्दाफरोश को मिलता है, उस दूकानदार को मिलता है जो शराब बेचता है। उसकी नीलामी बुलवाकर, जो केल्क्यूलेटेड प्रोफिट है उससे भी ज्यादा बोली बुलवाकर दूकानें दी गई हैं। यह भी एक सेल्फ-डिसेप्शन है ; यह जानबूझकर एक ऐसी पॉलिसी को इन्ट्रोड्यूस करना है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ता है, जिसके द्वारा शोर्ट-सेल होता है और जिसके द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जायं। वैसे ही उदाहरण स्वरूप यदि इस बिक्री कर को इस सोने और चांदी के ऊपर भी लागू किया गया तो यह धन्धा भी समाप्त होगा। उसी तरह से यह प्रोहीबिशन के अलावा यह एक्साइज़ पॉलिसी जो नीलामी की है यह भी एक घातक है।

उसी तरह से २-३ दिन पहले वन-मन्त्री ने व्यक्तिगत रूप से मुझे यह कहा कि इनके जमाने में जो जंगल थे उनमें शिकार व्यक्तिगत रूप से खेलते थे। शिकार तो मैंने किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो सदियों के जंगल थे वे भी मैंने उत्तराधिकारी सरकार को सौंपे। मेरे शासन के अन्दर किसी का घर जलता था तो मुफ्त लकड़ी दी जाती थी। अगर रहट के लिए काश्तकारों को लकड़ी चाहिए तो जो आज ५००) रु० में रहट नहीं मिलता है वह रियायती महसूल से ८) रु० में मिलता था। काश्तकारों को और खासकर गरीब काश्तकारों को हर तरह की, घास, लकड़ी की रियायत थी....

श्री सभापति : I think this is not the subject matter.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, सभापति महोदय, कि बिक्री कर से धन्धा समाप्त किया गया उसी तरह से जो जंगल थे उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तेन्दुए और शेर जो रहते थे वे समाप्त हुए कि नहीं, लेकिन करोड़ों रुपये के सब जंगल समाप्त कर दिये गये हैं। यह सरकार की नीति जो सेल्फ-डिसेप्शन की नीति है, जो फाल्स नीति है, जो गलत नीति है, मेरे ख्याल से इसके अन्दर सुधार होना परमावश्यक है।

मैं समझता हूँ कि सोने-चांदी के जेवर जरूरी हैं; वे आर्टिकल्स ऑफ लग्ज़री नहीं हैं। आजकल के युग के अन्दर अगर आर्टिकल्स ऑफ लग्ज़री माने जायं तो मोटर, बंगले हैं, क्लब हैं, कूलर आदि हैं। ये आर्टिकल्स ऑफ लग्ज़री माने जा सकते हैं। किसान के लिए मैं समझता हूं कि सोना और चांदी कुछ मात्रा के अन्दर परमावश्यक है, क्योंकि अगर किसी किसान या मध्यम श्रेणी का जो वर्ग है उसके घर के अन्दर विवाह-महोत्सव हो उस वक्त पिता पुत्री को छोटी कड़ी सोने या चांदी की रकम दे या पति-पत्नि को दे तो वह भी एक तरह से यहां पर स्थायी रूप से रहेगा। उसका कोई दुरुपयोग इस रूप से नहीं हो सकता कि वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाय। सोना और चांदी मेरे ख्याल से उसी रूप में माने जाने चाहिए जैसे जमीन। अगर सरकार जमीन को ९९ वर्ष तक के लिए लीज़ पर देती है तो उसी रूप से सोना अगर एक दूसरे के पास जाय, चाहे वह जेवर के रूप में जाय, चाहे वह बुलियन के रूप में जाय लेकिन वह भी नष्ट नहीं किया जा सकता और इसी कारण मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसके ऊपर या तो सेल्स-टैक्स एक ही जगह लगाया जाय यानि वन सोर्स पर लगाया जाय, बुलियन पर लगाया जाय अथवा जेवर पर लगाया जाय या अगर नहीं तो दोनों जगह अगर लगाया जाय तो एक फ्लेट रेट से चांदी और सोने और जेवर पर ८ आना पर्सेन्ट के रूप में लगाया जाना चाहिये। कुछ हद तक तो यह समझ में आ सकता है, लेकिन उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाना और हर वक्त बढ़ाना इस टैक्स को, यह मेरी तुच्छ समझ के कतई बाहर है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : On a point of information, क्या सोने और चांदी का जेवर बनाने से, सर, मनी का सक्यू-लेशन नहीं रुकता ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : होता है और नहीं भी होता है; लेकिन जो स्थिति सेल्स-टैक्स के द्वारा उपस्थित हुई है उस सम्बन्ध में मैं प्रकाश डाल रहा हूँ।

पैसेन्जर टैक्स के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मुझे एक बात कहनी आवश्यक लगती है। ५ पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाया गया है। और कच्चे रास्ते पर ५ पर्सेन्ट बढ़ाया गया है और पक्के रास्ते पर भी ५ पर्सेन्ट बढ़ाया गया है। मेरे ख्याल से कच्चे रास्ते पर ५ पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाने का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। अगर सरकार को पक्के रास्ते पर बढ़ाना भी है टैक्स तो मैं उसका विरोध तो करूंगा, लेकिन ५ पर्सेन्ट यानी १५ पर्सेन्ट से २० पर्सेन्ट कर दें तो यह मेरे ख्याल से फेन्टेस्टिक राइज़ है, कोई उचित बढ़ावा नहीं है। अगर २ पर्सेन्ट सरकार

Page No. 53

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पक्की सड़क पर पेसेन्जर टैक्स बढ़ा भी दे तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक है ; लेकिन ५ पर्सेन्ट बढ़ाना कच्चे रास्ते और पक्के रास्ते दोनों पर मैं समझता हूँ कि यह डेमोक्रेसी नहीं है, इक्विटी नहीं है, यह एक टिरेनी है। सभापति महोदय, मैं यह राजस्थान सरकार से एक दफा निवेदन कर चुका हूँ और पुनः निवेदन करूंगा कि यदि टैक्स बढ़ाते ही गये तो प्रकृति के नियम के अनुसार स्थिति ऐसी अवश्यमेव उत्पन्न होगी जब कि टैक्स बढ़ाने पर भी आमदनी बढ़ेगी नहीं, घटेगी ही। मैं माननीय अर्थ मन्त्रीजी से यह अर्ज करूंगा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of Order, I want to clarify. सभापतिजी, अपोजीशन के नेता महोदय बोल रहे हैं और हमेशा फाइनेन्स मिनिस्टर, फाइनेन्स मिनिस्टर कह रहे हैं और फाइनेन्स मिनिस्टर का फाइनेन्स बिल के समय यहां न होना, ठीक है वे अनुपस्थित रह सकते हैं लेकिन फाइनेन्स बिल पर बहस होते समय फाइनेन्स मिनिस्टर का न होना चाहे कानूनी गलती न हो, चाहे लड्ढा साहब, डिप्टी मिनिस्टर उनको रिप्रेज़ेन्ट करते हों लेकिन फिर भी सदन की प्रतिष्ठा और आज के महत्व को देखते हुए, जिस तरह की तकरीर इस समय हो रही है उसको देखते हुए उनका यहां रहना जरूरी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापतिजी,....

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : It is desirable that the Finance Minister should be in the House.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए तकरीर बन्द कर दी जाय। फाइनेन्स मिनिस्टर यहां अवश्य होने चाहिये।

वे अब आ गये, साहब।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सदन की विचारधारा से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और यह भी हर्ष का विषय है कि माननीय सदस्यों ने ऐतराज उठाया और एतराज उठाते ही माननीय वित्त मन्त्रीजी ने सदन में प्रवेश कर लिया। मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जवानों की बात नहीं सुनें तो बुजुर्गों की बात तो सुन लेनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Why your other colleagues have deserted you ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का ध्यान....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आज आपको आपके साथी अकेला कैसे छोड़ गये ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : इतने साहबान जब बैठे हुए हैं तो मैं अपने आपको अकेला नहीं समझता।

एक माननीय सदस्य : घबराने की बात नहीं है। घंटी बजते ही आ जायेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर पुरजोर रूपसे आकर्षित करना चाहता हूँ कि खाद्य पदार्थों के ऊपर जहां तक हो सके सेल्स टैक्स न लें। चांदी-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सोने के जेवरों पर फ्लेट बेसिस पर आठ आना पर्सेन्ट, आठ आना पर्सेन्ट सोने पर और आठ आना परसेन्ट चांदी पर और जेवरों पर सेल्स टैक्स लेने के बारे में गंभीर विचार करें। पैसेन्जर टैक्स कच्ची सड़कों पर बिल्कुल न लें और पक्की सड़कों पर लें तो ज्यादा से ज्यादा २ परसेन्ट लें। मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्रीजी इन बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापतिजी वित्त विधेयक विचारार्थ है और वित्त विधेयक खास करके जो बजट है उसमें वित्तीय कमी को पूरा करने के दृष्टिकोण से विचारार्थ रहता है और साथ ही साथ जब हमारे देश में प्लानिंग चल रहा है उस प्लानिंग में जो पैसे की कमी होती है उसको भी इसके जरिये पूरा किया जाता है। मैं जहां तक सारी वित्तीय स्थिति और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की टैक्सेज़ की जो नीति है उसको देखता हूं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आज जो लगातार टैक्सेज़ लगते ही चले जा रहे हैं वे कहां तक जायज़ हैं, किस प्रकार से लगने चाहिये इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिये।

अब जैसा कि अगले पांच वर्षों में १७.१० अरब रुपये नये टैक्सों के रूप में केन्द्रीय सरकार वसूल करेगी, इसका हिसाब लगाते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रति व्यक्ति करीब ४३०) रुपये ५ साल में सरकार हर व्यक्ति से वसूल करेगी। यह तो केन्द्रीय बजट का हाल हुआ कि प्रति व्यक्ति ४३०) रुपये वह वसूल करेगी ; दूसरी ओर राज्य सरकार के बजट को देखते हैं और उनको अपना फाइनेन्सिंग किस प्रकार पूरा करना है तो वह ६.१० अरब होता है। लेकिन ६.१० अरब रुपये राज्य सरकार वसूल करेगी तो ४३०) रु० प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के होंगे और एक-एक व्यक्ति से दूसरी ओर राज्य सरकार ६.१० अरब रुपये वसूल करेगी उसका हिसाब लगाते हैं तो मालूम पड़ता है कि करीब ७५०) रुपये प्रति व्यक्ति ५ साल में वसूल किये जायेंगे। एक व्यक्ति से जहां ७५०) रु० ५ वर्ष में वसूल हों और फिर देश के साधारण व्यक्ति की माली हालत को मद्दे नजर नहीं रखा जाय, उस पर डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ किस प्रकार लगनेवाले हैं, यह न देखा जाय ! जहां तक डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ का सवाल है, आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं उनसे स्पष्ट मालूम होगा कि डाइरेक्ट टैक्सेज़ ५० परसेन्ट से कम हैं और इनडाइरेक्ट टैक्सेज़ आम जनता पर ज्यादा हैं और आम जनता पर यदि ५० परसेन्ट भी मानलें तो यह अन्दाज लगाइये कि राज्य सरकार की अधिकांश जनता जिसको टैक्स देना पड़ेगा उसकी माली हालत क्या है ? यदि आप ७५०) रुपये प्रति व्यक्ति ५ साल में वसूल करते हैं तो १५०) रुपये साल में हर व्यक्ति को देने पड़ेंगे; तो अंदाज लगाइये ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी साल भर में १५० रुपये होती है या नहीं ? आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो अंदाज लगेगा कि ८० परसेन्ट ऐसे लोग हैं राज्य में जिनकी माली हालत खराब है। इसके बावजूद भी जब कि आपकी सरकार ने समाजवाद की नीति को

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्वीकार किया है और उसके बाद भी उसी पुराने ढर्रे पर चलते हैं जिस पर आज से ५ या १० वर्ष पहले चलते थे जब कि समाजवाद आपने स्वीकार नहीं किया था, आज भी उसी पर चलते हैं तो मैं समझता हूं अभी आप अपनी नीति के खिलाफ, अपने घोषणा-पत्र के खिलाफ, जिस व्यक्ति से जिस घोषणा के आधार पर वोट लेकर आते हैं उसके खिलाफ टैक्सेज़ लगाते हैं और नीति की उपेक्षा स्वयं करते हैं। आखिर जनता के सामने घोषणा-पत्र दिया जाता है तब यह कभी नहीं कहा जाता कि हम इस इस प्रकार से टैक्स लगायेंगे या सेल्स टैक्स वसूल करेंगे। यदि आप ऐसे मामलों में ईमानदार हैं, नैतिक दृष्टि से सच्चे हैं तो आपका कर्त्तव्य होना चाहिये कि चुनने से पहले आम जनता को कहते कि हम इतना टैक्स लगायेंगे। आपने यह बात कभी नहीं कही और जब चुन कर आये तो नैतिक कर्त्तव्य के खिलाफ जनता पर पहले टैक्स लगाया।

मैं इतना ही कहता हूं कि प्लानिंग के लिये पैसा चाहिये; प्लानिंग आयोग ने राज्य सरकारों को लिख कर भेज दिया है कि टैक्सेज़ लगाने में किसी भी प्रकार की कोताई नहीं करनी चाहिये, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना चाहिये। ठीक बात है, लिखा हुआ तो आ गया, अभी जितने टैक्सेज़ लगाये हैं वे थोड़े हैं, जिस हिसाब से लगाने हैं वे बहुत ज्यादा हैं और आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकिउनका आदेश है। जब आप यह नहीं सोचते कि जो पैसा प्राप्त करना है वह किस प्रकार से प्राप्त करना है, यदि इस बारे में आप गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो जो व्यक्ति दबे हुए हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता है, जो भूखे-नंगे सोते हैं, जिनको रोटी नसीब नहीं होती उनकी आधी रोटी छीनना चाहेंगे तो यह समाजवाद के खिलाफ होगा। गरीब मज़दूर और मेहनतकश जो आपकी तरफ आंखें लगा कर सोचते थे कि उनका स्तर ऊंचा उठेगा उनका और अधिक शोषण करते हैं इस दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। आंकड़ों के आधार पर बातें कही हैं, अब कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स और इन्डाइरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति पर लगता है उसमें परिवर्तन करना चाहिये। होना यह चाहिये कि आपने अरबों रुपये १० वर्षों में खर्च किये हैं और पूंजी से जो रुपये खर्च किये हैं उनसे कितने रुपये जनता का जीवन स्तर उठाने के लिये प्राप्त कर सकते हैं। होना यह चाहिये जैसे एक दूकानदार अपनी दूकान में पूंजी लगाता है और उसके बाद पूंजी से और प्राप्त करके दूकान को बढ़ाता है। वह नहीं होता है कि और कर्ज ले ले, और किसी प्रकार से लूट ले। हमारी राज्य सरकार का अपना दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण है और समाजवादी दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक आधार पर होता है, उसके पीछे तथ्य होते हैं। यह होता है कि जो पूंजी प्राप्त करनी है वह किस प्रकार से प्राप्त करे। इस सारे बजट में यह दृष्टिकोण होना चाहिये कि हम इतनी पूंजी लगाते हैं, इतनी पूंजी लगाने के बाद उस पूंजी के जरिये इतना रुपया प्राप्त करलें कि हमको टैक्सेज़ नहीं लगाने पड़ें और वह रुपया ज्यादा से ज्यादा दिन पर दिन बढ़ता रहे। दूसरा दृष्टिकोण यह होना चाहिये समाजवाद में कि हम कौनसा रास्ता अख्तियार करें, कैसे आज राष्ट्रीय-करण की बात कहते हैं, आज बसों के रूट का

(श्री मुरलीधर व्यास)

राष्ट्रीयकरण करते हैं; उसमें हमें अनुमान लगाना चाहिए पहले कि एक व्यक्ति जो बस चलाता था उससे न जाने कितने व्यक्ति पलते थे, कितने लोगों के पास कितना रुपया जाता था। आज यातायात के बारे में जो रिपोर्ट आई है उससे मालूम पड़ता है कि यातायात का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे सेंट परसेंट मुनाफा है। सेंट परसेंट मुनाफे की चीज का आपने राष्ट्रीयकरण कर लिया। वहां पूंजी लगाकर उससे मुनाफा नहीं करते हैं और उसमें कोई काम नहीं होता है तो दूसरों से टैक्स वसूल करते हैं। आप लोगों पर बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। होना यह चाहिये कि उस उद्योग के जरिये सरकार पूंजी पैदा करे और उसे राज्य के विकास के काम में लगाये। हमारे यहां अरबों और करोड़ों रुपया योजना पर लगाते हैं और लगाने के बाद में पूंजी प्राप्त नहीं करते हैं। आपने राष्ट्रीयकरण कर लिया। आखिर राष्ट्रीयकरण का मकसद क्या है ? राष्ट्रीयकरण इसलिए होता है कि समाज के जो साधन व्यक्ति के पास पड़े हुए हैं, उनको लेकर ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा करके जनता की सेवा में लगायें। यह दृष्टिकोण आपके सामने होना चाहिए। अगर यह नहीं है और बहुत थोड़ी आमदनी आपकी हो रही है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरे, आपके जो साधन हैं, जिस प्रकार माइनिंग के साधन हैं, आपके पास वन के साधन हैं, आपके पास जो वन सम्पत्ति है, उसमें देखते यह हैं कि एक साल लगातार जिस पर आपको मुनाफा होना चाहिए, जो आपकी सम्पदा है, उसमें घाटा ही घाटा चला आता है तो उसमें कुछ न कुछ घोटाला है। यह राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसमें ठेकेदार को छूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ठेकेदार को छूट देकर उसे व्यक्तिगत सम्पति बढ़ाने के लिए दे देते हैं। उसका राष्ट्रीयकरण करके पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए, वह नहीं करते हैं। इसलिए अब समाजवादी समाज में रुपया वसूल करने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए।

यह वन का हो गया। दूसरा मामला माइन्स का है। माइन्स के अन्दर आप देखिये कितना कितना पैसा लोग खींचते हैं। रॉयल्टी का पैसा लोग बीच में खा जाते हैं। होना चाहिए यह कि ऐसी माइन्स जो बड़ी हैं उनके ऊपर सरकार अपना कब्जा करे, उनमें अच्छी व्यवस्था करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा करके प्लानिंग में लगाये। मैं समझता हूं कि समाजवादी दृष्टिकोण केवल कागजों में रखने से पूरा नहीं होता है, समाजवादी दृष्टिकोण को जीवन में उतारने से वह पूरा होता है। जो अपना पैसा समाज के व्यक्तिगत लोगों के पास जाता है उसे वहां से लेकर सरकार के खजाने में जमा करना चाहिए और जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। यह नया तरीका आपको अख्तियार करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि आम जनता के ऊपर आप लगातार टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं; जैसे पंचवर्षीय योजना में आप सात सौ रुपया प्रति आदमी से वसूल करेंगे, वह आपकी नीति से दब जायगा, वह हैरान हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को पैसा पैदा करने के मामले में अपनी

(श्री मुरलीधर व्यास)

नीति में परिवर्तन करना चाहिए और समाजवादी दृष्टिकोण लागू करना चाहिए, जो कि आज नहीं है।

दूसरी बात, जो टैक्सेज़ के विषय में है, वह यह है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने सदन में एक बात कही और जो फाइनेन्शियल बिल आये, उसमें दूसरी बात आ जाये, तो मैं समझता हूं कि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न बन जाता है। आखिर आप सदन के सदस्यों को गुमराह नहीं कर सकते। मैं इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भाषण दिया था और जो बजट की उनकी स्पीच हुई, जो बातें वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में दी है उनकी उसके बाद वित्त विधेयक से तुलना करते हैं तो इसके अन्दर जो नहीं है, उसके विपरीत इसमें है। जो बातें आपने कहीं उनके विपरीत आपका चलन है, कार्य है। आखिर यह क्या है ? जैसे आपने इसमें कहा, कपड़े पर कोई बिक्री कर नहीं है, इसलिए अब तक इनको महज बारदाने की बिक्री की वजह से बिक्री-कर के सारे दस्तूर पूरे करने पड़ते हैं; लक्ष्य तो यह है कि उनको सिर्फ बिक्री-कर की वजह से दस्तूर पूरे करने पड़ते हैं। तो अगर आप राहत देना चाहते थे तो यह होना चाहिये कि उसको हर प्रकार से राहत मिल जाय, किसी प्रकार से उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं हो। आखिर यह चीज क्यों रखते हैं ? जब आप चाहते हैं कि सारे काम इस प्रकार हो जायं कि कोई तकलीफ नहीं हो तो आखिर इसको क्यों रखना चाहते हैं ? कोई इरादा होना चाहिए आपका, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है और आप राहत देना चाहते हैं तो इसके अन्तर्गत इसको दूर क्यों नहीं करते हैं ?

दूसरी बात, आपने एक जगह पर कहा कि यह जो बिक्री कर है, यह छोटे व्यापारियों की संख्या है, इसमें कमी हो जायगी। आपने कहा है-इस तरह बिक्री कर के दायरे से बाहर छोटे व्यापारियों की तादाद बहुत बढ़ जायेगी। व्यापारियों की तादाद बढ़ जायगी, इसके लिये आपने क्या किया है कि पहले दस हजार तक रखा था छोटे व्यापारियों और मोटे गृह उद्योगों के लिए, वह अब आपने पांच हजार कर दिया है। अब पांच हजार कर देने से, मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कम हो जायेगी और आप कहते हैं कि इस मामले के अन्तर्गत छोटे व्यापारियों की संख्या कम हो जाती है। अरे! छोटे व्यापारियों की संख्या के अन्दर कमी तब होगी जब आप दस हजार से बढ़ा कर दो हजार तक और छूट देते हैं। लेकिन आपने पांच हजार कर दिया है। आप समझ जाइये कि कैसे कम होगी। आपने छोटे व्यापारियों में मेन्युफेक्चरर्स और ऐसे लोगों के लिए रखा है। मेन्युफेक्चर हरएक आदमी करता है। मोची भी छोटे-मोटे जूते का मेन्युफेक्चर करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई रंगाई का काम करता है, कोई तेल बनाता है, कोई साबुन बनाता है। छोटे आदमी गृह उद्योग घर में करते हैं। उसकी सीमा पहले दस हजार थी, अब पांच हजार कर दी है। इससे क्या होगा कि पांच हजार टर्न ओवर के ऊपर उसको बही बनानी पड़ेगी, उसको सेल्स टेक्स का हिसाब रखना पड़ेगा। आप

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह कह रहे थे कि हम इस तरीके का रास्ता अख्तियार करेंगे कि छोटे व्यापारियों की संख्या सेल्स टैक्स के दायरे से....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : व्यापारी और मेन्युफेक्चरर में थोड़ा फर्क है। इन दोनों को मिला कर कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : वे मेन्युफेक्चर करते हैं, जो यह धन्धा करते हैं, उद्योग करते हैं; इस उद्योग में छोटे लोग हैं। आपकी मन्शा यह थी न कि ऐसे जो आदमी छोटे-मोटे इस दायरे में ज्यादा आते हैं, उनकी संख्या कम की जाय। आपने इसमें दस हजार की जगह पांच हजार कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि इससे संख्या बढ़ेगी या कम होगी ? मैं इस बात को मानता हूं कि संख्या ज्यादा होगी····

श्री बालकृष्ण कौल : व्यापारियों के लिए कम किया गया है। मेन्युफेक्चरर्स के लिए नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : गृह उद्योग के लिए····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मेन्युफेक्चरर और व्यापारी दोनों को एक संज्ञा में मिला दीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास ; टैक्स ऐसे मामूली आदमियों पर पड़ता है, आपने जो दृष्टिकोण रखा है उससे ऐसा मालूम पड़ता है। मेन्युफेक्चरर्स से मेरा मतलब बड़ी भारी कम्पनी से नहीं है। मेन्युफेक्चर वे भी करते हैं ....

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा मतलब तो शब्द से है।

श्री मुरलीधर व्यास : हां, शब्द से है। आपने दस हजार की जगह पांच हजार किया है। पहले दस हजार था, अब पांच हजार कर दिया है। उससे क्या दिक्कत कम हो गई, क्या संख्या कम हो गई ; इसके बारे में जब आप जवाब देंगे तब बतायें। मैं कहता हूं कि जो आपने पांच हजार कर दिया है इससे दुगुने आदमी इसके अन्दर आ जायेंगे, उनको हिसाब-किताब रखना पड़ेगा और परेशानी और चक्कर में पड़ जायेंगे। इसमें वे आयेंगे जो अनपढ़ हैं, छोटे-मोटे काम करते हैं। आपके यहां जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं, छोटा-मोटा रंगाई का धन्धा करते हैं, दूसरे काम करते हैं, हर एक आदमी इसके अन्दर आ जायगा। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि आप एग्ज़ामिन करा लीजिये कि इसमें कितने लोग आयेंगे और उनको किस प्रकार से आप बचा सकते हैं। मेरा लक्ष्य यह है कि इसमें छोटे गृह उद्योग करनेवाले लोग नहीं आयें अगर आप कहते हैं कि नहीं आवेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप स्पष्ट करें।

दूसरा यह निवेदन है कि इसमें आपने रखा है कि अगर कोई व्यक्ति—व्यापारी सेल्स टैक्स की चीज को लाएगा तो उसको १२ हजार से १५ हजार की छूट से भी हाथ धोना पड़ेगा और वह ५,०००) के अन्तर्गत आ जावेगा। अगर कोई जयपुर से बाहर जाकर

(श्री मुरलीधर व्यास)

५०) रुपये की पीपरमेंट की गोलियें ले आता है तो वह इसके अन्दर आ जावेगा। आपने जिस व्यापारी को जो छूट दी है १२ हजार से १५ हजार की वह भी उसकी चली जावेगी, अगर वह भूल से भी इस प्रकार की चीज ले आवेगा। अगर वह ५०) रुपये की चीज ले आया तो १५ हजार की छूट उसको नहीं मिलेगी और वह ५ हजार में आ जावेगा, जैसा आपने इसमें दिया है। आप एक नम्बर को देख लीजिये। यह इम्पोर्ट और मेन्युफेक्चरर दोनों के लिये है। अगर वह ५०) रु० के बिस्कुट ले आया जिस पर सेल्स टैक्स है तो उस व्यापारी को आपने जो १२ हजार से १५ हजार की छूट दी वह भी गई। आपने अपने बजट स्पीच में तो यह बात कह दी कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर लोगों को इससे बचाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो वित्तीय बिल रखा है उसको आपने इस ढंग से रख दिया है कि जिससे ज्यादा लोग इस जाल में फंस जायें। यदि आपकी मंशा लोगों को फंसाने की नहीं है तो ऐसी त्रुटियें जो रह गई हैं और जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का शिकार बनना पड़ रहा है और फाइनेन्स मिनिस्टर चाहते हैं कि वे लोग उसके शिकार न बनें तो आपको इस पर सोचना चाहिए और सोच कर इसमें कुछ न कुछ सुधार करना चाहिए ताकि आपने सदन में जिस मंशा से इसको रखा है वह पूरी हो सके।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मंशा से आपने इसको रखा है वह आपकी मंशा पूरी नहीं होती है। आपने इसमें ब्रोकरों को भी ले लिया। आपने कहा है कि वह भी व्यापारी की तरह सेल्स टैक्स देने का अधिकारी होगा। मैं यह कहूंगा कि वह कोई चीज खरीदता नहीं और न कोई चीज बेचता है तो फिर वह किस बात का सेल्स टैक्स देने का अधिकारी होगा? ब्रोकर तो एक व्यापारी के पास जाकर बताता है कि दूसरे आदमी के पास माल है लेकिन खरीदता दूसरा आदमी है। वह तो एक प्रकार से व्यापारी और खरीदने वाले के साथ कड़ी जोड़ने वाला व्यक्ति है। अगर आप उसको डीलर में मान लेते हैं तो सेल्स टैक्स व्यापारी से लेंगे या डीलर्स से लेंगे या ब्रोकर से लेंगे; यह कोई साफ पता नहीं है। आपके इस प्रकार का प्रोविज़न रखने से सेल्स टैक्स के अधिकारी ब्रोकर और व्यापारी दोनों को परेशान करेंगे और ब्रोकर को कहेंगे कि तुमने सामान बिकवाया है सेल्स टैक्स वसूल होना चाहिए।

इसके अलावा आपने ५० हजार की बात कही है कि जो ५० हजार से ऊपर टर्न ओवर करते हैं व्यापारी उनका हिसाब तीन वर्षों में एक दफा देखा जावेगा और उस पर सेल्स टैक्स लग गया तो उसके बाद तीन वर्षों तक उसका हिसाब देखने की जरूरत नहीं होगी। यह बात आपने अपने बजट स्पीच में तो कह दी, मगर मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह बात फाइनेन्स बिल में नहीं रखी है। यह बात फाइनेन्स बिल में भी आनी चाहिये थी अगर वह यहां पर नहीं आई है तो वह मंशा आपकी पूरी नहीं हो सकती है।

(१०.५३ म. पू.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

श्री बालकृष्ण कौल : आप इस पोइन्ट को फिर से दोहरा देने की कृपा करें।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने ५० हजार से ऊपर वाले व्यापारियों के लिए यह बात कही कि एक दफे उनको हिसाब बता देने के बाद में तीन वर्षों तक उनको हिसाब नहीं देना होगा। यह बात तो आपने अपने बजट स्पीच में कह दी और वह आपके बजट स्पीच में आ गई। लेकिन जब तक आपकी यह बात फाइनेन्स बिल में नहीं आवेगी तब तक ऐसा कौनसा ऑफिसर होगा जो इस पर अमल करेगा ? वह तो यही कहेगा कि हमको तो बराबर सालों साल हिसाब देखना होगा। आपने कहा है इसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक इस पर अमल नहीं होगा। आप कुछ भी कह दें लेकिन जब तक वह चीज बिल में नहीं लाते हैं तो जिस आदमी को हम राहत देना चाहते हैं वह पूरी नहीं होती है और जो भी काम हो रहा है वह आपकी मंशा के विपरीत काम हो रहा है और उसको आपको रोकना चाहिये। और जो जो बातें आपने इसमें रखी हैं ठीक हो सकती हैं लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जिस मंशा से उनको रखा है वह आपकी मंशा पूरी नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि जो बातें बजट में नहीं रखीं वे भी आ सकती हैं। अगर आपने किसी अच्छे दृष्टिकोण से रखी हैं तो ठीक बात है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके बजट स्पीच में नहीं आती हैं और अब आती हैं जो वित्तीय बिल को देखने से मालूम होती हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं आपको कि जो प्रावधान रखा है उसमें परिवर्तन करना चाहिये।

जहां तक टैक्सों की चोरी का सवाल है; जैसे मनोरंजन टैक्स हुए या पैसेन्जर टैक्स की चोरी का सवाल है, हम चाहते हैं कि यह चोरी बन्द हो। जो पैसेन्जर टैक्स आप वसूल करना चाहते हैं वह पैसा वास्तव में यात्री से तो ले लिया जाता है और सरकार के खजाने में जमा नहीं होता है। कई दफे गाड़ी में गांव के आदमी बैठते हैं और दूसरे स्टेशन पर उतर जाते हैं। जल्दी में वे टिकट नहीं ले पाते हैं मगर उनसे पैसा तो ले लिया जाता है और वे लोग आपके शिकंजे में नहीं आते। आपकी मशीनरी टैक्सों को वसूल करने के सम्बन्ध में बड़ी कमजोर है इसलिए आपको ऐसी मशीनरी बनानी चाहिये जो टैक्स आपने लगाये हैं उनको वसूल कर सके। पहले वाला तरीका आपका इससे ज्यादा अच्छा था कि जितनी सीटें होती उन पर टैक्स लगता था और उसके अनुसार उनसे पैसा ले लेते थे। मगर आज-कल यह होता है कि टैक्स तो लोगों से वसूल कर लिया जाता है मगर जो पैसा आपके यहां खजाने में जमा होना चाहिये वह जमा नहीं होता। मैं यह कहूंगा कि आधा पैसा तो मोटर मालिकों के पास जाता है और आधा पैसा सरकार के पास जाता है। इसी प्रकार एम्यूज़मेंट टैक्स है उसके लिए मैं आपको कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। सरकार के अधिकारियों की चिटें चली जाती हैं जिसमें यह लिखा हुआ होता है एलाउ फाइव पर्सन्स। मगर उसके साथ जो टैक्स लगता है वह भी उनसे वसूल नहीं किया जाता है और अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास हजारों इस प्रकार की चिटें मौजूद हैं जिससे यह साबित हो सकता है कि एम्यूज़मेंट टैक्स पूरी तरह से वसूल नहीं होता है।

दूसरे देशों में एम्यूज़मेंट टैक्स वसूल

(श्री मुरलीधर व्यास)

करने की यह नीति है कि सरकार खुद अपनी बहियें उनको देती है, उस पर बाकायदा मोहर होती है। मगर यहां पर दो-तीन तरह की बहियें रखते हैं, अगर कोई सरकारी ऑफिसर चला गया तो दूसरी बहियें बता दी जाती हैं। इस तरह से जो टैक्सेज़ आप वसूल करना चाहते हैं वे आपके खजाने में नहीं आते हैं। इसलिये आपको नये तरीकों को अपनाने के लिये गंभीरता से सोचना चाहिये ताकि यह टैक्स का पैसा व्यक्तिगत आदमियों के पास न चला जावे। टैक्सों की आमदनी पूरी की पूरी खजाने में आवेगी तभी आप अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे।

आपको यह भी देखना चाहिये कि जो छूटें देते हैं, बड़े बड़े लोगों को, दूसरे लोगों को, जितनी एस्टीमेट्स कमेटीज की रिपोर्टें हैं, उनको पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कई बातों की छूटें मौके बे मौके दी जाती हैं। लास्ट टाइम मैंने एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, सरकार ने अभ्रक पर ६) रुपया सैकड़ा के हिसाब से रॉयल्टी लगाई थी। उसके बाद सरकार ने व्यापारियों से सौदा कर लिया। जहां एक मन अभ्रक की कीमत हजारों रुपया है वहां उसकी केवल ६) रूपया सैकड़ा रॉयल्टी है पर कई दिनों बाद रॉयल्टी वसूल करने का सवाल आता है तो ६) रुपया के स्थान पर रॉयल्टी १) रुपया ली जाती है। ६) रुपया सैकड़ा के हिसाब से लाखों रुपया रॉयल्टी होती है उसमें छूट करके ६ रुपयों के बजाय १ रुपया मन कर दी जाती है और इस तरह लाखों की छूट आप बड़े बड़े लोगों को देते हैं। यह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है। यहां तक है कि सरकार को लोगों से बिजली का रुपया वसूल करना है, इसके लिये ताकीद की जाती है पर रुपया नहीं आता है। इसी तरह और और मदों का भी रुपया लोगों से लेना है पर वह रुपया नहीं आता है। तो इस ओर सरकार को दृढ़ता से जोर देना चाहिये और इस तरह जो हमारा रुपया लोगों में रुका हुआ है वह खजाने में आना चाहिये।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह वित्त विधेयक है इसमें जो प्रावधान रखे हैं उनके अन्तर्गत आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। आपका जो टैक्स वसूल करने का तरीका है उसको बदलना चाहिये, जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता डूंगरपुर से आनेवालों ने कहा कि १० से १२ कर दिये, १२ से १७....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, समय का ध्यान रखें; नहीं तो सबको बोलने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे रेतीले टीलों में बसें चलती हैं, जहां किसी प्रकार की सड़कों की सुविधा नहीं, वहां पर भी यात्रियों पर ५ पैसा बढ़ा दिया है तो यह कतई अनुचित है, क्योंकि आप वहां उन लोगों को क्या सुविधा देते हैं; न वहां सड़क है और न कुछ और प्रबन्ध है? बीकानेर से जो बसेज़ जाती हैं गावों में उनको मैंने देखा है कि कोई सड़क नहीं, ऊबड़खाबड़ रास्तों में गाड़ियां जाती हैं, लोगों के सिर फूट जाते हैं इतने खराब रास्ते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में भी मैं यही

(श्री मुरलीधर व्यास)

निवेदन करूंगा कि सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये, सेल्स टैक्स को बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिये । अनाज के बारे में तो आपको घोषित कर देना चाहिये कि सेल्स टैक्स नहीं लगेगा । मोठ, बाजरा हमारे यहां का खान है और चना, जौ और गेहूं की मिली हुई रोटी आपका राशन है । इसलिये खाद्य वस्तु पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये, इसको हटाने से महंगाई भी कम होगी ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री रामकिशन ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मेरा नाम जानते हैं साहब ?

श्री रामकिशन (वैर) : सभापतिजी, वैसे तो बजट पर आम तौर पर अब तक सभी वक्ताओं ने सरकार की कर-नीति पर काफी प्रकाश डाल दिया है लेकिन कुछ टैक्स जो सरकार ने लगाये हैं उन पर सरकार को जरूर दुबारा विचार करना चाहिये और मैं समझता हूं, वित्त मंत्री इस पर अवश्य विचार भी करेंगे । जैसे जेवर पर टैक्स लगाया है । वैसे मैं मानता हूं कि जेवर पहिनना अच्छी बात नहीं है इसलिए जेवर पर टैक्स लग जाय तो बुरी बात नहीं है । पर दो जेवर ऐसे हैं जिन पर वित्त मंत्री को सोचना चाहिये । एक तो है औरतों का बोर, दूसरा है अंगूठी । राजस्थान में यह बोर क्यों पहिना जाता है,इस सारी कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा पर यह कहूंगा कि अपने यहां की ऐसी आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में औरतें जब बोर पहिनती हैं तो कुछ क्षणों के लिये राजस्थान की रानी बन जाती हैं, जब कि इस प्रदेश का जीवन घुटन, गंदगी और भ्रष्टाचार का जीवन है । तो जिस बोर को पहिन कर राजस्थान की महिला थोड़ी देर के लिए रानी बन जाय उस पर भी वित्त मंत्रीजी टैक्स लगा दें तो यह महिलाओं के साथ भयंकर अनर्थ और अन्याय है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि टैक्स लगाते वक्त बोर पर टैक्स नहीं लगे, इसको छूट दे देनी चाहिये और दूसरा जेवर है अंगूठी, उसकी स्मृति वित्त मंत्रीजी को भी होगी, शायद न भी हो; क्योंकि उनका बुढ़ापा है, पर अंगूठी एक ऐसी स्मृति का जेवर है कि जिस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये । वे जानते हैं कि ६ आने भर की अंगूठी ५ बार बिक जाने के बाद बिक्री कर में ही समाप्त हो जाती है ! तो ऐसी स्थिति में इन दो जेवरों पर तो टैक्स बन्द कर देने की घोषणा उन्हें तुरन्त कर देनी चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : आपने जो जेवर गिनाये उसमें चूक गये । दो-चार और जेवर गिना देते तो अच्छा होता; मसलन चूंड़िया हैं; दूसरे, सुहाग चिन्ह हैं....

श्री रामकिशन : जहां तक चूड़ी का प्रश्न है इसे मैं औरतों के लिए हथकड़ी समझता हूं क्योंकि जेवर पहिनाना औरतों को गुलाम बनाना है, सुहाग-चिन्ह के जो दूसरे जेवर हैं वे भी बन्धन हैं । वैसे और जेवर

(श्री रामकिशन)

गिनाने की आपकी इच्छा हो तो आप गिना देना, पर मैं यह कहूंगा कि इन दो जेवरों पर तो कम से कम टैक्स नहीं लगाना चाहिये ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि खाद्यान्नों पर भी टैक्स नहीं लगाना चाहिये । चने पर टैक्स लगाया है, चना पैदा करने वाले गंगा-नगर और भरतपुर ये दो मुख्यत: इलाके हैं । भरतपुर में चने का भाव यह टैक्स लगाने से पहले १४ रु० २ न. पै. था जो कर लगाने के बाद १२ रु० ३ न. पै. रह गया है । भरतपुर की मंडी में देखेंगे तो २० हजार मन चना हर रोज आता है और इस तरह फसल के मौके पर यह टैक्स लगा कर आपने भरतपुर के किसानों को १२ लाख रुपये का घाटा दे दिया है । सरकार को इससे कितना मुनाफा होगा, इस चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता । लेकिन इस तरह के टैक्सेज़ का किसानों के ऊपर उल्टा असर पड़ता है । भरतपुर का चना उत्तरप्रदेश में जाता है और इस तरह भरतपुर के किसान को इस टैक्स के कारण दो दफा लुटना पड़ेगा, भरतपुर में भी उन्हें यह टैक्स देना पड़ेगा और यू. पी. में भी टैक्स देना पड़ेगा । हर साल बजट फसल के समय ही आता है । उस समय इस प्रकार के टैक्स लगाने से किसानों को बहुत नुकसान होता है । तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रीजी को इस पर और सोचना चाहिये ।

तिलहन पर जो टैक्स लगाया गया है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूंगफली और अरंडी को इसमें शामिल किया है या नहीं । अगर मूंगफली को शामिल किया गया है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरसों पर टैक्स है वही काफी है । मूंगफली पर तो इसलिए भी छूट देनी चाहिये कि यह गरीबों का मेवा है । अखरोट और बादाम मन्त्री महोदय को और सरकारी पक्ष की ओर बैठने-वालों को मिल जाते हैं, लेकिन गरीबों को अखरोट और बादाम नसीब नहीं होते, उनका मेवा तो मूंगफली ही है । अब मूंगफली पर भी टैक्स लगा दिया है तो उससे स्पष्ट होता है कि आप गरीब की हर चीज पर टैक्स लगाना चाहते हैं । इसलिए मूंगफली पर तो टैक्स नहीं लगाना चाहिये । वित्त मन्त्रीजी को और बड़े बड़े लोगों को मेवा खाने को मिल जाता है पर गांवों में रहनेवाले लोगों को तो मूंगफली ही मिलती है । इस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है, तो ऐसा विदित होता है कि आप गरीबों पर चारों ओर से हमला करने के अभ्यस्त हो गये हैं । अगर आमदनी बढ़ाने का ही सवाल है तो सरकार के आमदनी बढ़ाने के और अनेक तरीके हैं; मसलन राजस्थान के वन विभाग को ही ले लीजिये । अगर सरकार चाहे तो वन विभाग में ६० लाख की लागत का ऐसा कारखाना खड़ा कर सकती है जिसमें जामुन और बेर के मुरब्बे तैयार किये जा सकते हैं । जामुन और बेर के पेड़ राजस्थान में बहुत हैं, अत: यह कारखाना खड़ा किया जा सकता है । वित्त मंत्रीजी पुराने कश्मीरी हैं, मुरब्बे का काम वहां बहुत चलता है । राजस्थान में भी यदि इस कार्य को शुरू करें तो सरकार को बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है और जितने आपने टैक्स लगाये हैं उनको हटा दें तो उनकी इससे पूर्ति हो सकती है । इस तरह के कारखाने से आदिवासियों को भी काम मिलेगा और

(श्री रामकिशन)

सरकार को भी इससे आमदनी होगी। इस पर भी सरकार विचार कर सकती है। असली सवाल तो मन का है। वित्त मन्त्री इसको एक साधारण सी चीज समझते हैं, जो चीज नजर में आई उस पर टैक्स लगा दिया। इस नजर को जरा पेनो कीजिये और इसे ऐसे क्षेत्रों में लेजाइये जहां आमदनी के दूसरे रास्ते बन सकते हैं।

आपने यात्री-कर लगाया। सारे क्षेत्रों की बात नहीं करता, किन्तु मैं तो उन क्षेत्रों की बात करता हूँ जिन पर असर पड़ने वाला है। आपके राष्ट्रीय उद्योग पर भी इसका असर पड़ने वाला है। भरतपुर से जयपुर की मिसाल देता हूं। भरतपुर से जयपुर रेल मार्ग है। रेलें आती हैं, सरकारी बसेज़ भी आती हैं। जहां रेल का किराया ४) रु० ४० नये पैसे हैं और मोटर से ५) रु० ६० नये पैसे रखे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि आपकी बसेज़ खाली चलेंगी। आपने यह सोच कर कि राष्ट्रीयकरण किया है और कर लगाया है कि चलो कमायेंगे, लेकिन आप तो इससे घाटे में चले जावेंगे। वित्त मन्त्री ने नकल की कि रेल का किराया बढ़ने वाला है, मोटर का भी बढ़ाया है और टैक्स लगा दिया है। लेकिन जब से मोटर का किराया बढ़ाया है, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से जांच करिये, मैं खुद कल-परसों ही मोटर में आया था, उसमें केवल तीन-चार सवारी थी। मोटर का किराया अधिक होगा और रेल का कम होगा तो फिर यह मोटर का यातायात किस प्रकार चलेगा? इससे आमदनी बढ़ेगी या गिरेगी? इससे तो आमदनी गिरेगी। और जो आपने यातायात का राष्ट्रीयकरण किया है और आपकी जो मनोवृत्ति है कि इस राष्ट्रीयकरण के कारण सरकार की आमदनी बढेगी वह तो बढ़ेगी नहीं, घटेगी और लोग इस बढ़े हुए किराये के कारण आपकी इस राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध करेंगे और जब लोग इसका विरोध करेंगे तो उनके सामने आपके थोथे तर्क नहीं चलेंगे। आज एक तथाकथित समाजवादी सरकार के प्रतिनिधि सही समाजवादी सरकार कहाने वाली सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। उसकी नीति तो यह होनी चाहिये कि करों का भार अधिक कमाने वाले पर पड़े लेकिन यहां उसका उल्टा हो रहा है। दूसरे मुल्कों में भी जिनके जितनी अधिक आमदनी होती है उन पर उतना अधिक कर लगाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में इसके विपरीत स्थिति है। यहां टैक्सों की चोरी अधिक होती है। जो टैक्स आपने लगा रखे हैं यदि उनको ही पूरा पूरा वसूल कर लें तो आपको नये टैक्स लगाने की आवश्यकता ही न रहे। अन्य विकास योजनाओं के लिए जो आपको रुपये पैसे की आवश्यकता पड़ेगी यदि उन टैक्सों की सही प्रकार से वसूली हो जाय तो आपको नये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज टैक्सों की अधिक चोरी होती है और वित्त मंत्रीजी का उससे परिचय है। बीमा व्यवसाइयों से वे परिचित रहे हैं। टैक्सों की चोरी होने से सरकारी खजाने में पैसा नहीं आता है। इस प्रकार नये नये टैक्सेज़ लगा कर और टैक्सेज़ को बढ़ा कर आप एक प्रकार से लोगों को भ्रष्ट बना रहे हैं। आपका समाजवाद का लक्ष्य गलत है।

(श्री रामकिशन)

सच्चा समाजवाद इस प्रकार से आने वाला नहीं है। जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया कि टैक्स लगाते हैं किन्तु उनकी बचत आपके पास नहीं होगी। इस प्रकार टैक्स बढ़ा बढ़ा कर और वसूली नहीं करके लोगों को आप बेईमान बना देते हैं जो दूसरे तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ा लेते हैं। इसका मतलब यह है कि सही रूप से वसूली नहीं होगी और लोग ले-देकर अपना काम लेंगे। इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिये।

सरसों का जहां तक सम्बन्ध है आपने इस पर एक परसेन्ट के बजाय दो परसेन्ट टैक्स लगाया है। यह राजस्थान का खास उद्योग है। यदि आज प्रदेश की आमदनी आंकी जाय तो तिलहन से होने वाली आमदनी जो है, तमाम राजस्थान का प्रतिशत निकालने के बाद देखा जाय, गलतियां होती हैं उनमें, फिर भी सबसे बड़ी आमदनी इससे होती है। इस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब आपको एक प्रतिशत टैक्स से ही आमदनी मिल जाती है तो फिर दो प्रतिशत क्यों करते हैं? इसका प्रभाव अलवर और भरतपुर के इलाकों पर पड़नेवाला है। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं क्षेत्रीय भावना से कह रहा हूं, न ही आप मेरा मतलब क्षेत्रीय भावना से लगा लें, मैं आप पर भी क्षेत्रीय भावना का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अजमेर में कोई टैक्स का नम्बर नहीं आता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अजमेर में इतना बड़ा कहर टूटा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा।

श्री रामकिशन : जब आपका नम्बर आये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फाइनेन्स मिनिस्टर की तारीफ करें कि पहले टैक्स वहां से दिया है।

श्री रामकिशन : मैं भी इनकी कोई निन्दा नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं।

तो स्थिति यह है कि आपने मूंगफली, चना, सरसों इन पर टैक्स लगाया है। इसका अलवर, भरतपुर, गंगानगर के इलाकों पर अधिक असर पड़ेगा। जो ज्यादा कमाते हैं उनको ज्यादा देना चाहिये। लेकिन इतना अधिक पहले से ही आपने टैक्स लगा रखे हैं कि गरीब जनता अब और टैक्स अधिक नहीं दे सकती, उसकी गुन्जायश नहीं है। प्रतिवर्ष आप टैक्स लगाते हैं, केन्द्रीय सरकार टैक्स लगाती है, राजस्थान सरकार टैक्स लगाती है, म्युनिसिपेलिटीज़ टैक्स लगाती हैं। यह बताया गया है कि म्युनिसिपेलिटीज़ २५ लाख की आमदनी कर लेगी। साथ साथ यह भी जोड़ दिया है कि इतनी आमदनी के म्युनिसिपेलिटीज़ कर लगायेगी। मतलब यह है कि २५ लाख का टैक्स और लगा दिया। स्वायत्त शासन मंत्रीजी को इस बात के लिए खुशी होगी कि चलो २५ लाख उनको इस प्रकार से मिल जायेंगे, एक प्रकार से आपने गारन्टी दे दी। आप स्वायत्त शासन संस्थाओं के द्वारा टैक्स लगाना चाहते हैं। यदि ये स्वायत शासन संस्थायें इस प्रकार से टैक्स लगाने का जरिया बन गयी तो लोकतन्त्र पर से लोगों का विश्वास उठ जायगा।

(श्री रामकिशन)

आप योजनायें बनाते हैं। आपकी योजनायें महत्वाकांक्षी हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान का विकास जल्दी होना चाहिये, दुनिया के देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान को जल्दी आ जाना चाहिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार से वित्तीय साधनों की चोरी होने दें और बिना कारण ही अधिक से अधिक टैक्सेज़ लगाते जायं। विकास सब चाहते हैं, प्लानिंग कमीशन ने भी यह बात रखी है कि प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़नी चाहिये। लेकिन उसका कोई तरीका होना चाहिये।

मैं आपको इस प्रकार से चार-पांच सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं और वे हैं जिन्स पर टैक्स कम करना चाहिये; पहले ही काफी ले चुके हैं। सरसों, मूंगफली, कपास इत्यादि पर काफी ले चुके हैं। मोटरों में जो सवारी चलती हैं, अधिक टैक्स के कारण से आप बहुत बड़े घाटे में पड़ने वाले हैं। आपकी रिपोर्ट आ रही है, उसको आपको देखना चाहिये। राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् आप देखेगे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे यह पता चलेगा कि आपकी आमदनी का ह्रास हो रहा है। राष्ट्रीयकरण में सब जगह घाटा हुआ है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश में ६ करोड़ का फायदा हुआ है। जब मोटरों में अधिक किराये और टैक्स के कारण रेल के मुकाबले में यात्री कम चलेंगे तो नुकसान राष्ट्रीयकरण की नीति से नहीं होगा, लेकिन आपकी गलत कर नीति से होगा। राष्ट्रीयकरण की जो परिस्थितियां पैदा होनी चाहिये वे पैदा नहीं हुई हैं और पैदा भी नहीं की गई हैं। विभागों का समीकरण होना चाहिये जो कि नहीं हो रहा है। हरएक विभाग अपनी अपनी सोचेगा। ट्रान्सपोर्ट अपनी सोचेगा, वित्त विभाग अपनी सोचेगा और रेवेन्यू विभाग अपनी सोचेगा। एक दूसरे विभाग का जो परस्पर प्रभाव पड़ता है उसके कारण भी राजस्थान सरकार को काफी नुकसान होता है। इसलिए जब अगले साल बजट बनाया जायगा तो उन सब का समीकरण करके सोचा जायगा। केवल वित्त विभाग यह बता दे कि इतनी आमदनी हुई, दूसरे विभाग का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब नहीं है तो काम नहीं चलने वाला है। खानों की वसूली होनी बकाया पड़ी है। नीम के थाने में, सीकर जिले में १४-१५ लाख रुपया वसूल होना पड़ा है। इसी प्रकार से भीलवाड़ा में है, भरतपुर में भी बकाया है। ये जितने रुपये बकाया पड़े हुए हैं और जिनका ब्याज देते हैं अगर उनको वसूल कर लें तो ब्याज चुकाने के लिए जो रुपया लेना पड़ता है, कम से कम वह तो नहीं लेना पड़े। बकाया की वसूली के लिये, जिनके जिम्मे हैं उन पर सख्ती की जाय। दूसरे, जिनकी अधिक टैक्स देने की क्षमता कम हो गई है तो उनको मुक्त कीजिये। राजनैतिक कारण इसमें नहीं

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आने चाहिये। अतः जो वित्त प्रोपोज़ल्स रखे गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदय, अभी इस फाइनेन्स बिल पर बहस शुरु हुई है। मैं समझता हूं कि इस बजट के सिलसिले की यह आखिरी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

किश्त है जिस पर हमें अपने विचार रखने का मौका मिला है। फाइनेन्स बिल के जो ऑब्जेक्ट्स सरकार की तरफ से दिये गये हैं उनमें यह लिखा है कि तृतीय योजना के ठीक ठीक निष्पादन हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व उगाहने की दृष्टि से ये कर सरकार द्वारा हमारे सामने लाये गये हैं। इस सिलसिले में मैं कुछ नये सुझाव सरकार के सामने देना चाहता हूं, जिनका मौका पहले नहीं मिला। यह जो योजना के विषय में बजट बनता है उसमें आप आंकड़े मिलाने की कोशिश करते हैं, टैक्सेज़ उगाहने की कोशिश करते हैं, इससे भी ज्यादा कीमती चीज जिसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं उसको किस तरह से काम में लेवें जिससे राजस्थान तरक्की की ओर जाय, इस बेसिस को बना कर कुछ नहीं सोचा जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान का आदमी, राजस्थान के लोग गरीबी की पीड़ा से कराह रहे हैं, इसके उत्पीड़न से कराह रहे हैं। वे भी राजस्थान के मनुष्य हैं। उन मनुष्यों की क्या पोटेन्शियलिटी है, उनको क्या चीज दें जिससे वे अधिक बिज़ी रह कर अपने जीवनयापन के साधनों को जुटा सकें। आज उनकी तादाद कितनी है, उनको किस तरह से प्रोडक्शन के अन्दर लगाया जा सकता है, किस तरह से उनसे काम लेकर समृद्धि की ओर बढ़ाया जा सकता है, जो दरिद्र हैं, जिनके पास खाने को अन्न नहीं उन लोगों की तरफ हमने कम गौर किया है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को लीजिये, जो बेरोजगार है, जो अपना खाली पेट लेकर इधर-उधर राजस्थान में घूमता है, कभी किसी से मांगता है तो ऐसे एक आदमी को काम पर लगा देते हैं तो मैं समझता हूं उसके दिमाग से हम पांच सौ रुपये का टैक्स ले सकते हैं। उस आदमी के लिये हम काम के साधन जुटायें, इस तरफ हमें गौर करना पड़ेगा। उदाहरण के लिये आनेवाली पांच साल की योजना के लिये मैं आपको कन्स्ट्रक्टिव ढंग से सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पास डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन की वजह से ऐसी मशीनरी आ गई है कि छोटे छोटे गांवों के अन्दर भी हमारे पंच मौजूद हैं, वे इस बात की कोशिश करें कि उनके गांवों में क्या चीज लग सकती है जिससे उस व्यक्ति का, जिसका जीवन बिना काम के निरर्थक हो रहा है, जो मुंह और हाथ की बात करता है उसी से उसका जीवन खत्म हो रहा है उसके लिये ऐसी योजना शुरु करें जिससे वह वहां रह कर अपना जीवनयापन कर सके। उस गांव के अन्दर लोहार के हाथ हथोड़ा देकर और चमार को सुई देकर उसके लिये काम का इन्तजाम करें, उसको उत्पादक बनायें। क्या हमने इस ओर जाने की कोई कोशिश की है? इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिये। इससे दुतरफा फायदा होनेवाला है; एक तो लोगों की भुखमरी दूर होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा उससे राज्य को टैक्स मिलेगा। आपकी तरफ से आंकड़े आते हैं लेकिन जो अनएम्पलॉयमेन्ट की स्थिति हमारे सामने है उसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए। पोपुलेशन की बात हो सकती है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना होगा। इस समस्या से हम मुख नहीं मोड़ सकते; जो आया है वह भी राजस्थान का वासिन्दा है, वह भी पूरा हिस्सेदार है राजस्थान के साथ। समाजवादी व्यवस्था की जो बातें करते हैं वे हम वहां से शुरु करें

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और देखें कि राजस्थान का प्रोडक्शन किस प्रकार बढ़ता है और उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं।

सभापति महोदय, जहां भी कर लगाने की बात आती है उसका विरोध किया जाता है। इसके लिए भी आर्गूमेन्ट्स की कमी नहीं। इसकी चर्चा चाहे आप बस में बैठे हुए हों, रास्ते चलते हों, सुनने को मिल सकती है। यह आज से ही शुरु हुई हो, यह बात नहीं। यह तो पुरानी आदत है। आप विरोधियों को किसी तरह भी खुश नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही थोड़ा टैक्स क्यों न लगायें। वे तो इसकी आलोचना करेंगे ही।

श्री रामकिशन (बैर) : यह बात नहीं है, आप केपिटलिस्ट्स पर टैक्स लगाइये, हम विरोध नहीं करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जहां भी टैक्स का नाम आया, लोगों में चर्चा चली। आखिर इसका क्या असर होता है ? मेरा इस बारे में कहना है कि हमें मनुष्य की इस प्रवृत्ति का वैज्ञानीकरण करना चाहिये। टैक्सेज़ जो हम लगाते हैं उनका बेसिस होना चाहिये, उनका एनेलिसिस होना चाहिये। क्या आप लेना चाहते हैं, उसका अन्दाज होना चाहिये। इसी सिलसिले में मैं आपसे यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि जहां हम लोगों को सुविधायें उपलब्ध कराते हैं उनमें टैक्स किसी पर लगता है तो उसका कोई विरोध नहीं है। इसके बारे में जो भी शंकायें उठायी जाती हैं उन शंकाओं को साफ किया जाना चाहिये। जो भी बात उठायी जाती है उसमें सत्यता है, उसका सन्तोषजनक प्रत्युत्तर मिलना चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं सुझाव पेश करना चाहता हूँ; जैसे सेल्स टैक्स के बारे में सुझाव आये। उसके पीछे लोगों की यह भावना है कि सेल्स टैक्स के लगने से लोगों को दिक्कतें न हों, उनके लिए जो कुछ भी सुझाव आये उस पर सरकार को सोचना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उसी के सिलसिले में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। आप इसके लिए टिकट छपवा कर रख लीजिये, एक रुपया, दो आना चार आना इस तरह से टिकट रख लीजिये। दूकानदार को जो टैक्स देता है वह पहले आपके यहां से खरीद कर टिकट ले जाये और टिकटों को उन पर चिपका दे। सिर्फ एक डर है। पहले केवल पुलिस का डर रहता था अब ये टैक्स की नई कोतवालियां खुल गईं। लोग पुलिस से घबराते थे अब ये दूसरी तरह की कोतवालियां खुल गईं, जहां पर व्यापारियों को बुलाया जाता है उनकी आत्मा कांप जाती है। बहियों को ले जाया जाता है बाजार से तो उनकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है। वे बहियां छः महीने तक पड़ी रहती हैं। इस तरह से आप उसको गुड विल का शिकार करते हैं ; हालांकि वह उनके लिये नुकसानदायक नहीं....

श्री रामकिशन : 'आपसे' क्या सरकार से मतलब नहीं है क्या आपका ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अपने लिये मत समझ बैठिये। उसके लिए बहुत दिन लगेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन व्यापारियों के लिये सुविधा होनी चाहिये और वह इस तरह से हो सकती है; जैसा मैंने पहले कहा टिकट के गट्टर के गट्टर आप

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

छपवा लें, उस टिकट के गट्ठर को खरीद कर व्यापारी लेजावे और वह उसको चिपका कर देता रहेगा। उसकी डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिये और उस पर नम्बर होने आवश्यक हैं और इसके साथ साथ आपकी चेकिंग पार्टी घूमती रहे। यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन छः, छः महीने तक आप बहियों को लेकर बैठ जायें, जब चाहे फकीर तबेले में पहुंच गया और कबाड़ा उठा कर चल दिया और उसको दो-तीन महीने तक रोके रखा, यह ठीक नहीं। मेरा आपसे यही कहना है कि व्यापारियों को कम से कम दिक्कत हो; इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। जिसे लाइसेन्स लेना हो वह ले ले और जितने भी टिकट सौ के दो सौ के तीन सौ के वह खरीद ले और उनको चिपकाकर रख दे। इस तरह की आप सुविधा दे सकते हैं तो जरूर दीजिये।

सभापति महोदय, इसके अलावा पैसेन्जर टैक्स के बारे में भी काफी बातें कही गईं। कुछ माननीय सदस्य नेशनलाइज़ेशन के विरुद्ध हैं, कुछ तो इसके नाम से ही तड़फड़ाते हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है जनता इसको एप्रीशियेट करती है। कुछ लोग जो इसके नाम से चिढ़ते हैं, हो सकता है उनके कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट हों। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिये। कांग्रेस ने न पहले उनकी परवाह की और न आगे करने वाली है। लेकिन यह जरूर देखना है कि जो आप पैसेन्जर टैक्स के नाम से टैक्स वसूल करना चाहते हैं वह न करके उनके किराये में ही वृद्धि क्यों नहीं कर देते? आप टैक्स का नाम देकर उनको दिक्कतों में क्यों डालते हैं? आप इस टैक्स को किराये में इन्क्लूड कर दें। इसको आप जो तीन, तीन डिपार्टमेन्ट्स के चंगुल में डाल कर इसको क्यों चलाना चाहते हैं? आप इस तरह का सिलसला सोचें जिसमें लोगों को डिफीकल्टी कम हो। हो सकता है, यहां पर अभी कई स्थानों पर प्राइवेट बसेज़ चल रही हैं, इसलिये इस तरह से करना पड़ रहा हो, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप डुप्लीकेसी को खत्म करिये। ये सब चीजें कहने के बाद कहना चाहूंगा। कि आप इन बातों को भी देखने का कष्ट करें कि आज जो आपकी स्थिति है वह क्या है। जब आप टैक्स लेते हैं तो जनता से हुकूमत जता कर आप नहीं लें। आप अपने अफसरों को सिविल होना सिखाइये। जिस तरह एक दूकान के अन्दर एक बड़ा व्यापारी बड़ी इज्जत के साथ ग्राहक से पेश आता है तो उसी तरह आपको जनता से वर्ताव करना चाहिये। वे टैक्स उगाने वाली सर्विस के मदद-गार हैं। जो आपके एजेन्ट बन कर टैक्सेज़ देते हैं वे आपके पार्ट और पार्सल हैं। उनके साथ आपके अधिकारियों को बड़ी इज्जत के साथ व्यवहार करना चाहिये।

अब मैं इस बजट के हिस्से पर आता हूं। जब से देश आजाद हुआ है मुझे करीब करीब तभी से इस तरह का मौका मिला है। शुरू में पार्लियामेंट में, और फिर पिछले सदन में या इस सदन में यहां रहा हूं। पर जैसी स्थितियां इस बजट को लेकर यहां पिछले एक माह से पैदा हुईं, मैं बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कारण यह पैदा हुई उन सब को निकालिये। यह बात तो सही हो सकती है कि इस मामले में सरकार बिल्कुल सही हो, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें इस बजट को लेकर इस सदन में उठी हैं उनको अच्छी तरह से थ्रेश आउट किया जाय और अच्छी तरह से गौर किया जाय तो हिन्दुस्तान में मिसाल कायम हो सकती है। ये लूज़ कड़ियां हैं, जो इस बजट के सिलसिले में इस तरफ उस तरफ के दरवाजों में चिटखनियां नहीं लगी हैं इसलिये हमारी जो हवा है यों ही निकलेगी, इस तरह का एटीट्यूड लेने वालों को गौर से देखें और समय पर एक्शन लेंगे तो हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम होगी और जो इस तरफ से, उस तरफ से बजट को खिलवाड़ समझ लिया है और जिस तरह की हमारी सर्विसेज़ की इस बारे में लूज़ आदत पड़ गई है ; डिपार्टमेंट की इसकी जिस तरह की आदत पड़ गई है-; पांच साल पहले हो गई इसलिये अब भी होनी चाहिये, पांच साल पहले एक घर में बिल्ली दब गई थी तो अब भी उस बिल्ली को दबा कर बैठ जावें; इस तरह की बातों को आप इस विभाग से निकालिये। यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। यहां इस पर बड़ा अहम् मसला उठा। मैं कहता हूं. यहां कोई किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है। पर आज जो अखबारों में बातें आईं, मैं हिन्दू अखबार का हवाला देता हूं जो हिन्दुस्तान का एक ऊंचा और पुराना अखबार है, जो मद्रास से निकलता है।'उसकी इन्टरनेशनल इम्पोर्टेन्स है। उसमें भी इस बजट की खबरें निकली हैं। उसने कहा है कि इस तरह का सवाल राजस्थान में उठा है उसे ठीक तरह से देखा जावे। हमारे सम्माननीय स्पीकर साहब ने उस तरफ रोशनी डाली है। इसका हमारी नई नई डेमोक्रेसी को पनपाने और मजबूत करने को दृष्टि से भी बहुत महत्व है। इस बजट के मामले में एक मर्तबा हमेशा के लिए तय हो जावे कि क्या गलत है और क्या सही है। एक लेम एक्स-क्यूज़ लेकर बचत का रास्ता निकालना गलत है। आज यह मसला साफ होना चाहिये सरकार की तरफ से।

मैं यह भी कह दूं कि इससे सम्भावना है, बजट के इस लीकेज की वजह से, कुछ जो बिचौलिये हैं उनको फायदा हो। आप भी मानते हैं इस बात को कि हां कुछ हो सकता है तो इतना हो सकता है। इसके बाद आज उसके ऊपर सब चुप हैं और चुप करा दिये जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये गलतियां हों और इन गलतियों को दुरुस्त करने का यहां कोई प्रोविज़न है या नहीं; यह भी नहीं जानता। कोई प्रोविज़न नहीं है तो रास्ता निकालना चाहिये। हमें इस मसले को ठीक करना है और ठीक करने का मतलब मैं यह लेता हूँ कि आज यह स्पष्ट रूप से समस्या सामने है कि आप बजट अनाउन्स करें, उस बजट में जो टैक्सेज़ हों तो यह इस फाइनेन्स बिल में खास रियायत है सरकार को कि जैसे ही अनाउन्स हों तत्काल वे टैक्सेज़ जनता में लगने चाहिये और तत्काल नोटिफिकेशन जारी होना चाहिये। हम जो बातें यहां बोलते हैं या आप जो बोलते हैं वह मेम्बर या वित्त मंत्री की हैसियत से ही नहीं बोलते हैं, जनता के और स्टेट के रिप्रेजेन्टेटिव के तौर पर बोलते हैं। जनता ने स्टेट के रिप्रेज़ेन्टेटिव के तौर पर आपको यह काम सौंपा है कि आप

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह देखें कि इस जनता और स्टेट के खजाने की कोई एक पाई पर भी हाथ रख देता है तो उसे पकड़ें; नहीं रखने दें। अगर इसमें ढील होती है तो सदन की बेइज्जती मानता हूँ मैं इसको; इसे स्टेट और जनता की भी बेइज्जती समझता हूं। इस जिम्मेदारी को आप ठीक से निभाने की कोशिश करें। कौन से अफसर से यह गलती हुई है, खुले दिल से मानने की कोशिश करें। गलती इन्सान से होती है। होती है तो सुधर भी सकती है। पर आप खुले दिल से नहीं कहते। कह दिया १,३३५) रु. की संभावना है। इससे लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं; विरोधी लोग लाखों की बातें करते हैं। कहते हैं चक्की में पीस कर चने का बेसन बन गया, शराब सब ब्लेक में चली गई। मैं कहता हूं कुछ नहीं हुआ है, पर यह जिस तरह का धुंआ उठ रहा है और जिस तरह से वे परेशान हो रहे हैं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सबसे ज्यादा तो आप परेशान हो रहे हैं इस मामले में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपसे तो बहुत कम परेशान हूं। आपकी शक्ल बता रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शक्ल तो आपकी बता रही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां, मैं आपको जानता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था। एक बात तो यह तय हो जानी चाहिये कि कोई भी टैक्स जिसका प्रोपोज़ल यहां पर रखा जावे वह इमीजिएटली लागू होना चाहिये, किसी बिचोलिये को मालूम नहीं होना चाहिये। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई कुसूर वित्त मन्त्री का न हो, पर इसके बावजूद भी जिन्होंने इसे बनाया उन दफ्तरवालों को यह मालूम था और जिनको यह मालूम था जरूर उन्होंने ही इस चीज को बतलाया है और जब चीज सामने आई तो तरकीब भी उन्होंने ही बतलाई है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमंद): Mr. Chairman, Sir, I think the Hon'ble Member's speech amounts to canvassing the observations of the Chair. The point has been agitated in the House many a times and many a times it has received observations. Now, Sir, in the light of the previous observations of the chair it should be treated as Closed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : My submission in reply to the point raised by my Hon'ble friend, Sir, I may say that the Hon'ble Speaker has allowed us to get an opportunity to take part in the discussion of the Finance Bill and other Bills. It has been announced by the Speaker, Sir. It is wrong to say so...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप उनकी बातों का कोई नोटिस न लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं फिर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि तरीके के माफिक इस मुद्दे पर एडजोर्नमेन्ट मोशन, प्रिविलेज मोशन पेश हो चुके हैं और उनका उत्तर भी दिया जा चुका है। Henceforth we have exhausted all our ways so far as this point is concerned.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय ने यह कभी नहीं कहा कि इस मामले पर डिबेट की जाकर आइन्दा के लिये कोई क्या पॉलिसी एडोप्ट की जावे, इसके लिये भी कोई कुछ न कहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने इस तरह की बात उठा कर कोई चेयर की डिसरेस्पेक्ट नहीं की है और न इसके लिये ही कहा है। वे, श्री निरंजननाथ आचार्य भी चेयर पर रहे हैं, तो मैंने भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट उनको दी है। मेरे इरादों पर उनको विश्वास है। इसलिये वे कोई बात अब ऐसी नहीं कहेंगे।

तो मैं अर्ज कर रहा था

श्री सभापति : आपके नेक इरादों में उनको भी कोई सन्देह नहीं है। आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं सुझाव रखता हूं कि सरकार इस ढंग से कोशिश करे कि इस सिलसिले में दूसरों को रोशनी मिल सके और एक मर्तबा में ही हमेशा के लिए रास्ता तय हो जावे।

और भी कहना चाहता हूं वित्त मन्त्री महोदय को कि आपकी एक विशेष स्थिति है। जो यह फाइनेन्स एक्ट है यही एक ऐसा बिल है जो बिल इन्ट्रोड्यूस होते ही लागू हो जाता है। यह विशेष परिस्थिति है, क्योंकि इसके बारे में लेजिस्लेचर की मंशा थी कि यह जहां खुले वहीं लागू हो जावे, जिससे कि इससे होने वाली सम्भावित चोरी रोकी जावे, बन्द हो जावे ; एक्सचेकर को धोखा देकर स्पेकुलेटर फायदा नहीं उठा सकें। बाकी के बिल जब एक्ट बनते हैं तब लागू होते हैं।

दूसरी पोज़ीशन यह बता दूं कि एक्साइज एक्ट जो हमारा केन्द्र का बना हुआ है वह इन्डिपेन्डेन्ट है। दूसरों की मिसाल देकर आप बचना चाहें तो यह उचित नहीं है। आप इसके लिये भी इस लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार हैं; क्योंकि गवर्नमेन्ट इसी लेजिस्लेचर को रिप्रेज़ेन्ट करती है। चाहें जब आप करें तब भी उसे यहां लाना जरूरी है। पर इसको भी मानें तो भी पार्ट और पार्सल यह बजट का है तो इमीजिएटली लागू होना चाहिये, चाहे यह शराब का मसला हो, चाहे चने का हो। आपका नोटिफिकेशन कल निकल रहा है। एक चीज करें। आप कोई भी प्ली लें, अगर आप इसमें सिन्सियर हैं तो उस सिन्सियरिटी के साथ इस सारे मसले की जांच करवाएं कि कितना हुआ है, कैसे हुआ है और इसके कारण जो धुआं उठा है उसको दूर करने के लिए एक तरीका अख्तियार करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं; हमने कोई ऐसी चीज नहीं होने दी है और जिस प्रकार का प्रचार हो रहा है वह गलत है और इस प्रकार का कहने का हक हमको होना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई है तो वह कहें कि हां, हमसे गलती हुई है और आइन्दा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गलती नहीं करेंगे और हम जनता के एक एक पैसे के जवाबदार हैं। लेकिन यह साफ दिल से कहने की ताकत होनी चाहिए। सभापति महोदय, केवल एक बात कह कर दो ही मिनट लूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कर्मकाण्ड बदलते हैं। वह हमेशा से चले आ रहे हैं; किस तरह से होगा, कैसे क्या बैठेगा और उसके रूप बदलते रहते हैं। पहले जब समाज नहीं बढ़ा था तो एक गांव में लाल बुझक्कड़ होता था। जब गांव वालों में आपस में कोई बात हो जाती और वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो सब के सब मिल कर उसके पास जाते थे और कहते थे कि यह मसला है और तुम इसको तय कर दो। तो उस लाल बुझक्कड़ की एक शर्त होती थी कि वह कहता था कि देखो भाई; मुझसे फैसला कराने के बाद किसी और से मत पूछना····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लाल कपड़े तो आप ही पहिने हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह कहता था कि मुझे पूछने के बाद किसी और से मत पूछना। तो गांव में एक बार हाथी निकल गया और उसको क्योंकि लोगों ने देखा नहीं था; लोगों ने कहा कि यह पैर किसका है और वे लाल बुझक्कड़ के पास गये। लाल बुझक्कड़ ने अपनी पहली शर्त रखी कि उसको पूछ कर और किसी से मत पूछना। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई हिरना चक्की का पाट बांध कर हिरना कूदा होय। तो इस तरह से कर्मकाण्ड था वह बदल गया है। मैं समझता हूं कि वह दूसरे रूप में मौजूद है कि आज हम किसी और से पूछ नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। जो आप कह देंगे वह हमको मन्जूर है, हम उसके साथ वोट करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने लाल बुझक्कड़ की बात कही है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय के ऊपर यह सब एस्पर्शन है और वह एस्पर्शन इस नाते से है कि कुछ सुझाव दिये हैं और कहा है कि गलती मन्जूर करनी चाहिए थी। इसको लेकर जो कहानी कही है, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जुबान रखते हैं तो मालूम हुआ। आप मेरी ट्रान्सलेशन करनेवाले कौन होते हैं?

श्री भैरोंसिंह : आपके लिए तो नहीं कह रहा हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अगर वित्त मंत्री लाल कपड़े पहने हुए होते तो अपने आप में वाकई में लाल बुझक्कड़ ही होते।

(व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य बोलनेवाले बहुत हैं और समय बहुत कम है और यह विधेयक आज ही पारित करना है। अभी तक के वादविवाद में

Page No. 74

(श्री सभापति)

जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उसमें व्यवस्था इस प्रकार की रही है कि लगभग सभी पार्टियों के एक एक प्रतिनिधि सदस्य बोल चुके हैं, इसलिए जिन पार्टियों के सदस्य बोल चुके हैं मैं उन पार्टियों के अन्य सदस्यों से निवेदन. करूंगा कि वे कृपया खड़े होने का कष्ट न करें। अब तक जितने बोल चुके हैं उसके अनुसार तीन और बोल सकते हैं। उस स्थिति में ऐसी व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है कि जिस पार्टी के २० सदस्य हैं उसका एक प्रतिनिधि बोल सकता है। यहां कई पार्टियों के माननीय सदस्य खड़े होते हैं और मुझे भी बड़ा संकोच लगता है—

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं युनाइटेड फ्रन्ट की तरफ से हूँ जो १८ नाम भेजे गये हैं इसलिए निवेदन करूंगा कि १८ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भी नहीं बोला है।

श्री सभापति : श्री मुरलीधरजी बोल चुके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे पी० एस० पी० की तरफ से बोले हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह साबित कर दें कि वे अलग हैं क्या।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभापति महोदय, ऐसा है कि ये टैक्सेज़ लग रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर जिसका सारे राजस्थान के लोगों की जिन्दगी से संबंध है उसके ऊपर आप उन लोगों को नहीं बोलने देंगे, जो चुन कर आये हैं, चाहे आप उनको थोड़ा थोड़ा ही टाइम दें और अगर जरूरत पड़े तो और भी टाइम इसके लिए बढ़ा दिया जाये, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से बोलने दिया जाये वर्ना आने वाले लोगों से बाहर सवाल भी करते हैं कि आप लोग क्या बोले, तो इस तरह से इस चीज को भी दिमाग में रखिये....

श्री सभापति : इनको उत्तर दे दिया जाय कि मैं सारे टैक्सेज़ का विरोध करता हूं और इसकी कॉपी साथ लेते जाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, सदन की परम्परा रही है कि समय बांट दिया जाता है और उसी परम्परा को बनाये रखना चाहिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, ट्रेज़री बेन्चेज़ की तरफ से अभी तक दो ही बोले हैं और उनकी इतनी संख्या है, तो उसके अनुसार और अधिक लोगों को बोलने देना चाहिए।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि जो सूचना है उसके आधार पर एक माननीय सदस्य जनसंघ के, कॉम्युनिस्ट पार्टी के, पी० एस० पी० के, सोशयलिस्ट पार्टी के और दो कांग्रेस पार्टी के हैं....

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : निर्दलीय नहीं बोले हैं।

श्री सभापति : निर्दलीय का आगे लिखा है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा वे मेरे साथ सहयोग करें। जो समय निर्धारित किया हुआ है उसी में कार्यवाही समाप्त करनी है। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी कोई मीटिंग करके समय बढ़ाने

(श्री सभापति)

के लिए कहे तो मुझे समय बढ़ाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। आसन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का इन्डल्जेन्स ग्रान्ट नहीं कर सकता। हमें सारी कार्य-वाही समय पर पूरी करनी है । मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्रीजी १२। बजे रिप्लाई करेंगे और अब यह आधा घन्टे का समय है इसमें १०-१० मिनट में ३ सदस्य बोल सकते हैं....

कुछ माननीय सदस्य : ५-५ मिनट।

श्री सभापति : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह : मेरा यह निवेदन करना था कि समय के लिए यह देखा गया है कि समय की पाबन्दी लगा दी जाती है ; वर्ना शुरू में इस प्रकार की व्यवस्था चलती है, पहले बोलने वाले को आधा घन्टा दिया जाता है, फिर २० मिनट दिये जाते हैं और फिर १० मिनट और फिर सहसा यह परिस्थिति आ जाती है कि ५-५ मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता....

श्री सभापति : मैं तो २०-२० मिनट भी बोलने दूं । आपको मौका है कि समय के बढ़ाने के लिए समय पर मूव करें ; पर देखा यह जाता है कि माननीय सदस्य यहां पर समय पर उपस्थित नहीं होते। उन्हें समय पर उपस्थित होकर आसन से मांग करनी चाहिए कि समय बढ़ना चाहिए । जब आप शुरू में ही समय के निर्धारण की मांग नहीं करते तो प्रारम्भ में बोलनेवाले को काफी समय मिल जाता है और आखिर में समय का अभाव होने के कारण ५-५ मिनट ही बोलने के लिए रह जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में आसन संकट में पड़ जाता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मगर हमने १० बजे मांग की थी कि समय का निर्धारण कर दिया जाये और उस मांग को किये दो घन्टे हो गए हैं और समय-निर्धारण नहीं हुआ। आपके पहले जो सभापति महोदय थे उनसे भी हमने कहा था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य अगर ऐसा चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप ५-५ मिनट ही बोलें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता बोले थे और वे २०-२५ मिनट बोल चुके हैं और जबकि हमारी तरफ के सदस्य इतने हैं उसके प्रपोर्शन में उनको उतना ही टाइम मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : चेयर-मैन साहब, इस सदन के अन्दर टैक्सों के बारे में विचार-विमर्श हुआ । मैं इस विवाद के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जितने भी टैक्सेज़ वित्त मंत्री महोदय ने लगाये हैं उन सारे टैक्सों का प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में काश्तकारों पर या गांव के आदमियों के ऊपर, सीधा बोझा पड़ता है । मैं नहीं समझता कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, हम गांधीवाद लाना चाहते हैं, हम कल्याणकारी राज्य कायम करना चाहते हैं

(श्री नत्थीसिंह)

और दूसरी तरफ जब कि गांधीजी का यह नारा था, गांधीजी यह कह चुके थे कि हम ग्राम-राज्य कायम करना चाहते हैं, आगे चल कर गांवतियों का राज्य होगा, गांव के हाथ में हुकुमत होगी, क्या इस तरह से काश्तकारों का शोषण करके, काश्तकारों की आर्थिक-स्थिति को संकट में डाल कर इस तरीके से टैक्स लगा कर, इन्हीं तरीकों से ग्राम-राज्य कायम करना चाहते हैं ? जब तक गांव के आदमी की, काश्तकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक किसी भी पहलू से, किसी भी साइड से वह अपनी तरक्की नहीं कर सकता । मेरा कहना यह है कि जितने भी टैक्स लगे, चाहे सरसों का टैक्स हो, चने का टैक्स हो, सवारी पर टैक्स हो, ये सीधे काश्तकारों से सम्बन्ध रखते हैं ।

तो मेरा यह निवेदन है और मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, खास तौर से सरकारी पक्ष की तरफ से जो यह कहते हैं कि हम काश्तकारों के हिमायती हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बात तो हमारे लिए अहित की है पर्सनली हम लोगों के लिए, क्योंकि जितनी भी बातें हम सरकार को बतायेंगे जनता के हित की, अगर सरकार उनको पूरा करेगी तो आयन्दा अब की बार जो मौका मिला है ८८-८८ का वह भी मौका नहीं मिलेगा । हम अपनी मौत अपने आप बता रहे हैं, लेकिन अगर एक आदमी का खून होता है, एक आदमी का बुरा होता है और लाखों आदमियों का भला हो तो हम उसको अच्छा समझते हैं ! मेरा सुझाव यह है कि जितने भी टैक्स हैं सब टैक्सों को माफ किया जाय । मैं बतलाऊंगा उन्हीं पर टैक्स लगाये । जो आरामदेह वस्तुएं हैं उन्हीं पर टैक्स लगायें ; सेल्स-टैक्स का असर सीधा काश्तकार-गांवेती पर होता है ; दूकानदार कुछ नहीं देता है । ढाई-तीन रुपये गज का कपड़ा बिकता है उस पर १) रु० टैक्स लगायें, लेकिन जो १२ आने गज का कपड़ा है उससे भी आप टैक्स लेते हैं तो क्या उसको नंगा रखना चाहते हैं ? क्या उसका बिल्कुल ही शोषण करके उसको रगड़ना चाहते हैं ? इस तरह के टैक्स मैं समझता हूँ काश्तकारों के शोषण के प्रतीक हैं और मैं अर्ज करूं प्रतीक ही नहीं हैं; बल्कि सरकार गांधीजी के सिद्धान्तों का हनन कर रही है । जबकि गांधीजी यह चाहते थे कि काश्तकारों की आर्थिक-स्थिति अच्छी हो, गांववालों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और सरकार यह चाहती है कि अगर काश्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो चुनावों में काश्तकार उनको नहीं जीतने देगें । एक तरफ तो गांधीजी ग्राम-राज्य चाहते थे और आप शहर का राज्य कायम करना चाहते हैं, क्योंकि शहर के आदमी के पास काफी रुपया है । खास तौर से मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि शहर के व्यक्ति गांव में जाकर चुनाव लड़ते हैं । क्या वहां आदमी नहीं रहते हैं ? मगर यहां साधन जुटाने की बात नहीं हो सकती है और साधन जुटाना जरूरी है आज के युग में । अगर आप चाहें कि इस देश को आर्थिक स्थिति सुधरे, अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं, गांधीवाद लाना चाहते हैं, जन कल्याणकारी राज्य कायम करना चाहते हैं तो मैं अपील करूंगा कि इस तरीके से काश्तकारों पर टैक्स लगा लगा करके उनके जीवन को संकट में मत डालिए, उनकी

(श्री नत्थीसिंह)

आर्थिक स्थिति को खराब मत करिये। आज आप सरसों पर टैक्स लगाते हैं। आज जो स्थिति काश्तकारों की अच्छी मालूम देती है वह सरसों की वजह से है। अगर वे सरसों बोना बन्द कर दें तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिर जायेगी जिससे वे उसी लेवल पर आ जायेंगे जिस पर वे पहले थे। उस पर टैक्स बांधा, चने पर टैक्स बांधा। सेल्स टैक्स इन्डाइरेक्टली उन पर पड़ता है काश्तकार और गांवेती आदमियों के ऊपर। सिर्फ जो बिजली टैक्स है वह उसके ऊपर, शहर के आदमी पर पड़ता है। जो पब्लिक के फायदे की चीज है वह बिजली गांव में नहीं पहुंचती है। टैक्स तो गांवेती दें और काम में लिया जाय शहर में, यह कहां का न्याय है? यह कैसा जन-कल्याणकारी राज्य है जिसको आप कहते हैं जन-कल्याणकारी राज्य! सारी बिल्डिंगें, अस्पताल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग, जितनी भी सार्वजनिक सड़कें, जो कोई भी कार्य होता है वह शहरों के अन्दर होता है। गांव वाला बेचारा देखता है कि उसका तमाम पैसा शहर में लाकर लगा देते हैं। इसके अलावा पोलीटिकल फायदा होने की बात है। व्यापारी पर टैक्स नहीं रखा। आप वकीलों पर टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? वकीलों की आमदनी पर टैक्स लगाइये और ऐसे कई टैक्सों के नाम दे दूंगा अब की बार में

श्री बालकृष्ण कौल, (वित्त मन्त्री): वे काश्तकारों से डबल फीस लेने लग जायेंगे और फिर काश्तकारों का शोषण होने लगेगा।

श्री नत्थीसिंह : आप सीधे का सीधा लगा दें घरवाइज़ बांध दें। सरसों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं?

श्री बालकृष्ण कौल : सुझाव दें तो सोच समझ कर दें! आखिरकार इन्डाइरेक्टली काश्तकारों पर टैक्स नहीं पड़े।

श्री नत्थीसिंह : मैं अर्ज करूं कि ५) रु. का एक गज कपड़ा आता है उस पर लगायें। ५) रुपये पर १) रु. लगायें तो सीधा उसी कस्टमर पर पड़ेगा। मैं अर्ज करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखें भविष्य के लिए। हमारे लिए नहीं; आपके लिए भी हितकारी होगा। अगर आप काश्तकारों पर टैक्स लगायेंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ और खास तौर से केबिनेट के लिए कि काश्तकारों के अहित में इसी तरह होता रहा तो उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं और आगे भी जाकर आपके लिए, उनके लिए तो होगा ही, अच्छा नहीं होगा।

टाइम के लिए चेयरमैन साहब ने व्यवस्था कर दी है और हमने भी कह दिया था और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और अब के आगे कहूँगा उस पर। लेकिन मैं जेवर के बारे में कहना चाहता हूँ। जेवर एक ऐसी चीज है कि नीचे के तबके के लोगों ने अभी पहनना शुरू किया है। उन लोगों की औरतें क्या कहेंगी बेचारों की जिनके पास....

श्री बालकृष्ण कौल : अभी तो नीचे के लोग गरीब हैं उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए उससे संकट पैदा होगा; लेकिन जेवर पहनने पर भी नहीं लगना चाहिये?

श्री नत्थीसिंह : जिन्होंने पहना ही नहीं

(श्री नत्थीसिंह)

हरिजनों ने, उनके तबके की औरतें क्या कहेंगी जिनकी आर्थिक स्थिति अब कुछ ठीक हुई है ? वे जेवर पहनने के लायक हुए हैं। आपने टैक्स लगा दिया है, टैक्स लगा कर उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। अब जब कि उनके पहनने का मौका आया तो आप टैक्स लगा दें कि मत पहनो। यह जरा ठीक नहीं है। कम से कम चांदी के जो जेवर हैं मेरा निवेदन यह है कि उन पर टैक्स नहीं होना चाहिये। सोने के जेवरों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : गंगानगर के काश्तकार क्या यह नहीं कहेंगे कि सोने पर टैक्स नहीं होना चाहिये ?

श्री नत्थीसिंह : आखिर औरतें हैं; मानेंगी तो हैं नहीं और गांव वालों के पास पैसा हो रहा है और वे जेवर बनायेंगी ही, मानेंगी नहीं और औरतों का कहना मर्दों को मानना ही पड़ता है। ऐसी बातों को सोच समझ कर आपने यह किया है क्योंकि वे मानेंगी तो नहीं और जिन्होंने पहना नहीं है अब तक वे बनवायेंगे। तो डाइरेक्टली वह हरिजनों पर हैं अटेक क्योंकि वे औरतें मानेंगी तो नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गंगानगर वाली तो जेवर से ज्यादा घी खाना पसन्द करती हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसलिए अर्ज है कि जेवरों पर से टैक्स हटा दिया जाय। सरसों पर से टैक्स हटा दें, चने पर से टैक्स हटा दें। जितने भी नाज हैं उन पर मेहरबानी करके टैक्स नहीं लगायें, वर्ना आपको भी काश्तकार तो नतीजा उठायेगा ही लेकिन अगले ५ साल के बाद वह कहेगा कि टैक्स लगाने वालों को वोट कैसे देंगे ? यह कहते हुए मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं। वित्त मंत्री महोदय से मेरा यही निवेदन है।

श्री सभापति : Hon'ble Member on the left Mr. Acharya.

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : चेयरमैन महोदय, आज एक महीने के करीब से बजट पर बहस हो रही है और बहस के दौरान में टैक्सों के संबंध में हमने नाना प्रकार की अपनी अपनी बातें रखी। जब बजट के संबंध में और डिपार्टमेन्ट्स के संबंध में बहुत से इसमें हमारे कटौती प्रस्ताव भी थे और उनमें भी हमने यह बात कही थी और अभी जो मुझसे पहले माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने भी यह बात कही कि टैक्सेज़ नहीं होने चाहिये, क्योंकि टैक्सेज़ होंगे तो ट्रेज़री बैन्चेज़ पर बैठने वाले और खास तौर से केबिनेट में जो बैठते हैं वे नहीं बैठ पायेंगे और टैक्सेज़ नहीं होंगे तो ट्रेज़री बैन्चेज़ पर बैठने की बात जो माननीय सदस्य सोचते हैं वे भी केबिनेट में जाकर कुछ कर नहीं पायेंगे क्योंकि टैक्स लगाना प्रजातंत्र का उसूल है। माननीय सदस्य ने किसी से बात सुन ली है, इसलिये बार बार कहना चाहते हैं कि गांधीजी ने समाजवाद लाने का वादा किया था; यदि आप ऐसा समाजवाद लाना चाहते हैं कि हरेक आदमी नंगा रहे, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं हो और इस प्रकार का हो जाय कि वह तरक्की नहीं करे....

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : On a point of order...

श्री सभापति : Yes, Shri Nathi Singh.

(१२.० मध्याह्न)

श्री नत्थीसिंह : चेयरमैन महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि इन्सान को नंगा रखा जाय। खास तौर से मेरा यह कहना था कि गांवों में जो टैक्स लिया जाता है वह शहरों में क्यों नहीं लिया जाता, गांव वालों पर जो टैक्स लगाया जाता है वह शहर वालों पर भी क्यों नहीं लगाया जाता ? जो लोग शहरों में आराम करते हैं उन पर भी ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य जब कहते हैं तो सुनने की भी क्षमता उनमें होनी चाहिए........

श्री सभापति : वे आपके लिये कब कह रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण : समाजवाद इस मुल्क में आना चाहिये उसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता अच्छी तरह से सोचते हैं। इसके बारे में उनके विचार हैं, योजनाएं बनाई हैं। इसलिये समाजवाद के बारे में और कांग्रेस और उसकी हुकूमत रहने न रहने, के बारे में आप ज्यादा चिन्तित न रहें। क्योंकि आज जो माननीय सदस्य उपस्थित हुए हैं उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम टैक्सेज़ लगा रहे हैं और हमको इस बात की खुशी है कि हम टैक्सेज़ लगा कर गवर्नमेन्ट को चलाना चाहते हैं। यदि आपको टैक्सेज लगाने से फायदा होता है तो आप वह फायदा उठावें, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। हमारा टैक्स लगाना तो आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिये। आपको सुझाव देने चाहिये।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए कहा कि टैक्सेज़ होने चाहिए लेकिन उनका तरीका दूसरा होना चाहिए। टैक्सेज़ की वसूली में दिक्कत हो तो उसके लिए सुझाव दे सकते हैं और देने चाहिए; क्योंकि जो भी टैक्सेज़ वसूल होते हैं वे राज्य के खजाने में आने चाहिए इसको मैं भी मानता हूँ। मैंने बिक्री कर के बारे में कटौती प्रस्ताव दिया था, लेकिन बोलने का मौका नहीं आया ; क्योंकि समय कम था। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि टैक्सेज़ वसूल होते हैं वे ज्यादा से ज्यादा राज्य के खजाने में आने चाहिये, नहीं आते हैं दिक्कत हो जाती है। पैसेन्जर टैक्स जो लगाया है वह पूरा का पूरा राज्य के खजाने में आवे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। जो टिकट बुक्स हैं, प्राइवेट ओपरेटर्स बसेज़ चलाते हैं उनकी टिकट बुक्स पर राज्य की मुहर होनी चाहिये। इसके लिये जिस प्रकार की व्यवस्था पंजाब और दूसरे प्रांतों में है उसको यहां भी लागू करें तो निश्चित रूप से राज्य की आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। इसलिये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि टैक्सेज़ ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार के खजाने में प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कल बिजली विभाग का बजट आयेगा। आप देखेंगे कि बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिये उठेंगे। हम भी कहेंगे, दूसरे भी कहेंगे, मेरी तरफ बिजली होनी चाहिये, दूसरे कहेंगे सड़क

(श्री जयकृष्ण)

होनी चाहिये, बांध होने चाहिये। इस विकास के युग में, प्रजातंत्र के युग में राजनैतिक जागृति डीसेन्ट्रलाइज़ेशन या लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा आई है तो हमें आर्थिक जागृति और आर्थिक क्रांति भी लानी पड़ेगी।

आप टैक्सेज़ की बात करते हैं, बड़े आदमियों पर टैक्सेज़ नहीं हैं; लेकिन आपने इन्कम टैक्स को देखा होगा। आपके यहां भी कॉलेजेज़ हैं, होस्पिटल्स हैं। कॉलेजेज़ में गांवों के लोग भी दाखिल होते हैं। आप यह कहते हैं कि खाली किसान ही टैक्स देते हैं, यह सही नहीं है। जो लोग किसान कौम में पैदा होकर उनका शोषण करते हैं तो उनको किसान कहलाने का हक नहीं है। किसान कहलाने का हक उनको है जो किसानों की बहबूदी के लिये सोचते हैं। सरकार ने किसानों की बहबूदी के लिए सोचा है। आप उनके कानून देखिये, टिनेन्सी एक्ट देखिये। आपको मालूम हो जायगा कि किधर जा रहे हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हमारा एक ही कर्तव्य हो गया है। जो टैक्स लगते हैं वे चाहे गरीबों पर लगें, चाहे अमीरों पर लगें, चाहे राजस्थान के विकास के लिए लगें, हम हरेक का विरोध करें। जनता का रिप्रज़ेन्टेटिव होने के नाते हमारा जो फर्ज है उसको हम निभाते नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हर मसले पर गौर से सोचें, ध्यान से सोचें। इसके साथ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और माननीय वित्त मंत्रीजी का जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो भी सुझाव सदन में प्रस्तुत हुए हैं, किस प्रकार टैक्सेज़ ज्यादा से ज्यादा आपको प्राप्त हो सकें उनको अमली रूप देंगे और इसके साथ मैं अपना समर्थन देता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : कितने माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं ; यदि यह मालूम हो जाय तो व्यवस्था समय के बारे में दी जा सकती है।

(१२ माननीय सदस्य खड़े हुए)

१२। स्थान ग्रहण करें। यदि सदन के माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि इस पर वाद-विवाद कल सुबह ८ बजे से ११ बजे तक और रखा जा सके और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिल है उस पर लगभग १ घंटे में वाद-विवाद खत्म कर दें....

श्री रामकिशन (वैर) : वह तो इटसेल्फ एक तरह का बजट है, उसके लिए तो कुछ समय और भी ज्यादा रखना पड़ेगा।

श्री सभापति : यह सोच लीजिये। कल और आज का समय दोनों बिलों के लिये है। इसमें टैक्सेज़ की प्रोब्लम ज्यादा है, इस पर ज्यादा बोलना चाहते हैं तो कल समय ३ घंटे का मिलता है। १२ और १ बजे के बीच में माननीय मन्त्रियों के उत्तर हो जायेंगे और १ घंटा या १॥ घंटा कल दोनों के लिए रख सकते हैं। यदि सदन की ऐसी इच्छा है तो माननीय मन्त्रीजी इसका उत्तर कल देंगे और

(श्री सभापति)

आज वाद-विवाद चलता रहेगा। I would like to know the views of the Leaders of the different parties.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I agree with the suggestion of the Chair.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वाद-विवाद चल रहा है, जैसा कि आपने फरमाया कल ११ बजे तक कन्टीन्यू किया जाय। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कल का समय और बाकी है ही और कल शाम को २ घंटों के लिये और बुला लिया जाय तो एतराज नहीं होना चाहिये। ऐसा है कि लोग काफी कहना चाहते हैं और कहना वाजिब भी है। टैक्सेज़ का मामला है उनको खास तौर से सुनना चाहिये क्योंकि टैक्सेज़ की नीति किस तरह की है और किस तरह के सुझाव देने चाहिए; इसलिये कहता हूँ कि कल शाम को और बुला लिया जाय।

श्री सभापति : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (बैर) : मैं बोल चुका हूं। इस सम्बन्ध में टाइम बढ़ाने के साथ हूँ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : सभापतिजी, इस बजट पर तो कट मोशन्स के समय काफी बोल चुके हैं लेकिन बिजली विभाग पर ज्यादा बहस होनी चाहिये।

श्री सभापति : बिजली विभाग के सम्बन्ध में वाद-विवाद ४ तारीख को होगा। इसलिये कोई ऐसी चिन्ता की बात नहीं है कि कब बोलेंगे। इसलिये माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है तो आज वित्त मन्त्रीजी का उत्तर न होकर कल होगा The Debate will Continue.

(विराम)

Shri ManSingh Mahar.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय सभापतिजी, सदन के समक्ष हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो फाइनेन्स बिल रखा उसमें आपने नये टैक्स लगाने की जो बात है उसको इसलिये उचित बताया कि उनको अपनी तृतीय योजना के अन्दर पैसे की बहुत आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि आपने बहुत लम्बी-चौड़ी योजनाएं बनाई हैं और देश को बहुत खुशहाल बनाना चाहते हैं। हमने यह भी देखा है कि आपने पिछले १० वर्षों में इन कुर्सियों पर बैठ कर देश को दो योजनाएं दी हैं जिनका नतीजा भी हम देख चुके हैं। जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी तब गरीबों को अनाज ५ सेर का मिलता था और प्रथम योजना के खत्म होते होते ३।। सेर पहुँच गया और द्वितीय योजना खत्म होते होते अनाज का भाव २।। सेर या २।।। सेर पहुंच गया। यह आपकी योजना है। हम आपकी योजनाओं से थोड़ा घबराते हैं और तृतीय योजना में शायद यह भाव घटते घटते डेढ़ सेर तक पहुँच जायगा, इसलिए हम जानते हैं और आपकी योजनाओं में नये टैक्स लगा कर जो पैसा वसूल करने की नीति है, उसका विरोध इसलिए करते हैं कि आप कहते तो हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं; पर मैं कहता हूं कि आज राजस्थान सरकार की जितनी

(श्री मानसिंह महार)

अनप्लान्ड इकोनोमी है, भारत में क्या दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। तो आपका जो तृतीय प्लान है उसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको किसी प्रकार और आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए; क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। आप अपने दिल में कह लीजिए कि आपने दो प्लान बनाये, बहुत काम किये; जैसा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उस रोज बताया कि हमने भाखरा प्रोजेक्ट और चम्बल प्रोजेक्ट बनाया; यह किया, वह किया। फिर भी मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि आपने जितने प्रोजेक्ट बनाये हैं, वह बुद्धिहीन काम किया है। भाखरा प्रोजेक्ट बनाया, आप कहते हैं कि बनाया। लेकिन पंजाब में जाकर देखिये कि पंजाब में वाटर लोगिंग इतना होने लगा है कि लोगों को खेती करना दूभर हो रहा है, क्योंकि वाटर लेवल इतना ऊंचा हो जाता है। इसी प्रकार कोटा में होनेवाला है, चम्बल एरिया में। तो मैं कहता हूं कि आपकी इकोनोमी है, यह अनप्लान्ड इकोनोमी है। हम यह नहीं चाहते कि सरकार देश की उन्नति नहीं करे ; यह कभी नहीं चाहते।

उधर के पक्ष में बैठे हुए मित्र ने कहा कि आप 'काश्तकार-काश्तकार' चिल्लाते हो। यह 'काश्तकार-काश्तकार' चिल्लाना तो हमें आपने ही सिखाया है। आप काश्तकार के नाम पर आज तक जीत कर आये थे। लेकिन इस काश्तकार रूपी भेड़ की ऊन आपने नहीं छोड़ी है, यह आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। आप कहते हो, जागीरदार जुल्म करते थे, राजा अन्यायी थे, कांग्रेस प्रगतिशील है; लेकिन कांग्रेस की प्रगतिशीलता कहां पलट गई, जो काश्तकार के नाम के चिल्लाने से चिढ़ने लग गई? यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि काश्तकार की बहबूदी के लिए जो बात कहें, उसमें आपको आपत्ति हो, इससे अधिक शर्म की कोई बात नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप टैक्स लगाते हो, हम नहीं कहते कि कोई सरकार टैक्स लगाये बिना चल सकती है ; यह बात नहीं है लेकिन टैक्स लगाने का मतलब यह कि आप टैक्स लगायें तो उसकी वसूली का तरीका सीधा और सच्चा रहे। आप टैक्स लगायें। उससे जो पैसा आये उसको आप ईमानदारी से खर्च कीजिये। अगर ये दो बातें मान लेते हैं तो टैक्सेज की बात मानी जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि हम इतने वो हैं कि टैक्स की बात को न मानें। लेकिन हमारी बात मानें कि आप जो पैसा टैक्स के रूप में लेते हैं उसको ईमानदारी से लीजिए। हम देंगे, जनता को इसकी ओर माउल्ड करेंगे; कहेंगे, भाई टैक्स दो, यह अपनी बहबूदी के लिए टैक्स ले रहे हैं। लेकिन टैक्स आप जनता की बहबूदी के लिये न लेकर निजी बहबूदी के लिए लेते हैं तो यह शर्म की बात हो जाती है, दुःख की बात हो जाती है और उस स्थिति के अन्दर हम टैक्स देने को मजबूर होते हैं।

अब आपने नये टैक्स, लगाये हैं और कहा हैं कि तृतीय योजना की सफलता के लिए लगाये हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूं; लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि सफलता कैसे होगी? आपका यह नमूना देखिये कि आप सड़क बनाते हैं, प्रथम योजना की सड़क अब टूट टाट कर साफ हो गई तो इस तृतीय योजना में उन सड़कों पर काम शुरु कर दिया। आज

(श्री मानसिंह महार)

यह हालत है कि पांच मील का टुकड़ा बनाते हैं तो एक मील का टुकड़ा जो पहले बनाया है वह टूटना शुरू हो जाता है। आपकी स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग्ज़ बनती हैं। वे बन कर समाप्त नहीं होती हैं कि एक बरसात के मौसम में उनकी छतों में से पानी चूना शुरु हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जो खर्च करने का तरीका है, वह बहुत गलत है। आपका इतना बड़ा बजट है, मैं आपको सही कहता हूं कि अगर यह बजट किसी ईमानदार आदमी को बैठा कर खर्च करने को कहें तो इसकी तीन-चौथाई धन-राशि के अन्दर अगर राजस्थान की इतनी प्रगति, जितनी कि आप इतने रुपयों में करेंगे अगर हम करके न दिखा दें तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हम इस विधान सभा जो छोड़ देंगे। पर आप यह नहीं मानेंगे। मैं यह मानता हूं कि आप करना चाहें तो सब कर सकते हैं। इस सदन में मैंने कहा था कि सीमेन्ट की कमी है। उप-मन्त्रीजी भावावेश में आकर पकड़े गये। पकड़े जाने पर उन्होंने डिपार्टमेंट की खींच तान की और खींच तान होकर जो सीमेंट ब्लेक मार्केट में जाती थी वह न जाकर हर पंचायत को चार-हजार, पांच हजार बैग्ज़ अलॉट हो गये। वे हो गये हैं पेपर में लेकिन अलॉट हो गये। उसके लिये मैं आभारी हूँ क्योंकि उसके साथ ही और वायदा हो गया है कि अगर और सीमेन्ट चाहिए तो हम खूब देंगे। मैं कहता हूं कि आप में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर जो टैक्स लगा रहे हैं, उससे काश्तकार दुःख नहीं पायेंगे, वे टैक्स देंगे और खूब देंगे, लेकिन आप इलाके की बहबूदी की ओर ध्यान दीजिये। आज आपकी पक्षपातपूर्ण नीति है, अगर आप अपने अपने इलाके का भरण-पोषण करना चाहते हैं, तो यह लोगों को बरदाश्त नहीं होगा। यह नहीं होना चाहिए कि बैराठ में छः, छः हायर सैकेन्डरी स्कूल्स हों और आमेर में एक भी नहीं हो। यह नहीं होना चाहिये कि बैराठ में सड़क मानपुर से चन्दावा बनाई जाय और आमेर के लोगों को भूखा-नंगा छोड़ दिया जाय। हमारा विरोध टैक्स से नहीं है। जो उधर बैठने वाले लोग हैं उनको कहते हैं कि टैक्स लो, लेकिन ईमानदारी से खर्च करो; उस तरह से करो जैसे, एक मरते मरते सिपाही ने दूसरे आदमी को कहा, पानी की इसको जरूरत ज्यादा है, मुझे न पिला कर इसको पिलाओ। वह भावना अपने में लाइये वह त्याग की भावना अपने में लाइये तब हम टैक्स देने को तैयार हैं। अगर पक्षपात है तो हम टैक्स नहीं देंगे और वह दिन आने वाला है कि आप ११७ से अब ८८ हुए और अब की चुनाव में चालीस हो जाओगे, अगर यह रफ्तार रही हो। अगर आप किसान की अपेक्षा करते हो तो आप जी नहीं सकते हो। अब आपको किसान के नाम से चिढ़ होने लगी है और पूंजीपति के बादशाह हो गये हो....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): On a point of order, Mr. Chairman, Sir, You have made certain observations from time to time just to regulate the debate and make a discrimination and distinction in between a debate over a Finance Bill and the Cut motions over the Budget. To me, Sir, it appears and

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

I hope you will agree with me that the speech which the Hon'ble Member is making is beyond the scope of the Bill. It is just like a debate over a Cut-motion. I will, therefore, like the Chair to give observations so as to establish good practice and precedence in the House.

श्री सभापति : The Hon'ble Member might have noted the suggestion, I think.

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं।

श्री सभापति : I think, he has followed.

श्री मानसिंह महार : मैंने सुना है सुझाव और बड़े प्रेम से ध्यान में लिया है। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि मैं कह रहा हूं कि जो टैक्स आज लगाये जाते हैं उन टैक्सेज़ का हम विरोध नहीं करते हैं। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं, जो उनके मित्र ने उनकी बगल में बैठ कर कही है। उनको आपने नहीं कहा कि इस पर जनरल डिस्कशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा की तरह लंगोटी लगा कर रहो। हमने तो इस तरह एतराज नहीं किया........

श्री निरंजननाथ आचार्य : खैर। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बात का जवाब दूंगा और खुल कर दूंगा, चेयरमैन महोदय। वाजिब बात कहने में डर नहीं होता है, वाजिब बात कहने में....

श्री सभापति : वाजिब बात कहिये।

श्री मानसिंह महार : वाजिब बात कहता हूं, चेयरमैन महोदय। मैं निवेदन कर रहा था कि गैर वाजिब तो मेरे उस तरफ के सदस्यों को लगेगी साहब। मैं, क्या करूं क्योंकि उनकी आंतड़ियां और आत्मायें दुःख पा रही हैं, क्योंकि जो पैसा आयेगा। उसमें उनको ढिलाई करनी पड़ेगी, अपनी जेब काटनी पड़ेगी। इसलिए उनकी आत्मा दुःख पायेगी।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम टैक्स का विरोध नहीं करते हैं और कम टैक्स से हमने आपको सरकार चलाना बता दिया। जयपुर रियासत के अन्दर एजूकेशन की फीस नहीं ली जाती थी। मैं निवेदन करूं कि महाराजा कॉलेज जैसी इन्स्टीट्यूशन चलती है, उसमें एक पैसा फीस का नहीं लिया। मैं मेरे मित्र को सूचना के लिए बता देना चाहता हूं कि....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऐसे कितने इन्स्टीट्यूशन्स थे राजाओं के समय में?

श्री मानसिंह महार : जब मैं ऐसी बातें कहता हूं तो गम्भीरता से कहता हूं। राजाओं के युग में जो भलाइयें थीं वे तो आपको ग्रहण करनी चाहिये....

एक माननीय सदस्य : राजाओं के समय में शिक्षा का प्रसार इतना नहीं था, बहुत कम था; नाम मात्र था....

श्री मानसिंह महार : आपको पता नहीं है। आप तो केवल पथ-प्रदर्शन करते हैं। मैं यह कहूंगा कि आपको अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिये। अंग्रेजों के युग से समय की पाबन्दी की शिक्षा लेनी चाहिये। इसी प्रकार हमें टैक्सों के मामलों में राजाओं

(श्री मानसिंह महार)

के जमाने से शिक्षा लेनी चाहिये। इस संबंध में खास करके मैं हमारे वित्त मंत्री से कहना चाहूँगा कि वे वृद्ध मंत्री भी हैं और उन्होंने जमाना भी देखा है। उनको यह मालूम है कि हमारे यहां पर राजाओं के समय में फ्री शिक्षा दी जाती थी और कॉलेजों में भी फ्री शिक्षा दी जाती थी

एक माननीय सदस्य : पहले यहां पर कॉलेजों की शिक्षा नहीं थी।

(दो माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलना)

श्री मानसिंह महार : मेरे मित्र बोखला रहे हैं। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वह आज की शिक्षा से किसी भी हालत में कम नहीं थी। मैं सन् १९४२ का ग्रेजुएट हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप एक ही तो हैं और वे भी जागीरदार थे इसलिए उस जमाने के....

श्री मानसिंह महार : मैं आज १९६२ के १०० ग्रेजुएटों को ५ साल तक पढ़ा सकता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस सेक्टर से आप आये हैं उसी तरह से पढ़ायेंगे तो मुश्किल हो जावेगी।

श्री मानसिंह महार : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं क्वान्टिटी में बिलीव नहीं करता हूं। मैं तो क्वालिटी में बिलीव करता हूं। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आप ५०० स्कूलें खोल दें। खुल गईं, मगर वहां पर स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। लड़के आपस में कुश्ती करते रहते हैं और वापिस घर चले आते हैं। आप यह कह सकते हैं कि हमने तीसरे फाइव इयर प्लान में ५०० स्कूलें खोल दीं या आप यह कहें कि हमने इतने होस्पिटल्स खोल दिये। यह आपके होस्पिटल का नमूना है कि कल माननीय मंत्री कहते थे कि हैल्थ सेन्टर में जहां पर पहले दो डॉक्टर्स थे और नर्सेज़ भी थीं वहां दो के बजाय एक डॉक्टर रखा जावेगा। इसके अलावा कुछ होस्पिटलों में डॉक्टर नहीं हैं। जब होस्पिटलों में डॉक्टर ही नहीं हैं तो फिर वह होस्पिटल कैसा ? वह किस काम का है ? वह तो आपके पैसों का क्रिमिनल वेस्टेज है। हमारे पुराने युग में ऐसी बात नहीं होती थी। होस्पिटल होते तो वहां पर डॉक्टर अवश्य होते थे। मगर आपने यह कहा है कि डॉक्टर नहीं हैं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It is off the track, Sir.

श्री मानसिंह महार : आप घबराइये नहीं। मैं ऑफ़ दी ट्रेक नहीं जा रहा हूँ। मैं तो नमूना आपको बता रहा हूं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : He is again going beyond the scope...

श्री मानसिंह महार : मैं नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप हमसे टैक्स वसूल करना चाहते हैं, उसका फायदा हम लोगों को नहीं देते। आपने रोड ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ किया। जिस समय यह नेशनलाइज़ किया गया उस समय लोगों को

(श्री मानसिंह महार)

बड़ी बड़ी आशाएं थी कि किराया कम लगेगा, और दूसरी बहुत सी सहूलियतें हमको मिलेंगी। मगर वहां पर भी पैसों का लोभ हो रहा है। एक तो आपकी बस आमेर के थाने पर पड़ी है। ड्राइवर शराब पीकर ड्राइव कर रहा था और उसने लड़के को मार दिया। आज भी वह बस आमेर में पड़ी है। जब इसका नेशनलाइज़ हुआ था तब हमने बहुत सी बातें सोची थी और लोगों को इस बात की खुशी हुई थी कि किराये में कमी होगी। लोग यह कहते थे कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें ड्राइवर का क्या कसूर है ?

श्री मानसिंह महार : आप घबराइये नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिस समय रोड ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइज़ेशन हुआ उस समय बहुत खुशी हुई गांव के लोगों को....

एक माननीय सदस्य : वहां के लोग कितने दिनों में बाहर जाते हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं इसी रियासत में पैदा हुआ हूं और गांवों में रह चुका हूं। इस बात को जानता हूं कि गांव के लोग बाहर जाते हैं....

श्री सभापति : Why do you interrupt ? He is putting up some samples and samples are so many times different from the actual goods.

श्री मानसिंह महार : हमने सोचा था कि नेशनलाइज़ेशन से किराया कम होगा। मगर हुआ यह कि किराया उलटा बढ़। बस्सी वाले लोग बोले कि हमारे यहां भी नेशनलाइज़ेशन होना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि आप जरा नमूना तो चार-छः महीने ठहर कर देख लें कि किस तरह से होता है। प्राइवेट बस ओनर्स हैं वे तो पुराने किराये पर चलाते है। नेशनलाइज़ेशन होगा तो सवाया किराया हो जावेगा। अब किराया बढ़ाया जा रहा है और हमसे टैक्स लिया जा रहा है....

एक माननीय सदस्य : आप तो कुछ देते नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनलाइजेशन होने से लोगों को दिक्कत और भी बढ़ गई बजाय उनको सहूलियतें मिलने के। प्राइवेट बसें गांवों में थोड़ी थोड़ी देर तक रुका करती थीं मगर अब नेशनलाइज़ेशन होने के बाद वे रुकती नहीं। इससे गांव वालों को और आफत हो गई। पहले बस जाती थी तो कहीं पांच आदमी जमा होते तो वह उनको बैठा लेती थी, मगर अब तो यह हो गया कि बस का किराया भी आपने बढ़ा दिया और ड्राइवर की मर्जी पर है; चाहे तो वह सवारियों को ले सकता है। इस प्रकार की हजारों शिकायतें हैं। अब यह हुआ कि पहले प्राइवेट बसों वाले जो कम किराये में ले जाते थे उससे किराया तो बढ़ गया और सहूलियतें कम हो गई। हमारे माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि हम इस पर सोच रहे हैं ! प्राइवेट बस वाला अपना प्रोफिट भी रखता था और फिर भी पैसा कमाता था। वह प्रोफिट जो मिलना चाहिये वह कहां गया ? प्राइवेट बस ओनर्स की बसेज पांच वर्षों में बिगड़ती थीं लेकिन हमारी बसेज़ साल भर में बिगड़ जाती हैं और उनकी आधी

(श्री मानसिंह महार)

कीमत पर आ गई है। यह मैं नेशनलाइ-ज़ेशन का नमूना आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

एक माननीय सदस्य : The speech of the Hon'ble Member so far is out of the scope of the Bill. He should, therefore be asked either to stop his speech or to carry on within the scope,

श्री मानसिंह महार : Thank you very much for the compliments.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : Otherwise it is wasting the time of the House, Sir.

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूँ कि सदन का समय तो नहीं, बल्कि कांग्रेस वालों का समय जरूर वेस्ट होता होगा।

"It is wasting the time of the House"; I will request the Hon'ble Member to withdraw his words.

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Sir, the Hon'ble Members are trying to twist the discretion of the Chair.

श्री सभापति : Please don't interrupt. I think the interruptions were not so lively and so we are not so serious about that. So please carry on the debate and finish that as early as possible.

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि अधिक इन्टरप्शन होने से जिस स्पीच को मैं दो मिनट में खत्म करना चाहता था वह लम्बी हो जाती है।

श्री सभापति : Say something about Sales Tax also.

श्री मानसिंह महार : अब मैं सेल्स टैक्स का दूसरा नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। आज हम देखते हैं कि नई नई चीजों पर सेल्स टैक्स लगाये जाते हैं। अगर आज के युग में भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा तो फिर कब लगेगा ? उन चीजों पर टैक्स लगना तो नहीं चाहिये। मैं यह कहता हूँ कि सेल्स टैक्स अवश्य लगाया जावे। जो शहर के लोग रात को बिजली में पढ़ते हैं और अपनी आंखें फोड़ते हैं और फिर चश्मा लगाते हैं उन चश्मों पर आप टैक्स लगाइये। शहरी लोग ही ज्यादा अन्धे होते हैं।

श्री सभापति : The Leader of your party will be annoyed.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It is a slur on...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह चश्मेवालों का अपमान है।

श्री मानसिंह महार : चश्मे पर लगना चाहिये। यह तो शहर में चश्मे लगाने वाले होते हैं; क्योंकि शहर में ही ज्यादा लोग बिजली की रोशनी में पढ़ते हैं और इसलिए अन्धे होते हैं। इससे गांव पर टैक्स नहीं लगेगा। आप टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। आपने चने पर टैक्स लगाया है, दालों पर टैक्स लगाते हैं। मैं यह कहता हूँ कि अजमेर से आने वाले मन्त्री ने प्रथम साल में बजट पेश

Page No. 88

(श्री मानसिंह महार)

करने में ही काश्तकारों का पेट चीरा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जौ और चने हमारे मवेशियों और गांव के लोगों के खाने में इस्तेमाल होता है । हमारे यहां गरीब किसान जौ के साथ चने मिला कर खाते हैं क्योंकि जौ का कोरा आटा अच्छा नहीं लगता । वे चना मिला कर उसकी मिस्सी रोटी बना कर खाते हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : माननीय सदस्य यह बतावेंगे कि क्या चने के बजाय गेहूँ पर लगा दिया जावे ?

श्री मानसिंह महार : किसान पर चने पर टैक्स लगने से जितना असर पड़ता है उतना गेहूँ पर टैक्स लगने से नहीं होगा । यह आपको ही महंगा पड़ेगा, मुझे भी महंगा पड़ेगा; मगर मजदूरों और गरीब किसानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा । जो जयपुर में मजदूरी करते हैं लाखों हजारों मजदूर हैं उन पर असर पड़ता है....

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, वित्त) : आप पर असर पड़ता है या नहीं ?

श्री मानसिंह महार : हम पर तो पड़ने दीजिए, ऋण ही पड़ गया ।

एक माननीय सदस्य : केवल जयपुर ही राजस्थान नहीं हैं ।

श्री मानसिंह महार : आप तो बाजरा खाणी कौम हैं, आप तो बाजरा-मोठ खाओगे ।

दूसरी बात यह है कि सेल्स टैक्स लेने का तरीका इतना गलत है कि इससे लोगों को बड़ी परेशानी रहती है । चोमू के दूकानदारों से सेल्स टैक्स लेने की कार्यवाही हुई । बेचारों ने रुपया इक्टठा करके एक वकील साहब को वकील किया, क्योंकि आज बिना वकील किये तो काम नहीं चलता । उन लोगों ने ग्यारह, बारह हजार रुपया इक्टठा करके वकील साहब को दिया कि सेल्स टैक्स वालों के पास ले जाकर जमा करा दें और रसीद ले आवें । वकील साहब ने रुपया दबा लिया, कुछ रुपया सेल्स टैक्स अधिकारियों को दे दिया, इसलिये ६ महीने तक वे भी चुप रहे । वकील साहब वह रुपया लेकर मद्रास चले गये और वहां पर बिज़नेस चालू कर दिया । कुछ समय बाद सेल्स टैक्स वाले उन दूकानदारों से सेल्स टैक्स लेने के लिये आये । तो गांव वालों को सेल्स टैक्स से बड़ी भारी दिक्कत होती है, मुझ जैसे भोले आदमी को बोलना भी नहीं आये, आपका सेल्स टैक्स ऐसा कॉम्प्लीकेटेड है । मुझे वित्त मंत्रीजी समझाने की कोशिश करेंगे कि गरीब आदमी चने पर सेल्स टैक्स देगा तो क्या उसको भी रजिस्टर्स इसी तरह मेन्टेन करने पड़ेंगे, जिस तरह कि दूकानदार मेन्टेन करते हैं ! इस टैक्स से चने की काश्त में कमी आ जायगी । आज वर्षा हो जाती है तो बाजरा काटते ही बाजरे के ऊपर चना बो देते हैं । दो, चार, दस मन चना पैदा हो जाता है तो यह इतना फायदेमन्द नहीं होता, पर चने के खार की वजह से वह जमीन बाजरे के लिये दूसरी साल अधिक उपजाऊ हो जाती है । थोड़ा सा चना बोते हैं तो चने को पैदावार के लिये नहीं बोते; जितना सा चना होता है उतना तो मजदूरी वगैरह में ही लग जाता है, पर इससे जमीन उपजाऊ होती है इसलिये लोग

(श्री मानसिंह महार)

चना बोते हैं। इसके लिये भी आपने कर लगा दिया है ताकि गांव गांव में वकील पहुंचें। पर मैं कह दूं अब वह युग नहीं है। आज काश्तकार भी जागृत हो गया है। अब वह जमाना आने वाला है कि गांवों में वकीलों की नहीं चलने देंगे। हम लोग जो सही तरीके से उनकी भलाई करने वाले हैं उन्हीं को गांव वाले पूछेंगे। आपने १५ वर्ष तक कहा जागीरदार अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, पर जयपुर जिले में जागीरदारों ने वह करके बता दिया कि आपकी बड़ी बड़ी तोपें एक ही झटके में खत्म हो गई। अब सब जानते हैं कि आप कितने अत्याचारी हैं! हमारे साथ वे लोग भी हैं जो कि सालों तक आपकी पार्टी के अन्दर थे और आपके अत्याचारों और अन्यायों को देख कर आपको छोड़ छोड़ कर अलग हो गये और ईमानदार राज्य बनाने के लिये हमारे साथ आ गये। आज हम दुखी हैं, जयपुर के लोग दुखी हैं आपके अत्याचारों से, इसलिये जयपुर जिले से आपका सफाया किया है और मैं बता दूं कि फोर्मर जयपुर स्टेट ने जो नजारा बताया है, अगर आप अपने अहमाल नहीं सुधारेंगे, जनता पर टैक्स इसी तरह से लादते जायेंगे, पूंजीवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तो आयन्दा चुनावों में हर डिविज़न इसी प्रकार की तसवीर आपके सामने रखेगा। यही चन्द शब्द कहते हुए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि काश्तकारों की कमर तोड़नेवाले कर हैं उनका सदन एक मत से विरोध करें। चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों, आप काश्तकारों के वोट लेकर आये हैं। आप घबराइये मत। अब वह भी छोड़ दीजिये कि जागीरदार बोल रहा है तो उधर से कोई जाट सदस्य कहेगा कि अरे क्या कर रहे हो, इनकी बात को वोट दे रहे हो।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : On a point of information, Sir, क्या माननीय सदस्य की मान्यता है कि यह कल्टीवेटर्स पर टैक्स लगाया गया है ?

श्री मानसिंह महार : आप जैसे पूंजीपतियों पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसका असर तो हमारे जैसे गरीब काश्तकारों पर होगा। पूंजीपतियों को एक साथ मिल कर खत्म करना चाहिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपकी पार्टी पूंजीपतियों को खत्म करना चाहती है ?

श्री मानसिंह महार : आप चिन्ता मत कीजिये, हम इनको खत्म करके रहेंगे।

तो जिस बजट के आंकड़ों में, जोड़-बाकी में ही गलतियां हैं इससे बढ़ कर हमारी थर्ड प्लान की क्या काबलियत होगी ? मैं तो यही कहता हूं कि जो सरकार अपने बजट में आंकड़े भी सही नहीं रख सकती वह तो किसानों से भी गईबीती है। वह क्या प्लान करेगी, क्या प्लान्ड इकोनोमी हमारे प्रान्त को देगी ? इस सरकार को कोई अधिकार टैक्सेज़ लगाने का सौंपना उचित नहीं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की इस प्लान्ड इकोनोमी को सब मिल कर खत्म करें, because Rajasthan is the most unplanned Province in India.

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, जो बिल हाउस के सामने है और इसके अन्दर जो उद्देश्य और कारण इसके रखने के बताये गये हैं; उनकी तरफ यदि हम निगाह लगा कर देखें और जो कुछ इसमें लिखा है अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही यह बिल रखा गया है तो मैं मान सकता हूँ कि इस बिल के रखने में कुछ सत्यता है; पर जहां तक सरकार ने जिस तरह से राजस्थान की जनता के पास से पैसा वसूल करने का तरीका बनाया है उन तरीकों की तरफ ध्यान लगायें तो साफ जाहिर है कि जो तरीका इस आधार पर हमें आंकना, लगाना चाहिये कि जिस आधार पर हम हमारी सरकार तथा और प्रान्त की नीति को निर्धारित करना चाहते हैं ; आज जितने भी टैक्स लगाये जाते हैं, चाहे वे पंचायतों के द्वारा लगाये जाते हैं, चाहे पंचायत समितियों के द्वारा लगाये जाते हैं, चाहे म्युनिसिपैलिटियों द्वारा लगाये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा लगाये जाते हैं या केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं; जितने भी टैक्स लगाये जाते हैं उन टैक्सों में से ८० प्रतिशत रुपया उन लोगों से वसूल किया जाता है जो बिल्कुल गरीब हैं, जो मेहनत करते हैं देश की पैदावार को बढ़ाते हैं, उन लोगों से वसूल किया जाता है। यह टैक्स गरीब लोगों से लेकर इससे जिन लोगों को फायदा दिया जाता है, उन लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो टैक्सेज़ के साधन रखे गये हैं उन पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि जो कपास पर टैक्स लगाया गया; खल, काकड़ों पर टैक्स लगाया गया इसका सीधा भार किसानों पर पड़ता है,' जो कपास पैदा करते हैं। अपने मवेशियों को खिलाने के लिए काकड़े ले जाते हैं उन पर इसका असर पड़ता है। यह कपास पर टैक्स नहीं लगा कर जैसे मंडी में चेम्बर बने हुए हैं जहां कपास के सौदे होते हैं उसमें कपास के सौदे पर टैक्स लगाया जाता तो मैं मान सकता था कि इस टैक्स का भार उन लोगों पर पड़ता जो लोग बगैर पूंजी इन्वेस्ट किये ही, बिना मेहनत किये ही सौदे पर लाखों-करोड़ों रुपया कमाते हैं, जिसका असर आम लोगों पर, किसानों पर पड़ता है। तो उन लोगों के ऊपर, ऐसे चेम्बर्स में होने वाले सौदों पर, चाहे वह कपास का सौदा हो, चाहे वह रुई का सौदा हो, अनाज का सौदा हो, चाहे वह चांदी और सोने का सौदा-सट्टा हो, ये जो सट्टा करने वाले लोग हैं उन पर यदि यह टैक्स लगाया जाता तो मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा अदब से वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स लगाने की जरूरत इस प्रांत में नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकारी नीति यह नहीं है कि पैसे वालों पर टैक्स लगाया जाय, किन्तु सरकारी नीति तो यह है कि गरीब लोगों से अधिक से अधिक टैक्स इकट्ठा किया जाय और धनवानों पर खर्च किया जाय। चेम्बर्स में सट्टा होता है, कितने बड़े २ मकान हैं इनको चलाने के लिए, इनके बैठने के लिये चेम्बर बने हुए हैं और मंत्री महोदय वहां जाते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, भाषण होते हैं, वहां पर पार्टियां होती हैं तो क्या मैं अर्ज करूं कि आप इस बात के लिए मान जावेंगे कि इस तरह की पार्टियों में जाते हैं राजस्थान में या दूसरी जगह सरकार की, उन पर टैक्स लगाने की कोई नीति है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा पार्टियों में होता है, इस पर टैक्स लगायेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) :

(श्री बालकृष्ण कौल)

चेम्बर्स में क्या चीज होती है, किस पर टैक्स लगाया जाय, क्या आपका स्पेकुलेशन से मतलब है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नहीं। जो आपके यहां पर सट्टा होता है रुई का, कपास का, अनाज का और सोने-चांदी आदि का सट्टा होता है, बहुत सी ऐसी जगह जहां इन सट्टों को चलाने के लिए चेम्बर्स बने हुए हैं और बहुत सी जगह चेम्बर्स नहीं हैं बने हुए। ओपन में सट्टा होता है इसलिए नाजायज़ माना जाता है। बहुत सी मंडियां हैं जहां पर इस प्रकार के रजिस्टर्ड चेम्बर्स बने हुए हैं उनकी मार्फत सट्टा होता है। जो भी पैसा लाभ में होता है तो मिलता है और हानि में होता है तो उनको चुकाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सट्टे के प्रोफिट पर यदि टैक्स लगाया जायगा तो मैं कह सकता हूँ कि इससे सरकार को बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है।

श्री बालकृष्ण कौल : उस पर सेल्स टैक्स कैसे लग सकता है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सरचार्ज लगाइये।

श्री बालकृष्ण कौल : बहस तो सेल्स टैक्स पर हो रही है। प्रोफिट टैक्स या दूसरे टैक्स तो लगा सकते हैं लेकिन सेल्स टैक्स कैसे लगा सकते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : टैक्स लगाने की जो मूल नीति है उस पर आइये। जो आदमी बिना पैसा इन्वेस्ट किये ही लाखों रुपया कमाता है उस आदमी पर आप टैक्स लगाइये। कुछ पैसा नहीं लगाया, जुबान से बोल दिया; मसलन दो हजार रुई की गांठ खरीदनी है, खरीद लेता है और भाव के चढ़ने के कारण लाखों रुपया कमा लेता है तो उन पर आपको टैक्स लगाना चाहिये। इस पर टैक्स लगाने से कपास पर टैक्स लगाने की आमदनी से कई गुना अधिक आमदनी आपको उससे होगी। राजस्थान में कई ऐसे सटोरिये हैं जिनकी एक सप्ताह की आमदनी लाख-लाख रुपये की है। यदि एक सैकड़ा पर एक रुपया भी लगा दें टैक्स का तो इससे सरकार को काफी आमदनी हो सकती है। लेकिन आपकी नीति पैसे वालों से पैसा लेने की नहीं है। आपकी नीति तो उस किसान से पैसा लेने की है जो मेहनत करने के बाद एक मन कपास बाजार में लाकर बेचता है। एक मन के ३२) रु० मिलते हैं तो उसमें से एक रुपया आप लेना चाहते हैं। ३२) रु० मन में कपास खरीद कर २००)रु. बनाने वालों से आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं। यह है आपकी नीति।

श्री बालकृष्ण कौल : किसान से यह टैक्स न लिया जाय तब तो आप फेवर में हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं इस फेवर में हूं कि सटोरियों पर लगाया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : किसान से वसूल न हो तब तो आपको फेवर में होना चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वित्त-मंत्री जी यह कह रहे हैं कि यदि किसान से वसूल न हो तब तो फेवर में हैं या नहीं; मैं कहना

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

चाहूँगा कि मुझे यह कभी विश्वास नहीं हो सकता और न करने काबिल चीज़ है कि कपास पर आप टैक्स लगायें और पैदा करने वाले से न होकर उसका भार दूसरों पर होगा। इसके लिए क्या भरोसा है ? भरोसा दिलाने के लिए तैयार हैं, यह नहीं लग सकता तब भी विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे कि उन किसानों से वसूल नहीं होगा और किसी दूसरे आदमी से वसूल होगा तो यह आप अपने जवाब में फरमाइयेगा और. समय पर इसका उत्तर भी आपको दिया जायगा कि किस प्रकार उन किसानों पर यह टैक्स लगेगा। अभी तो इतना ही कह देता हूं कि जितने आपने टैक्सेज़ लगाये हैं, जिस तरीके से वे वसूल हो रहे हैं उनके नमूने हमारे सामने हैं और हम जानते हैं कि वह गरीब किसानों से वसूल होता है किन्तु दूसरे लोगों से वसूल नहीं होता है।

आपने अभी फरमाया कि चने के टैक्स का सवाल है, मोटर पर बैठने वालों के ऊपर टैक्स लगे उसका सवाल है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपने मोटर के किराये पर टैक्स लगाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मोटर में बैठनेवालों पर जो यह टैक्स लगाया है तो इसके साथ साथ उन मोटर के मालिकों से भी यह कहते कि तुम्हारी रेट पर-मील पर इतना लेने की है इसलिए इतना पैसा कम कर,दो जितना इस टैक्स का पैसा होता है; उससे उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन आपने यात्रियों की जेब टटोली है और उन पर आपने यह टैक्स लगाया है। यदि उन मोटर मालिकों पर यह टैक्स लगाते तो कोई अनुचित नहीं था। कितने ही ऐसे हैं जिनको पांच हजार रुपया एक रूट पर आय होती है, इतना मुनाफा होने पर भी इतना टैक्स वसूल करने की उनको छूट दी जा रही है। जब उनके इतनी इनकम है तो यह टैक्स क्यों नहीं आप उनसे लेते हैं ; बजाय इसके कि जो मोटर में बैठ कर जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो साइकिल नहीं खरीद सकता है, जो मोटर नहीं रख सकता है और मजबूर होकर उसको किराये की गाड़ी में बैठ कर जाना पड़ता है, उससे यह टैक्स वसूल करें। वसूल करिये उन लोगों से जो प्राइवेट गाड़ियों में बैठ कर जाने वाले लोग हैं, उनसे टैक्स लीजिये।

रेडियो, रेफ्रिजरेटर, पंखे और ऐसे और ऐशोआराम की जो चीजें हैं उन पर आप टैक्स लगाइये, स्नो है, क्रीम है, पाउडर है, और दुनिया भर की अन्य चीजें हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, उनके लिए किसी को कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए, अपने किसी उपयोगी कार्य के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं जाता है. आपने हैडक्वार्टर्स बना रखे हैं दूर दूर, अफ-सोस के साथ कहना पड़ता है कि जिले के हैडक्वार्टर्स पर आपने बहुत सारी सत्ता अपने हाथ में ले रखी है, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को अपने काम को पूरा करने के लिए उन अफसरों के पास जाना पड़ता है तो

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वह मोटर में बैठ कर जाता है तो आप उस मोटर में बैठ कर जाने वाले से टैक्स लेते हैं। जब नेशनलाइज़ेशन की बात आई तो आपने किराया बढ़ा दिया। कितनी बसेज़ आज खाली जाती हैं क्या आपने कभी देखा है? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप टैक्स लगाइये; कोई बुरी बात नहीं है। अभी एक सज्जन अलवर से आये हैं, उन्होंने फरमाया कि भाई ओपोज़ीशन में बैठने वाले लोग तो खाली चिल्लाते हैं टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं; और विकास के काम करवाना चाहते हैं, तो मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को आप भूल जायें कि अगर विरोधी दल के लोग उधर ट्रेज़री बैन्चेज़ में बैठ जावेंगे, गद्दी पर बैठ जावेंगे तो टैक्स नहीं लगावेंगे; लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस रोज़ विरोधी पक्ष वाले सरकार बनावेंगे या ट्रेज़री बैन्चेज़ पर होंगे तो यह आप याद रखियेगा वे ज्यादा एफिशियेन्सी से काम कर सकते हैं; प्रशासनिक खर्चों में कमी ला सकते हैं और कम टैक्सेज़ लगा सकते हैं। जितनी बातें हमने कही सरकार उनको एक नीति के कारण स्वीकार नहीं करना चाहती। जो विरोधी पक्ष की ओर से सही और वास्तविक सुझाव दिये जाते हैं उनको भी सरकार मानना नहीं चाहती। उनको जलील करके नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है। सत्ता का अभिमान मत कीजिये। कल यहां सदन में कहा था कि आप बड़ी बड़ी तनख्वाहों को कम कीजिये, अपने खर्चे में कटौती कीजिए, लेकिन नहीं। आज त्याग, तपस्या और बलिदान की बातें की जाती हैं। हर विभाग से डेवलपमेन्ट के लिए जब पैसे की दरकार होती है तो लिखा यह जाता है कि देश बहुत गरीब है, हमारा प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है इसको ऊंचा उठाने के लिए आप लोग त्याग करिये, तपस्या करिये और बलिदान करिये।

आदरणीय सभापति महोदय, जो इस तरह का स्टेटमेन्ट देकर नीचे दस्तखत करते हैं वे त्याग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, बलिदान नहीं कर सकते। एक तरफ हम दो, दो पैसा टैक्स लेकर अपनी आमदनी बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ अपनी तन्ख्वाहें हजारों पर रखते हैं, क्या उन लोगों से आप नहीं कह सकते कि आप भी त्याग करिये, तपस्या करिये बलिदान करिये? त्याग, तपस्या, और बलिदान की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिये। नीचे के लोगों के स्तर को बढ़ाइये, ऊपर के स्तर को गिराइये; तभी जाकर काम चल सकता है। लेकिन आप ऊपर के लोगों को नीचा लाना नहीं चाहते। यह समाजवादी समाज का तरीका नहीं है। जब हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं समाजवाद का कांग्रेस नाम लेती है तो बहुत दुख होता है। हम भी किसी जमाने में इसी जमात में थे। हमने भी इसके लिये खून पसीना दिया है। उसी का फल है कि आप आज वहां पर बैठे हैं। लेकिन आपके कारनामों को देख कर दुख होता है। आपको हम फिर उन पन्द्रह साल पहले की बातों को याद दिला रहे हैं, जो तरीका आपने उस समय सोचा था उसी की हम आपको याद दिलाते हैं और कहते हैं कि चलिये आज वह जमाना आ गया, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, आप खुद उसके अनुसार आचरण करके बतलायें,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आपकी सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा है आपको जब सच्ची बातें कही जाती हैं, उनको सुनते हैं लेकिन आप उनके अनुसार आचरण नहीं करते, दूसरों को करने के लिये बाध्य करने की बातें करते हैं। जो इस प्रकार की हम बातें कहते हैं तो उसकी हंसी उड़ायी जाती है। एक तरफ तो कहा जाता है कि यह तो विकास का युग है। विकास का युग है, लेकिन यह विकास का युग उस प्रकार का है जैसा कि हमारे आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो विकास हो रहा है वह भी पक्षपातपूर्ण विकास है। जहां से उनकी पार्टी के लोग जीत कर आते हैं उन क्षेत्रों का तो विकास होता है और दूसरे लोग जो चुन कर आते हैं और जिस क्षेत्र से चुन कर आते हैं उनका विकास बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ऐसी एक नहीं अनेकों नजीरें हम पेश कर सकते हैं और की हैं। ऐसी भी जगह हैं जहां इन १५ वर्षों में दस हजार ही रुपया लगा है और ऐसी भी जगह हैं जिनमें पचास हजार से लेकर एक लाख रुपया तक विकास के काम में लगा है। आप किसानों के विकास के नाम पर एक जगह और दूसरी जगह में भेदभाव करते हैं। आपने इन १५ सालों में किसान-मजदूरों से, मध्यम श्रेणी के लोगों से सेक्स टैक्स के नाम से पैसा लिया, पिलाई के नाम से लिया, पंचायत समिति को रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाने का अधिकार दिया, प्राइमरी एज्युकेशन पर आपने सेस लागू की, प्रोफेशन टैक्स आपने लगाया, हाउसिंग स्कीम के आधार पर टैक्स वसूल करने की नीति तय की। सेल्स टेक्स में आपने छोटी-मोटी चीजों को भी शामिल कर लिया।

सभापति महोदय, पंचायत एक्ट के अन्दर किसानों के साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर टैक्स लेने का पंचायतों का अधिकार दे दिया। लाजिमी तौर पर उनको लगाना पड़ता है क्योंकि राज्य सरकार की नीति है कि पंचायतों के डेवलपमेन्ट के लिये तब ही पैसा देते हैं जब पंचायतें आधा पैसा खर्च करें। दूसरी तरफ आप शहरों में लीजिये-स्कूल बिल्डिंग आप बनवाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल बनवाते हैं बिना श्रमदान के, बिना जन-सहयोग के बनाते हैं लेकिन गांव में दो-तीन हजार की भी स्कूल बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए कहा जाता है कि आप आधा पैसा दो। इस तरह से जो लोग भूखे हैं उनसे आप त्याग और तपस्या की बातें करते हैं।

आज आप ट्रेज़री बेन्चेज़ पर बैठे हैं। कभी आपने इस बात की ओर भी ध्यान दिया है कि यह किनकी बदौलत है? आज जो आप ये टैक्स वसूल करते हैं उसमें से ८० प्रतिशत टैक्स का पैसा किसान वर्ग से, मध्यम श्रेणी के लोगों से आप वसूल करते हैं। ऐसे आदमियों से वसूल कर रहे हैं जिनके पास मोटरें नहीं, बंगले नहीं। क्या आपका यही समाजवादी तरीका है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ- सही मायने में कांग्रेस चाहती है कि गांधीजी का राम राज्य और ग्राम राज्य लाना चाहते हैं तो आपका मूलभूत आधार है वह गलत है। आप उन सिद्धान्तों पर सही तौर से अमल करिए, उसके अनुसार चलने की कोशिश करिए, केवल व्याख्यानों से या दूसरे गलत तरीकों से काम नहीं चल सकता। कल जब वेतन बढ़ाने का सवाल आया तो उस समय यह कह दिया गया कि यह व्यवहारिक नहीं। मैं नहीं मानता कि यदि आप करना

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहते हैं तो अव्यवहारिक को भी व्यवहारिक बना दिया जाता है, लेकिन आपको करना ही नहीं इसलिए आप व्यवहारिक नहीं कह कर टालना चाहते हैं। करने की आप ठान लें तो नाजायज़ चीज को भी जायज़ और अव्यव-हारिक को भी आप व्यावहारिक बना सकते हैं। हम रात दिन देखते हैं कि जो नाजायज चीजें हैं जो व्यवहारिक नहीं उनमें आप नहीं सोचते कि यह व्यवहारिक है या नाजायज़ है। आपके जो यह सोचने का तरीका है वह गलत है........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : आखिर श्रीमन् , कौन फैसला करेगा जायज़ और नाजायज़ का ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह फैसला आप और हम बैठ कर करेंगे । जनता को साथ लेकर करेंगे। मोटर और बंगलों में ये फैसले होने वाले नहीं। खेत और खलिहान में जाकर करें। वहां जाकर देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है। आज जनता का राज है, जनता के लिये है और जनता के चुने हुए आदमियों द्वारा चलाया जाता है। वैसी हालत में जनता से पूछ कर ही टैक्स लगाना चाहिये। प्रजातन्त्र में यह नहीं होना चाहिए कि चन्द लोगों ने बैठ कर फैसला कर दिया। एक करोड़ २८ लाख रुपया हम वसूल करना चाहते हैं बिना जनता के पूछे करना प्रजातन्त्र की बात नहीं। यह फैसला मोटरों और बंगलों से उतर कर खेतों में उन किसानों से पूछ कर करना होगा। वही स्थान है जहां पर नापा जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। यह फैसला तभी हो सकता है जब आप मोटरों और बंगलों को छोड़ कर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ गांवों में जाकर देखें-वहां के लोगों की क्या हालत है तो आपको पता चल सकता है कि कौनसा स्थान है जायज़ और नाजायज़ कामों के जाचने का। इधर उधर की बातें करना, लोगों को भुलावा देना। लोग अब आपके इन तरीकों को समझने लग गये हैं। ये समाजवाद की बातें नहीं हैं। किसान वर्ग मजदूर वर्ग और मध्यम श्रेणी के लोग समझ चुके हैं कि कौन क्या है और किस रूप में है और किस तरह का कार्य करते हैं। मैं सिर्फ आपको यहीं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स आपने लगाये हैं उनमें से चार, पांच टैक्स ऐसे हैं जिनको आप तुरन्त हटा लें, जैसे चने पर टैक्स। हमारे यहां तो कहावत थी। "गेहूं छोड़ कर मक्का खाना पर मेवाड़ नहीं छोड़ना।" खाना मक्का का चल सकता है लेकिन देश नहीं छोड़ सकते। उसी तरह से चना हमारे यहां मुख्य खाद्य है। राजस्थान के लोग भूंगड़ों पर दिन निकालते हैं और भूंगड़े इन्हीं चनों से बनते हैं। इस चने पर टैक्स लगाना आपके लिये शर्म की बात होनी चाहिए। इसी तरह से कपास पर, तिलहन पर जो टैक्स है वह भी आपको नहीं लगाना चाहिये। टैक्स लगाना ही चाहते हैं तो कम लगाइये, मोटर किराये पर टैक्स कम करिये। आप एक करोड़ की जो आमदनी करना चाहते हैं इन टैक्सों से वह तो आप अपने बड़े बड़े अधिकारियों की स्पेशल पे और भत्ते बन्द कर दीजिये, उनसे कहिये कि देश के लिये आप इतना त्याग करिये, देश को ऊंचा उठाने के लिये बलि-दान करिये; तो इस तरह से एक करोड़ रुपये की तो आमदनी इस तरह से हो सकती है।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इस तरह से करते हैं तो हम समझेंगे कि आप सही समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, नहीं तो समाजवाद कहना; यह आपकी बनावटी बातें हैं आप अपने अधिकारों का नाजायज़ उपयोग करते हैं। अगर आप इन बातों को मान कर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक ३ मई, १९६२ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बजे दिनांक ३ मई, १९६२ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २ मई, १९६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	५६४६

बिजली की दरों का पुनरीक्षण ।

थाना कोटगेट, बीकानेर में पुलिस की पिटाई के फलस्वरूप दूकानदार की मृत्यु ।

सड़क-निर्माण ।

सड़क-निर्माण ।

बीज का वितरण ।

स्टेनोग्राफर्स का सर्किल इन्सपेक्टर्स के पद पर स्थानान्तरण ।

सड़क-निर्माण ।

पीने के पानी की समस्या का हल, सांचोर ।

सरकारी शीशे की चोरी ।

विद्युत व्यवस्था ।

शराब की दुकानें ।

विद्युत-वितरण ।

पुलिस व रेवेन्यू मुकदमों की पैरवी के लिये वकीलों की नियुक्ति ।

सड़क-निर्माण ।

सहकारी समिति को बस परमिट ।

बारां में नल व बिजली की व्यवस्था ।

खाद-विक्रय ।

जिला व उपजिला हैडक्वार्टर्स को तहसील हैडक्वार्टर्स से सड़कों द्वारा मिलाना ।

सहकारी समितियों से बकाया रकम की वसूली ।

सवाई माधोपुर-खण्डार रोड ।

चोरियां और माल की बरामदगी ।

सरपंच का निलम्बन ।

सड़क-निर्माण ।

पंचायत समिति, सिकराय द्वारा अग्नि व बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये मांगी गयी धन-राशि ।

तिजारा-कोटकासिम रोड ।

	स्कम्भ
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना	५७०२

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर) सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत बीकानेर शहर में जानवरों को पीने का पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर

स्तम्भ

सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना, उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विधायी कार्य-विचारार्थ लिया गया विधेयक

(१) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ ५७०३

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये:—

(१) श्री भैरोंसिंह

(२) श्री रामानन्द अग्रवाल

(३) श्री बृजसुन्दर शर्मा

(४) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

(५) श्री मुरलीधर व्यास

स्तम्भ

(६) श्री रामकिशन

(७) श्री ज्वालाप्रसाद

(८) श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

(९) श्री जयकृष्ण।

(१०) श्री मानसिंह महार

(११) श्री उमरावसिंह।

सदन की बैठक ठीक १ बजे, गुरुवार दिनांक ३ मई, १९६२ को प्रातः ८.०० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार दिनांक ३ मई, १९६२ की कार्य-सूची

१. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

२. राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ (विचार-विमर्श एवं पारित)

३. राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, १९६२ (विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६४ का उत्तर देखिये)

List of roads proposed in the SawaiMadhopur District during the III Five Year Plan.

S. No.	Name of works.	Propcsed Miles during the III Five Year Plan.	Proposals for subsequent plans.
1	2	3	4
1.	Metalled road from Sawai-Madhopur to Indergarh.	11	
2.	Road from Karauli to machilpur.	7	—
3.	Road from Gangapur to GudhaChanderji Via, Nadoti.	7	—
4:	Metalled road from Deoli to Nawai.	8	—
5.	—do—Nadoti to Shri Mahaveerji.	14	—
6.	—do—Sapotra to Naraianpur Rly. Station.	9	—
7.	Bitumen treatment of Dausa—Sawaimadhopur	13	—
8.	B/T of SawaiMadhopur to Pali.	6	—
9.	—do—Hindaun—Mahwa Road.	6	—
10.	—do—Lalsot, Gangapur, Karauli Road.	14	—
11.	M/R. from Karauli to SirMathura.	8	—

1	2	3	
	12. M/R. from Lalsot to Hindoaun.	1	—
	13. —do—Gangapur to Bhadot, Via Malarna.	11	—
	14. —do—Bonli to Jasthana.	2	—
	15. Improvement of existing road trom Shri Mahaveerji to Hindaun.	2	—
	16. M/R from Baronda to Khandar.	2	—
	17. M/R from Karauli to Mandrail.	2	—
	NEW WORKS PROPSED IN III FIVE YEAR PLAN.		
	18. M/R from Toda Bhim to Guda.	2	8
	19. M/R from Piplai on Gangapur—Lalsot Road.	2	4
	20. —do—Khandar to Kela Devi.	4	2½
	21. —do—Surwal to Bhagwatgarh.	4	4
	22. —do—SawaiMadhopur to Sapotra Via Shampur; Khilchipur, Bari Pahri, Nadoti.	4½	23½
	23. A/T from Phalodi to Rawanjwa Chor.	3	3
	24. —do—Bamanwas to Narena.	2	10
	25. M/R from Dholeta to Dhawan to Hindaun Road.	2	17

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २ मई, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५६५३	१०	मिली । भगत	मिली भगत
,,	१६	इस लिये	इसके लिये
५६५५	१३	अयी है !	आयी है !
५६५६	१५	नदवाना	नन्दवाना
५६६०	१	,,	,,
५६६१	अन्तिम	Goverrment	Government
५६६२	५	सांरचो	सांचोर
५६६५	१३	सुचना है	सूचना है
५६६६	अंतिम से ४	उसकी भी	उसको भी
५६६६	१२	जितनी की दूकानें	जितनी दूकानें
५६७२	१६	के खास	वो खास
,,	अंतिम से ५	पीरक्षा काल	परीक्षा-काल
५६८१	अन्तिम	(अक्लेरा)	(अकंलेरा)
५६८२	शीर्ष	वादल)	बादल)
,,	अन्तिम	और उसके	और उनके
५६८३	,, से ८	नहीं से	नहीं होने से
,,	,, ,, ७	किसानां को	किसानों को
५६८६	अन्तिम	(अनुपस्थि-	(अनुपस्थित-
५६९६	अन्तिम	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	उप-मंत्री,सार्वजनिक निर्माण
५६९७	७	तिजा के	तिजारा के
५७०६	अन्तिम	ड्यटी को	ड्यूटी को
५७०९	अंतिम से २	सभापति महोदय	अध्यक्ष महोदय

१	२	३	४
५७१०	अन्तिम	स्टीरिया–टाइप	स्टीरियोटाइप
५७१३	३	डिग ग्राम	डिगग्राम
५७२३	१७	टीन ओवर	टर्न ओवर
,,	१८	चीजें को देखा जाय तो किसी की दूकान में कुछ	चीजों को देखा जाय तो किसी दूकान में कुछ चीजें
५७२५	अंतिम से ७	मुड्स टैक्स	गुड्स टैक्स
५७३८	११	कुवानी	कुर्बानी
५७४०	अंतिम से ३	यह अभी हमारे	अभी हमारे
५७४१	५	औरब्रेकंट	और ब्रेकेट
,,	२७	पर से	पर
५७४८	२३	छोटी कड़ी	छोटी–बड़ी
५७४६	५	जगह अगर लगाया	जगह लगाया
,,	१५	से, सर, मनी	से मनी
५७५२	७	परसेंन्ट	पर सेन्ट
,,	अन्तिम से ३	व्यक्ति करीब	व्यक्ति से करीब
,,	,, ,, २	सरकार हर व्यक्ति से	सरकार
५७६०	शीर्ष	(श्री मुरलीधर	(श्री मुरलीधर
५७६८	५	का खान है	का खाना है
५७७६	१०	बड़नी	बढ़नी
५७८१	अंतिम से ११	उसकी गुड बिल	उनकी गुड विल
५७८१	२१	Olosed	closed
५७६५	१६	और घे	और वे
५८११	२२	रही हो।	रही तो।
,,	२३	अपेक्षा करते	उपेक्षा करते
५८१३	४	सदस्या	सदस्यों
५८१७	अन्तिम से ३	ओनसें की बसेज़	ओनर्स की बसेज़

१	२	३	४
५८१६	१३	जाव।	जावे।
५८२२	अन्तिम से ४	विशेध करें	विरोध करें
५८२६	१६	यह टैवस	यह टैक्स
५८३१	१८	नाचे के	नीचे के
८३८	१६	की दुकानें	की दूकानें

स्कम

वि

५

५६

५

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २ मई, १६६२)

...संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
...य-सूची	७	(५८४२-५८४)	(५८४२-५८४३)
...६६	१४	श्री हीराभाई मसका बड़ा, सजनगढ़:	श्री हीराभाई : मसका बड़ा, सजनगढ़
...७३	शीर्षक	ग्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
...२८	शीर्ष	राभानन्द	रामानन्द